राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का चतुर्थ दिवस [संख्या ५

गुरुवार, दिनांक ३ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिचांई, गृह, स्वायत्त शासन, जन-स्वास्थ्य, खाद्य, कृषि एंव सामान्य प्रशासन विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ८७ ।

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८८ ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल ।

म्युनिसिपल बोर्ड हिन्डोन के प्रशासक द्वारा भूमि का बेचना ।

८९. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हिन्डोन म्युनिसिपल बोर्ड के प्रशासक ने स्थानीय गढ के पास एक प्लॉट बिना नीलाम किए हुए कुछ व्यक्तियों को बेच दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सही है कि लोग उक्त जमीन के ४० हजार रुपये देने को तैयार हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर स्थानीय कटरा वालों ने अलग कटरा बनाने की दरख्वास्त दे रखी थी ?

(४) यदि हां, तो यह जमीन क्यों नहीं नीलाम की गई ?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) कब्जा मान कर भूमि बिना नीलाम के दी गई थी ।

(२) यह जानकारी विभाग को नहीं है।

(३) यह सही है ।

(४) इसका उत्तर क्रमांक (१) में दे दिया गया है ।

श्री श्रवणलाल : यह कब्जा बताया वह कितने अर्से से था ?

श्री दौलतराम सारण : ६ वर्ष से ।

श्री श्रवणलाल : क्या इस प्रकार का कब्जा और भी लोगों का है और उनको भी देने में क्या आपत्ति है ?

श्री दौलतराम सारण : और लोगों का है या नहीं, मैं नहीं कह सकता ।

श्री श्रवणलाल : क्या यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में आ चुका है ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय क्या स्थिति है, मैं नहीं कह सकता ।

श्री श्रवणलाल : यह कितने में दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : १४,४००) रु० में ।

श्री श्रवणलाल : प्रश्न के भाग (३) में आपने बताया, तो ये दरख्वास्तें कब आयीं ?

श्री दौलतराम सारण : जनरल मार्केट निर्माण समिति का रिप्रेजेंटेशन १७-२-६४ को और फिर १९-२-६४ को ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह बगैर नीलाम क्यों दिया ?

श्री दौलतराम सारण : उत्तर में निवेदन कर दिया है ।

श्री श्रवणलाल : १७-२-६४ की दरख्वास्तें आ चुकी थीं, कौनसी तारीख को उनको दिया ?

श्री दौलतराम सारण : १९-१२-६३ को दिया ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कितने साल का कब्जा बताया ।

श्री दौलतराम सारण : ९ वर्ष ।

श्री श्रवणलाल : २ साल ।

श्री दौलतराम सारण : Nine years.

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु) : क्या यह सही है कि राजस्थान में ऐसी नगरपालिकाएं हैं जहां पर लोगों का दस-दस, बीस-बीस साल से कब्जा है, उनको भी अलॉट की है ?

श्री दौलतराम सारण : ९ साल का कब्जा मान कर अलॉटमेंट किया है, यह सही नहीं है। इस सम्बन्ध में एम. डी. ओ., जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको चार्जशीट दे रहे हैं ।

श्री श्रवणलाल : ९ साल का कब्जा बताया जाता है, उसका कब्जा कतई नहीं था । बेचे गये बाद में उसको कब्जा दिया ।

श्री अध्यक्ष : तब ही तो जांच करवा रहे हैं ।

श्री मोहरसिंह ।

भादरा में जल प्रदाय योजना

९०. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि भादरा, जिला गंगानगर में पेयजल खारा है और नगर निवासी जल के अभाव से पीड़ित हैं ? भादरा की आबादी क्या है ?

(२) सरकार जल-कष्ट निवारणार्थ भादरा में जल प्रदाय योजना कब चालू कर देने का विचार रखती है ? इस योजना में क्या खर्च होगा ?

उप-मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां । भादरा की

Page No. 3

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

जनसंख्या १०,०१७ है।

(२) योजना की स्वीकृति भारत सरकार से हो चुकी है तथा योजना का निर्माण-कार्य चालू है; आवश्यक सामग्री व वित्त व्यवस्था उपलब्ध होने पर करीब करीब २ से ३ साल में निर्माण कार्य पूरा हो जायगा। इस योजना की कुल अनुमानित लागत ९ लाख रुपये है।

मांगरोल में हलवाइयों को चीनी

९१. श्री **लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि मांगरोल (पंचायत समिति अन्ता) के हलवाइयों को सरकार द्वारा चीनी नहीं दी जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि हलवाइयों द्वारा एस० डी० ओ०, बांरा व तहसीलदार, मांगरोल को लिखित में प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं लेकिन उन्हें चीनी नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। परगना अधिकारी बारां के कार्यालय में चीनी के लिए कोई प्रार्थना-पत्र पेश नहीं हुए हैं। तहसीलदार के पास पेश हुए थे और शक्कर दिलादी गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मांगरोल क्षेत्र के लिए कुल कितना कोटा शक्कर का अलोटेड है हलवाइयों के लिये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कोई तयशुदा मात्रा नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के हलवाइयों के लिये दिये जाने वाले शक्कर के कोटे के लिये कोई सरकार ने नीति नहीं अपनाई है ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह सही है कि गांवों के हलवाइयों के लिये गांव वाइज, कस्बा वाइज कोटा तय नहीं किया है; लेकिन सारे जिले के लिये हलवाइयों का कोटा तय है। वहां के कलेक्टर को अधिकार है कि जितनी गांव की आबादी है, जितनी मिठाई की खपत होती है उसको ध्यान में रखते हुए वह शक्कर डिस्ट्रीब्यूट करता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तहसील मांगरोल में ३० हलवाई हैं जो आजन्म इसका काम करते आये हैं, उन्होंने कलेक्टर को दरख्वास्त दी, लेकिन कोटा नहीं दिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने इस प्रकार की दरख्वास्त की होगी लेकिन यह जानकारी मेरे पास में नहीं है। लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट का कोटा कलेक्टर के अधिकार में रहता है; वह हलवाइयों की खपत को ध्यान में रखते हुए वितरित करते हैं।

श्री भीमसेन : बीकानेर शहर के हलवाइयों को भी अभी तक कोटा नहीं दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर शहर का इससे सम्बन्ध नहीं है। हलवाइयों को दानेदार चीनी पूरी मिलती नहीं, वैसी हालत में उनको खन्डसारी का परमिट देते हैं। उस कमी को खन्डसारी से सप्लीमेंट करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मंगरोल कस्बे की १२.१५ हजार की आबादी है; वहां पर मुख्य मंत्री और बिजली मंत्रीजी ने जाकर बिजली का उद्घाटन भी किया है । इतने बड़े कस्बे के अन्दर शक्कर देने के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शक्कर दे दी गई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितनी और कब दी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कितनी और कब दी गई, यह तो नहीं कह सकता किन्तु दे दी गई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आरम्भ के अन्दर आपने जवाब इस तरह से दिया कि आपको इसकी जानकारी नहीं है; प्रश्न पूछने का यही कारण था कि शक्कर नहीं दी गई ।

श्री नाथूराम मिर्धा : शक्कर उनको दे दी गई ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : माउन्ट आबू पर सैकड़ों यात्री बम्बई आदि से आते हैं आबू रोड पर आते हैं उनको भी पूरा कोटा शक्कर का नहीं मिलता ।

प्रश्न संख्या ९२

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम ।
(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये) ।

श्री दयाचन्द सोन ।

तहसील बारां में चोरियां

२. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि तहसील बारां में जितनी भी चोरियां गत चार वर्षों में हुई हैं उनमें से अभी एक भी बरामद नहीं हुई ?

(२) यदि हां, तो किन कारणों से ?

(३) इन वर्षों में कितनी चोरियां हुई ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) ऐसा ही है ।

(२) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(३) कुल १९५ चोरियां हुई ।

श्री दयाचन्द सोन : ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: १९५ चोरियां हुई ।

श्री दयाचन्द सोन : इन १९५ चोरियों में से कितनी चोरियां बरामद की हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: Burglaries with theft recorded in 1962.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : १९५ का टोटल बता दीजिये, उसमें कितना अमाउन्ट इन्वोल्व्ड है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अमाउन्ट ६२ का बताऊं या सबका एक साथ बता दूं ।

आप सारी सालों का पूछ रहे हैं, कितना अमाउन्ट है :

६२ का अमाउन्ट	११,६३२.२७पै.
६४ का अमाउन्ट	१६,५२७
६५ का अमाउन्ट	१८,०२२

Page No. 5

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : ६३ का नहीं बताया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ६३ का अमाउन्ट ४,५५३; यह बर्गलरीज विथ थैफ्ट हैं ।

श्री दयाचन्द सोन : प्रोपर बारां में कितनी चोरियां हुई और कितनी बरामद की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य:— तहसील बारां का ही तो बताया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने कुल इन चार सालों में ५३-५४ हजार की चोरियां बताई । मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी चोरियों के मुकाबले कितना रिकवर हुआ और कितनों का चालान पेश किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बरामदगी

१९६२	३,२९३
१९६३	३,००८
१९६४	२,७०६
१९६५	४६३

ये बर्गलरीज विथ थैफ्ट हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ५२-५३ हजार में से आपकी कारगुजारी से मुश्किल से १०-१२ हजार की बरामदगी हुई । इसी आधार पर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं ।

श्री दयाचन्द सोन : यह ढोंग है, बकवास है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अदम सबूत इसके अलावा चालान पेश करना, कन्विक्शन और फिर एक्विटल इन सारी चीजों को देखें इनको आप देखेंगे तो रिकवीजीशन का जो पोर्शन है वह बुरा नहीं है !

एक माननीय सदस्य : जवाब दिया जाना चाहिये वह हिन्दी में दिया जाना चाहिये; अंग्रेजी को गये बरसों बीत चुके हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वे ज्यादा समझते हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरे से भी ज्यादा माननीय सदस्य समझते हैं । आपने जो १९५ केसेज बताये उन केसेज में कितनों का चालान पेश किया और उसमें कितना अमाउन्ट इन्वोल्व्ड था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : टोटल लगाने का वक्त दे दिया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपके पास टोटल लगा हुआ नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : हम हिन्दी में समझते हैं और राष्ट्रभाषा हिन्दी हो चुकी है इसलिये आप हिन्दी में बतलाइये, कौन से यहां अंग्रेज बैठे हुए हैं ।

श्री दयाचन्द सोन : अध्यक्ष महोदय, ये अंग्रेजी में क्यों जवाब देते हैं ? हम नहीं समझते इसे । फिर यहां राष्ट्रभाषा हिन्दी हो चुकी है । कौन से अंग्रेज आकर यहां बैठे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ५८ परसेन्ट रिकवरी हुई है ।

Total property stolen is 64,787.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत (भीम) : बिलकुल स्पष्ट सवाल था । बेकार घुमा

Page No. 6

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

फिराकर इसे लम्बा कर दिया गया है । बता देते सीधे से कि इतनी बरामदगी हुई है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें भी काफी जीनियस चाहिये ।

श्री दयानन्द सोन : लगातार प्रश्न पर प्रश्न इस सदन में भी हम दे रहे हैं । उधर आस-पास क्षेत्रों के लोगों को डाकू लोग उठा उठा कर ले जाते हैं । वे ही स्वयं कहीं किसी को ले देकर छुड़ा ले आवें तो बात अलग है; पर यह निकम्मी सरकार एक को भी वापिस नहीं ला सकी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस तरह से निराधार कहने से काम नहीं चल सकता । मेरे पास आंकड़े हैं कि ५८ परसेन्ट रिकवरी हुई है । बड़ा प्रोमिसिंग रिकॉर्ड है ।

श्री गोविन्दसिंह : क्या सरकार के यह भी ध्यान में है कि बहुत सी चोरियों में तो पुलिस दर्ज ही नहीं करती, और कहीं करती भी है तो वेल्यूएशन बहुत ही गलत करती है; जैसे बारह हजार की चोरी हुई तो दो हजार ही लिखते हैं ।

(शेम शेम की ध्वनि)

श्री निरंजननाथ आचार्य : शेम शेम कहने से क्या होता है ? आंकड़े मेरे पास हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको क्या शर्म आवेगी !

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी आदत में रोज शेम शेम करना पड़ गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी बेशरमों पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रोज कहते हो, किसी एक दिन कहो तो असर भी पड़े ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बेशरमों को रोज कहना पड़ता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह एन्ट्री नहीं करते, वेल्यूएशन कम करते हैं इसके लिये हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, अब नहीं होता ऐसे । सब दर्ज किया जाता है । आंकड़े भी उसके हमारे पास हैं । आगे के लिये मैं विश्वास दिलाता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह : दो पत्र मेरे पास हैं । जिनमें से एक में कहा गया है कि १२ हजार की चोरी में से दो हजार की वेल्यूएशन लिखी गई । दूसरा आग लग जाने पर जो नुकसान हुआ उसको दर्ज नहीं किया । ये दो उदाहरण मैं देता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह टेन्डेन्सी होती है कम्पलेनेन्ट की कि पहले तो वह ज्यादा लिखाने की कोशिश करता है, फिर दो-तीन दिन बाद आकर कहता है कि इतना इतना तो माल मिल गया है, सही वेल्यूएशन इतना ही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और पुलिस की टेन्डेन्सी जो होती है, वह बताई ही है अभी । उसे और भी हम आप सब जानते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाद में कम्पलेनेन्ट सेन्सेज में आता है । ऐसा शायद केस हो यह । फिर काट-छांट करके दर्ज कराता है । तो जितनी बताता है उतनी ही हम दर्ज करते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह : आप ही काट-छांट करके दर्ज करते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कम्पलेनेन्ट दो-तीन दिन बाद संसेज में आने पर आता है और कहता है, इतनी बरामदगी तो घर में मिल गई, अब इतनी रह गई है। यह रिकवरेबल है। ऐसा भी होता है।

शोरगुल

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह कहते हैं फिर कि वे झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। आपको याद होना चाहिये कि इसके लिये १८२ के केस बन सकते हैं। ऐसा केस कोई बना हो तो बता दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक भी केस ऐसा नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : होता है तो उनको हम छोड़ते नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर बता दीजिये न कि कितने हैं ऐसे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह अलग से प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : है ही नहीं, बतावेंगे क्या ?

श्री गोविन्दसिंह : ऐसा प्रावधान है कि अगर चोरी हो जाती है तो पटवारी भी रिकार्ड में दर्ज करता है कि कितनी चोरी हुई। तो उसकी रिपोर्ट और थाने की रिपोर्ट का मिलान करके लिखावें कि बात क्या है ?

पटवारी भी गांव वालों से, दस लोगों से पूछ कर दर्ज करता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पटवारी का यहां कौनसा रिकॉर्ड आ गया ? कहां चल गये ?

श्री जावन्दसिंह (करणपुर) : इन चोरियों में से जो भी पकड़ते हैं, बरामद करते हैं; तो उसमें से वापिस घर वालों को कुछ नहीं दिया जाता, इसके मैं सुबूत दे सकता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्य भी नहीं समझे, मैं भी नहीं समझ पाया; आधा पंजाबी और आधा हिन्दी में। थोड़ा स्पष्ट समझा दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नासमझों को के नहीं समझा सकते।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप किस आधार पर चोरी की वेल्यूएशन मानते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एफ. आई. आर आधार पर।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, हमें अभी और भी बहुत से सवाल पूछने हैं। इसी में समय हमारा पूरा हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री गोविन्दसिंह : जिला झालावाड़ में ऐसा होता है कि एक रिपोर्ट पटवारी भी लिखता है। अगर मंत्री महोदय को याद न हो तो मालूम कर लें, फिर जवाब फरमावें।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय-जल की व्यवस्था

६५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में पेय-जल उपलब्ध कराने के लिये रखी गई थी और उसमें से अब तक कितनी खर्च हो चुकी है ?

(२) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने ३५ करोड़ रुपया इस काम के लिये विशेष रूप से देना स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो इसके अतिरिक्त और कितनी धनराशि सरकार खर्च करेगी ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य में कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पेय-जल की व्यवस्था कोई नहीं है ? यदि हां, तो कब तक यह व्यवस्था हो जावेगी ?

उप-मन्त्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) कुल २०० लाख रुपये की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिये रखी गई थी और जनवरी ६६ तक कुल २४७.८१ लाख रुपये की धनराशि खर्च हो चुकी है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, ऐसे क्षेत्रों को मास्टर प्लान के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है, और जब जब व जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होगी, इन क्षेत्रों के लिये भी जलदाय योजनायें बनाई जावेंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह धनराशि स्टेट की होगी या केन्द्र से मिलने वाली है ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : २०० लाख रुपये इसके लिये तीसरी योजनाकाल में मन्जूर था। उसके ऊपर ४७ लाख और खर्च हो चुका है इन एन्टीसिपेशन ऑफ दी फर्दर सेंक्शन ऑफ गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया। अब चौथी योजना के एलोकेशन का हम और इन्तजार कर रहे हैं कि कितना इस बार मिलता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ ज्यादा मिला था ?

श्री हरिदेव जोशी : ज्यादा मिला। इसीलिए तो ज्यादा खर्च किया है। ज्यादा के लिये फोर्मल सेंक्शन नहीं आई है। इस अमाउन्ट में लगभग हमें पचास लाख ज्यादा मिलेगा, हम यह समझते हैं।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या यह सही है कि सिर्फ स्टाफ नहीं होने से बहुत सी जल योजनाएं वर्षों तक पड़ी रहती हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री जुझारसिंह : कोटा में कई इस तरह की रूरल वाटर स्कीमें हैं; सेंक्शन्ड जिनको ओवरसीयर की कमी से दो दो साल हो गये, अभी तक पूरा नहीं किया ?

श्री हरिदेव जोशी : आपने प्रश्न का उत्तर देखा होगा। सेंक्शन्ड अमाउन्ट से ज्यादा खर्च कर चुके हैं और हमारी कैपेसिटी इस से भी ज्यादा खर्च करने की है।

श्री जुझारसिंह : दो-तीन योजनाएं सैंक्शन्ड हैं और हमेशा यह कहा जाता है वहां पर जाते हैं तो कि सर्वे स्टाफ नहीं है, इसलिये सर्वे नहीं करवाया है।

श्री अध्यक्ष : सर्वे के बगैर कैसे सेंक्शन होगी।

श्री हरिदेव जोशी : सर्वे होकर सेंक्शन होने के बाद काम कर सकते हैं, पहले नहीं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या कुछ रेगिस्तानी इलाकों की पीने के पानी की सीरियस प्रोब्लम देखते हुए अधिक रकम की मांग सरकार करेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासींद) : जिन क्षेत्रों में हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता रहता है क्या उन स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जावेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : कोशिश यही की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे क्षेत्र में हर दूसरे-तीसरे साल अकाल पड़ता रहता है। वहां दो-तीन स्कीमों की सर्वे भी हो चुकी है; क्या उन पर इस साल ध्यान दिया जावेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : सारे राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग एक जैसी स्थिति है, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में खास कर। अधिक से अधिक रकम इसके लिये लेने के लिये जितना ज्यादा असर भारत सरकार पर डाल सकते हैं, हमने डाला है। मुख्य मंत्रीजी ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री शास्त्रीजी को चिट्ठियां भी लिखी थीं। सारे प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चौथी योजना में इसके लिये कितना रुपया मिलता है। इसके बाद में कहां कहां कितना कितना पैसा दे सकेंगे, इसका निर्णय ले लेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें भी कुछ रेगिस्तानी एरिया ऐसा है जिसमें पन्द्रह-पन्द्रह मील, दस-दस मील तक पानी नहीं मिलता। तो क्या सरकार ने ऐसी कोई प्रायोरिटी निर्धारित कर रक्खी है कि कहां पहले काम करना और कहां बाद में या सबको एक समान मान रखा है ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि जहां पानी है तो खारा है और आस-पास में नहीं है, बहुत दूर है, उनको हमने प्रायोरिटी दी है। जैसे लूणकरणसर। पर वहां पर जब तक पायलट चेनल कैनाल को नहीं आ जाती है तब तक दूसरा काम हो सके, यह सम्भव नहीं मालूम पड़ रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार से २०० लाख रुपये की ग्रान्ट मिली उसके अलावा कोई स्पेशल ग्रान्ट के लिए राज्य सरकार ने कोई योजना बनाकर भारत सरकार के पास भेजी थी ?

श्री हरिदेव जोशी : तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो मैंने निवेदन किया कि २०० लाख रुपये मंजूर हुए थे और अभी हमारे यहां पर उप-मंत्री भारत सरकार के पधारे थे और कुछ ऑफिसर्स भी आये थे और हमने उनको अपने यहां की सारी स्थिति बताई थी। इसके आधार पर ही हम ज्यादा खर्च कर सके हैं और उनकी सेंक्शन का हम इन्तजार कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिये इन २०० लाख रुपये की ही मांग की

Page No. 10

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

थी या और भी पैसों के लिए कोई योजना बनाकर राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजी थी ?

श्री हरिदेव जोशी : हमने ५ करोड़ रुपये की योजना बनाकर उसके लिए मांग की थी जिसमें से २ करोड़ रुपया ही ग्रांट हुआ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या सरकार को पता है कि उदयपुर डिवीजन में अधिकांश आदर्श कूप बिलकुल सूखे पड़े हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : इस वर्ष बरसात की कमी के कारण से लगभग सभी जगह यही स्थिति हैं और उनको गहरा करवाने की कोशिश की जा रही है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कुएं सूखे पड़े हैं उसका कारण यह है कि जो गांव वालों से श्रमदान लिया जाता है उसकी पूर्ती नहीं होती और दूसरा कारण यह है कि जो कुएं खोदने के लिए पी० डब्ल्यू० डी० की शिड्यूल्ड रेट्स हैं वह इतनी है कि जितना पैसा खर्च होता है उतने से काफी कम उनकी रेट लगाई जाती है। तो दरअसल में एक तो पूरा श्रमदान नहीं होता और दूसरे रेट में कमी है तो क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्न पाइप वाटर सप्लाई से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : यह प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के बारे में है। जो पैसा खर्च होता है वह कुएं अधूरे इसलिए पड़े हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० की जितनी रेट है उसमें ३० परसेन्ट ऊपर भी खर्च करदें तब भी पूरा नहीं करा सकते। इरिगेशन से जो कुएं खुदाए जा रहे हैं तो वह इसलिए पूरे नहीं होते कि वहां पर पथरीली जमीन है और वह भी ५० परसेन्ट रेट से ज्यादा में खुदे हैं, क्या सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती जिससे जल्दी से जल्दी समस्या का हल हो जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : जो इनकम्पलीट कुएं हैं वह चाहे गहरे नहीं हों या पूरे नहीं हुए हों उनको कम्पलीट करवाने के लिए ऑथोरिटी दी जाये, ऐसा निर्णय लिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रिंकिंग वाटर की फैसेलिटी आप दे सकें उसके लिए क्या आपने कोई रकम ईयरमार्क की है ?

श्री हरिदेव जोशी : उसके लिए अलग से स्कीम तैयार कराके गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के पास भिजवादी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : करीब कितने रुपये की है ?

श्री हरिदेव जोशी : कब भेजी है, अभी मुझे ठीक तो याद नहीं है, लेकिन पहले भी भेज चुके हैं और जब यहां पर भारत सरकार के उप-मंत्री जी महीने या १।। महीने पहले आये थे तब उन्होंने इसकी सिरीयसनैस को स्वीकार किया है और उनको यह स्कीम भेज दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने पूछा है कि यह योजना करीब कितने रुपये की होगी ?

श्री हरिदेव जोशी : सीमावर्ती क्षेत्रों का ठीक आंकड़ा तो नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था, फिर भी वह काफी बड़ी रकम है।

Page No. 11

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : थर्ड फाइव ईयर प्लान में बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट ने कोई ईयरमार्क की दृष्टि से भारत सरकार से मांग नहीं की थी ?

श्री हरिदेव जोशी : बराबर की गई। सेंक्शन जितनी आई उसके अनुसार ही डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): बोर्डर एरिया में पेयजल की व्यवस्था हो उसके लिए केन्द्रीय सरकार से कितने की मांग की थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में ?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें स्पेसिफिकेशन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए नहीं था, इसलिए अलग अलग आंकड़े नहीं हैं।

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए, डेजर्ट एरिया के लिए २५० ट्यूबवेल्स की सेंक्शन हुई थी वह करीब दो करोड़ की योजना अलग से है और उसमें से करीब १२५ ट्यूब वेल्स अलग अलग एरियाज में, जहां पीने का पानी नहीं था वहां पर बोर किए गए हैं और उसमें १०-११ के अलावा बाकी सब ट्यूबवेल्स करीब ५-४ हजार गैलन तक डिस्चार्ज के हैं और वहां पर एंजिन लगाकर हम दो-तीन महीने में सब जगह पानी देने लगेंगे। इसके अलावा हम ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं कि जो कुएं २० हजार गैलन से ज्यादा पानी निकालते हैं तो उसको इरिगेशन ट्यूब वेल्स के हिसाब से काम में लेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं चित्तौड़ जिले में ....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : बहुत प्रश्न है; श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कीचड़ आ रही है और वहां मशीन नहीं पहुंचती है कुएं खोदने के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

जिला जालौर की सिंचाई योजना

९६. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नर्मदा नदी या माही नदी की सिंचाई योजना से जिला जालौर में कहां कहां कितनी एकड़ भूमि सिंचित करने की योजना विचाराधीन है ? इस योजना से जिला जालौर को कब तक फायदा मिलना शुरू होगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : राजस्थान के जालौर क्षेत्र में नर्मदा नहर से लगभग एक लाख एकड़ व माही नदी से ७-८ लाख एकड़ सिंचाई करने की योजना राज्य व भारत सरकार के विचाराधीन है। सिंचाई योग्य क्षेत्र जालोर के पश्चिम-दक्षिण में होगा; यह एक इन्टर-स्टेट बृहद् योजना है और मुख्य कार्य मध्यप्रदेश व गुजरात में होगा, इससे राजस्थान में सिंचाई लाभ उपलब्ध होने की तिथि के लिए इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें किस तहसील की कितने एकड़ भूमि सिंचित क्षेत्र प्रपोज की गई है, वह आंकड़े बता सकते हैं ?

Page No. 12

श्री दौलतराम सारण : तहसीलवार क्षेत्र में इस समय नहीं बता सकता। इसकी जानकारी इस समय नहीं है, लेकिन जो टोटल क्षेत्र है वह मैंने आपसे निवेदन कर दिया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसकी सर्वे तो कम्पलीट की जा चुकी है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रिलिमिनेरी सर्वे है।

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): अभी जो नर्मदा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिससे राजस्थान को पानी मिलने वाला है उसके बारे में ४ स्टेट्स का प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है–मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन चारों स्टेट्स के होने की वजह से इस वेली का डेवलपमेंट अभी नहीं हो सका है। इसलिए एक खोसला कमेटी थी जिसके चेयरमैन मिस्टर खोसला साहब थे, मोटे तौर पर इस वेली को डेवलप करने में कितनी धन-राशि खर्च होगी और उस से कितनी पॉवर जेनरेट हो सकती है, उसके लिए किसी स्टेट का कहां डेवलपमेंट होगा, उस आस्पेक्ट को अभी तय किया है और वह रिपोर्ट अभी सब स्टेट्स को कमेन्ट्स के लिए भेजी है और जब पूर्ननी मसली तय हो जायगा तभी आगे कार्य होगा, क्योंकि १०० करोड़ रुपये का प्लान है खोसला कमेटी के अनुसार और जब तक सब स्टेट्स बेसिक तौर पर एग्री नहीं हों तब तक हम सर्वे करने लगें कि कहां नहर जायेगी, कहां से नहीं; तो वह बहुत अरली स्टेज है इसलिए अभी इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई १२०० एकड़ के प्लान को डेवलप करेंगे तो इसको २०-२५ साल तो वैसे ही लग जायेंगे, इससे कम टाइम लगेगा नहीं। जालौर में ७-८ लाख एकड़ तो एक और १ लाख एकड़ एक भूमि सिंचित होगी उसमें सांचोर, हिमाल, सुथरा पंचायत समिति और गुढामालानी पंचायत समिति के ३५० गांव जिनके ऊपर फन्टूश हमने लिया है और कुछ लिफ्ट भी इसमें शरीक किया है तो ८-९ लाख एकड़ होता है; It is too early to go into the details of the Village and the survey of the villages that has to be taken.

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा खाद्यान्नों के निर्यात की आज्ञाएं

९७. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि जुलाई, १९६४ से जुलाई, १९६५ की अवधि में तहसीलदार, बिलाड़ा द्वारा मोठ, ज्वार व अन्य खाद्यान्नों के निर्यात की आज्ञायें दी गई थीं ?

(२) क्या यह सही है कि जिन खाद्यान्नों के निर्यात की आज्ञा दी गई थीं उनके निर्यात पर उस अवधि में रोक थी ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध कार्यवाही करने के कारण संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल)
(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय जो उत्तर दिया गया है वह मेरी व्यक्तिगत

(श्री तेजराम गहलोत)

जानकारी से बिलकुल गलत है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह तहसीलदार द्वारा जो खाद्यान्न भेजा गया है उसका रेलवे स्टेशन पर रेकार्ड मौजूद है और जिन खाद्यान्नों पर सरकार का प्रतिबंध था कि निर्यात नहीं हो सकता, उसके लिये पर्मीशन दी है। तो कृपया आप इसकी जांच करके ऐसे अधिकारी के खिलाफ जांच कर जिन्होंने सरकार के आदेश होते हुए धान का निर्यात होने दिया, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है वह उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी के अनुसार इसकी जांच-पड़ताल की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : एक सप्ताह बाद इसको लिया जाये।

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): यह तो बहुत जल्दी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : क्यों, बिलाड़ा भेजकर मंगा ले।

श्री नाथूराम मिर्धा : तहसील में तो रेकार्ड नहीं है। अब रेल्वे से पूछना होगा इसके लिये एक हफ्ता बहुत कम टाइम रहेगा, इसलिये थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें।

श्री अध्यक्ष : २ हफ्ते में।

श्री नाथूराम मिर्धा: अच्छा।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिप्रसाद शर्मा।

गन्ने की फसल को नुकसान

९८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में गत वर्ष गन्ने की फसल में कीड़ा लग गया था और इससे गन्ने की फसल को भारी क्षति हुई थी ? यदि हां, तो कुल कितने एकड़ गन्ने का नुकसान हुआ, जिसकी कुल कीमत कितनी हो सकती थी ?

(२) क्या यह सही है कि फसल को बचाने हेतु दवाईयां छिड़काई गई थीं ? यदि हां, तो इसमें स्प्रे करने वालों पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि स्प्रे करने हेतु हवाई जहाज की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो हवाई जहाज कितनी तारीख को आया, कितने दिन कार्य किया और कितने हजार खर्च हुए ?

(४) क्या यह सही है कि पूरे इलाके में हवाई जहाज का उपयोग नहीं किया जा सका ?

(५) क्या यह सही है कि हवाई जहाज आने से पहले हजारों एकड़ फसल बरबाद हो चुकी थी ?

(६) बूंदी जिले में गन्ने की फसलों को कीड़ा लगने की सूचना विभाग को कौन सी तारीख को किसके द्वारा दी गई थी ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह): (१) जी हां, गत वर्ष बूंदी जिले में गन्ने की फसल में कीड़ों का प्रकोप हुआ था। कीड़ों का नियंत्रण दवा छिड़क कर किया गया था और फसल को क्षति से बचा लिया गया था।

(श्री भीमसिंह)

(२) जी हां, दवाइयां छिड़काई गई थी, इस पर कुल खर्चा साठ हजार रुपये हुआ था ।

(३) जी हां, हवाई जहाज की व्यवस्था की गई थी । हवाई जहाज ने १२-११-६४ से २१-११-६४ तक कार्य किया जिस पर कुल खर्चा १६,१३८ रुपये हुआ ।

(४) करीब करीब सारे इलाके में जहां कीडों का प्रकोप था, दवाई छिड़की गई । कुछ खेतों पर जहां कि हवाई जहाज की उड़ान असम्भव थी, वहां ग्राउण्ड पार्टीज द्वारा दवाई छिड़की गई थी ।

(५) जी नहीं ।

(६) गन्ने में कीड़े लगने की सूचना जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में ग्राम सेवकों, किसानों एवं क्षेत्रपतियों के द्वारा सितम्बर के पहले हफ्ते में उपलब्ध हुई थी ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैंने प्रश्न एक में पूछा है और आपने मंजूर किया है कि बीमारी लगी है, लेकिन आपने यह नहीं बताया है कि कुल कितनी एकड़ गन्ने की फसल में बीमारी लगी और कुल कितनी कीमत का नुकसान हुआ है, यह आपने नहीं बताया है ।

श्री भीमसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया कि कुल ६८०० एकड़ जमीन पर कीड़े का प्रकोप था । अब इसमें कितना नुकसान हुआ और कितना बचाया गया तो इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि यह जितनी भी दवाई छिड़की गई उससे काफी नुकसान बचाया गया । अब प्रश्न यह रहता है कि गन्ने के अन्दर कीड़ा लगने से शुगर प्रोडक्शन कितना परसेंट कम हुआ और कितना परसेंट अधिक किया जा सकता था, तो इसका तो कोई डेफिनिट तोल-नाप नहीं कर सकते । मेरा अन्दाज है कि करीब करीब पांच, सात या दस परसेंट से अधिक का नुकसान नहीं हुआ है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं कहता हूं साहब कि जब दवाई छिड़की गई उससे पहले ही काफी नुकसान हो चुका था और आज उसकी कीमत किसानों से वसूल की जा रही है ।

श्री भीमसिंह : प्रश्न यह है कि कितना नुकसान हुआ, तो यह 'कितना नुकसान' तो वैग चीज है'। मैं कहता हूं कि मैंने रिकार्ड से यह चीज निकाली है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि विद-इन टाइम अगर दवाई छिड़क दी जाती है, स्प्रे हो जाता है तो नुकसान से बचाया जा सकता है और चूंकि यहां पर भी समय पर दवाई छिड़क दी गई थी इससे काफी नुकसान बचा लिया गया ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : प्रश्न यह है कि.......

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): आपका प्रश्न क्या है मैं समझ गया हूं । आपका कहना है कि किसानों से वसूली की जा रही है, मैं आपको बता दूं कि किसानों से वसूली नहीं कर रहे हैं ।

श्री विजयसिंह झाला: प्रश्न यह है कि जब आपने दवाई छिड़काई तो उससे पूर्व ही बहुत सा नुकसान हो चुका है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तारीख को बीमारी फैलने की इत्तला आपके विभाग में कब आई थी और कितने दिन बाद आपने इसका प्रबन्ध किया ?

श्री भीमसिंह : मैंने तो 'जी नहीं' कहा; है, आपने 'जी हां' सुन लिया ।

Page No. 15

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या कृषि विभाग में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते कि कीड़ों की वजह से अनुमानतः इतना नुकसान होने वाला है और सरकार के द्वारा जो साधन पहुँचाए गए तो उन साधनों के द्वारा सरकार ने उस बीमारी को कहां तक रोका और उससे कितना नुकसान कम करने की कोशिश की ? क्या इस प्रकार के आंकड़े विभाग में नहीं रखे जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हर एक फसल में गन्ने की फसल को कितना नुकसान पहले हुआ या बाद में हुआ, तो इसके लिये मैंने आपसे कहा कि कुल मिला कर इसमें एक आने भर से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है । दवाई छिड़कने से पहले कितना नुकसान हुआ और दवाई छिड़कने के बाद कितना नुकसान होने से बचा लिया गया; तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि दवाई छिड़कने के बाद जो उसका आफ्टर इफेक्ट हुआ उससे अनुमानतः रुपये में एक आने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और गन्ने की फसल को बचा लिया गया है ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): आपने कहा कि कीड़ा लग जाने से नुकसान होता है और उसका अनुमान से इतना नुकसान हुआ, तो जो नुकसान होता है उसकी जांच तो किसी भी विभाग में विभागीय अधिकारी से कराते हैं । जैसे रेवेन्यू विभाग में पटवारी जांच करता है और आपके कृषि विभाग में कृषि प्रसार अधिकारी जांच करता है । तो जब कोई नुकसान होता है तो उसकी जांच तो किसी अफसर या विभाग द्वारा कराई जाती है । आपने इसके बारे में कोई जांच करवाई है या नहीं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा सवाल यह है कि सरकार ने हवाई जहाज से दवाई छिड़कने की व्यवस्था की तो इससे कितना नुकसान होने से बच गया, मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता था लेकिन मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को अवोइड करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि ६८०० एकड़ भूमि के अन्दर जो गन्ना था और जो कोड़े से प्रभावित था तो आपके वहां पहुँचने के पहले कितना नुकसान हुआ और आपके पहुंचने के बाद कितने नुकसान को बचा पाए और आपके सारे प्रयोगों के बाद कितने परसेंट तक राहत मिल पायी, क्या इस प्रकार के आंकड़े कृषि विभाग में नहीं रखे जाते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

श्री हीराभाई : आपने जांच भी नहीं कराई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हवाई जहाज से स्प्रे करने से पहले क्या सरकार ने यह अनुभव नहीं किया कि इस पर कितना खर्च आयेगा और इससे कितने नुकसान को बचाया जा सकेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार ने इस पर कुल साठ हजार का खर्चा किया, जिसमें दवाई का खर्चा, आदमियों को काम पर लगाने का खर्चा और हवाई जहाज का खर्चा शामिल है । इस साठ हजार के खर्चे से छः हजार एकड़ गन्ने की फसल पर दवाई छिड़की गई । अगर यह दवाई नहीं छिड़की जाती तो सारी छः हजार एकड़ पर खड़ी हुई लाखों रुपयों की गन्ने की फसल समाप्त हो जाती । एक एक एकड़ पर पांच सौ, सात सौ या हजार मन गन्ना खड़ा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

था तो कुल छः हजार एकड़ जमीन पर लाखों रुपये के गन्ने को बचाने में सरकार ने साठ हजार रुपया खर्च किया है और इसको करने के बाद कुल रुपये में एक आना नुकसान रहा है। तो यह बात तो आपके दिमाग में मोटे तौर से समझ में आनी चाहिए।

श्री हरि प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो दवाई छिड़कने की व्यवस्था की गई थी वह तो मेरे स्थगन-प्रस्ताव के बाद की गई थी। मेरे स्थगन-प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कराये जाने के बाद हवाई जहाज से दवाई छिड़कने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इससे पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। सारा गन्ना कीड़ा लगने के बाद लाल हो जाता है · · · · ·

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ज्यादा समझते हैं या मैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जब सदन में मैंने ध्यान दिलाया था उसके बाद हवाई जहाज की व्यवस्था हुई थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने बड़ा ध्यान दिलाया था!

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

कोटा जिले में ज्वार, मक्का तथा चने का स्टाक

१०१. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले में खाद्यान्न का निकास बन्द कर देने से क्या मक्का व ज्वार के भाव सरकारी दरों से भी कम चले गये हैं व काश्तकार के माल को सरकारी दरों पर खरीदने का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है?

(२) क्या यह सही है कि कोटा के व्यापारियों के पास ज्वार, मक्का व चने का पुराना स्टाक पड़ा हुआ है जिसकी निकासी व सरकार द्वारा खरीद बन्द होने के कारण अब संकट के समय में यह अनाज बिगड़ता जा रहा है? इस स्टॉक को जनता के खाने के काम में लिया जाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या विचार किया गया है?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान की खपत के अनुपात में चने का स्टॉक बहुत अधिक है? यदि हां, तो सरकारी नुकसान अनुमान से कितना? इस स्टॉक का समुचित उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या सोचा है?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध नहीं है, इसका जवाब कल दिया जा सकेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोटा बूंदी से निकासी पर जो पाबन्दी लगी हुई है इससे आज वहां का किसान इसके मारे परेशान है, वहां पर भाव गिरते चले जा रहे हैं और आज यह स्थिति है कि इस इण्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर पाबन्दी लगे कई महीने हो गए हैं, हाई कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और अब जब कि विधान सभा का सत्र हो रहा है तो यह उत्तर दिया जा रहा है कि इसका उत्तर नहीं मिला है, इससे बढ़ कर शर्म की बात नहीं हो सकती है।

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ठीक है, आपको जो कहना था आपने कह दिया।

(श्री नाथूराम मिर्धा)
हमारी भी कुछ लिमिटेशन्स हैं, एक-दो दिन में जवाब प्राप्त होते ही यहां उत्तर दे दिया जाएगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): कोटा, बूंदी और प्रतापगढ़ सब डिविजन में अनाज को बाहर जाने से रोका गया है। मैं समझता हूं कि यह प्रकृति के बिल्कुल विपरीत और विरुद्ध है। आपने अनाज के बाहर जाने पर रोक लगाई है, लेकिन वहां पर अनाज सड़ रहा है। अनाज चोरी-छुपे बाहर जा रहा है

मुख्य-मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अनाज कहां सड़ रहा है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: जहां जहां आपने रोक लगाई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कोटा में पचास रुपये के भाव से चना लेने वाला नहीं है और मद्रास और महाराष्ट्र और गुजरात के अन्दर डेढ़ सौ रुपये का चने का भाव है। इसके बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर आपको इनको यहां पर रख कर कुछ सदुपयोग कर सकें तो भी अच्छा रहेगा लेकिन अगर अनाज पड़ा पड़ा सड़ता है तो मेरे ख्याल में तो ऐसा करके सरकार बड़ा भारी गुनाह कर रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा: जहां तक धान की निकासी का सवाल है इस प्रश्न को जब आप राज्यपाल के धन्यवाद भाषण के समय उठायेंगे तब मैं आपको माकूल तौर से उत्तर दे सकूंगा। जहां तक चने की निकासी का प्रश्न है, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की है; फूड कार्पोरेशन के जरिए कि जो राजस्थान में चना है और जो पुराना हो गया है और उसको जो व्यापारी लोग बेचना चाहते हैं, उस चने को ४८ से ५५ रुपये तक की रेट में फूड कार्पोरेशन को बेच दें। ३१ मार्च तक इस रेट से व्यापारी फूड कार्पोरेशन को चना बेच सकते हैं, बिफोर कि अगली क्रोप आए। चना खरीदने की पूरी व्यवस्था फूड कार्पोरेशन ने सब जगह अपने इलाकों में की है और इसीलिए मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि आप सब व्यापारियों को सलाह दीजिए कि अगर वे चने को नहीं सड़ाना चाहते हैं तो सरकार को बेच दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): हम तो सलाह दे देंगे कि फूड कार्पोरेशन को बेच दो, लेकिन आपने व्यापारियों को सलाह दे रखी है कि ३१ मार्च के बाद खोल देंगे, तुम चना दबा कर बैठो।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं कभी भी चने का मूवमेन्ट नहीं खोलूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल: चाहे हाई कोर्ट का कोई भी फैसला हो?

श्री नाथूराम मिर्धा: हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल: यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। पहले भी हटाया था, अब भी हटायेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं समझता हूं, यह सरकार की हठधर्मी की पराकाष्ठा है। यदि सरकार भाव निर्धारित करके ५०.४८ के भाव से चना लेना चाहती है तो मैं समझता हूं, आधे से कम भी चना उनको नहीं मिलेगा। या तो सड़ जायगा या सड़ने के पश्चात् आधे से अधिक चना बाहर जायगा। पड़ोसी राज्य

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
गुजरात में चने का भाव १५०/रु०क्विन्टल है, महाराष्ट्र में १५०/रु० का भाव है, मद्रास में डेढ सौ रुपये क्विन्टल का भाव है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनकी हठधर्मी बिल्कुल बेकार है, प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह हठधर्मी की बात नहीं है, सिद्धान्त की बात है। आप व्यापारियों को पैसा कमाने देना चाहते हैं यह हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध है। हम चाहते हैं कि जिनके पास चना है वह उसे फूड कॉर्पोरेशन को दे दे। ५०.५५ का भाव बुरा नहीं है। फूड कोर्पोरेशन बिना मुनाफा कमाये भारत सरकार के निर्देशन में राजस्थान के अलावा दूसरे प्रान्तों में भेजेंगे जहां पर ऊंचे भाव हैं। ऐसे प्रान्तों को बिना मुनाफे कमाये बेच कर सेवा कर सकेंगे, इसलिये यह किया गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्रीजी की भावना मालूम होती है, लेकिन मैं समझता हूं प्रकृति के नियम के विरुद्ध करना चाहते हैं तो इसमें सफलता मिलनी संदिग्ध मालूम होती है। जबकि पडोसी रियासतों में इतने ऊंचे भाव हैं तो चोरी छिपे निकल जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप खुले ट्रेड की नीति के पक्षपाती हैं जिसको हम मान नहीं सकते। आप व्यापारियों को खुली छूट देना चाहते हैं, वह हम नहीं कर सकते।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि गरीबों की भलाई के लिये सरकार ऐसा कदम उठाना चाहती है तो वह कदम संतुलित कदम हो, जिसके द्वारा सफलता मिल सके। इसके विपरीत यदि किसी व्यापारी या किसी आदमी के पास कोई वस्तु है और आप उससे जबर्दस्ती छीनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। कोई न कोई इन्सेन्टिव होना चाहिये। ह्यूमन नेचर है, इन्सेन्टिव के बिना कौन आपके साथ सहयोग करेगा। यह आपकी हठधर्मी है; तो मेरे ख्याल से सफलता कभी नहीं मिलेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : हम उनका कोऑपरेशन चाहते है। उनसे यह चाहते हैं कि जो धान उनके पास है उसको खराब नहीं करके कोर्पोरेशन को बेचना चाहिये ताकि बिना मुनाफा कमाये दूसरे राज्यों को सस्ते भाव से दे सके और मिडल मैन को प्रोफिट कमाने का मौका न मिले। इस तरह को व्यवस्था है। आप चाहते हैं कि खुली छूट दी जाय व्यापारियों को, यह आपकी पार्टी की नीति है। यह हमारी नीति के विपरीत है, इसलिये क्षमा चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसमें कोई हमारी पार्टी का सवाल नहीं है। हाई कोर्ट और जुडिशियरी को कांस्टिट्यूशन के अन्तर्गत आप मानते हो, जिस कांस्टिट्यूशन की आप दुहाई देते हैं, उस हाई कोर्ट के जजमेन्ट की चार लाइनें आपको पढ कर सुनाता हूं:

> "We cannot but say that the petitioners have been subjected to harsh treatment by the Government officials and they were not justified in imposing a ban in August, 1965 without the semblance of an authority under the law to do so."

जिनकी ऑथॉरिटी को मानने की आप दुहाई देते हैं, लॉ की आप बात करते हैं, कम

Page No. 19

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
से कम लॉ का पालन तो आपको करना चाहिये। कानून के अनुसार आप काम करें। हम व्यापारियों के हित की बात नहीं करते है, लेकिन आप एक पोलिसी तो तय कीजिये। जो मोटी-मोटी घोषणाएं आप यहां करते हैं फिर बाहर जाकर उसी को आप ब्रेक करते है; यह हाउस का कॉन्टेम्प्ट है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हाई कोर्ट के जिस जजमेन्ट की चार लाइनें आपने पढ़ कर सुनाईं, वही जजमेन्ट व्यापारी मेरे पास लेकर आ चुके है, मैं उसको पढ़ चुका हूं। चने के मामले में रिट लेकर व्यापारी हाई कोर्ट में गये थे, वह रिट हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। कानूनी व्यवस्था नहीं थी तो रिट खारिज कैसे होती? जजमेन्ट में चार लाइन हाई ट्रीटमेन्ट ऑफिसर्स ने लिया, सस्ते भाव में गवर्नमेन्ट ने लिया, यह सारी व्यवस्था हाई कोर्ट ने दी है। हमारी मुसीबत है वह यह है कि जिस समय ५० परसेन्ट चने का एक्सपोर्ट चल रहा था उस समय यकायक राजस्थान में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि २६ में से १२-१३ डिस्ट्रिक्ट्स में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। उस समय यदि हम चना बाहर जाने देते तो आज फोर्चुनेटली इम्पोर्टेड व्हीट आ गया उससे काम चल गया, वर्ना चना बाहर जाने देते तो मुश्किल हो जाती। फिर भी कुछ लोगों ने अफसरों से मिलकर जल्दी में नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के जरिये माल बाहर निकाल दिया, उसकी इन्क्वायरी चल रही है। उस समय एक्सपोर्ट नहीं रोकते तो राजस्थान की जनता के साथ मुसीबत आती। उस समय हमने यह कदम क्यों उठाया, इस बात को हाई कोर्ट ने समझा है। जो चना एन० ओ० सी० के जरिये १५ दिनों में बाहर चला गया उसकी तादाद २५-२६ हजार क्विन्टल है। यह चना बाहर नहीं जाना चाहिये था। इस २५-२६ हजार क्विन्टल का एक्सेप्शन करके बाकी माल को निकालने देना ठीक नहीं समझा, इसके लिये उन्होंने रिट किया। कानूनी पोइन्ट हमारे फेवर में था, इसलिये व्यापारियों की रिट खारिज हुई। इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो स्थिति थी उसके अनुसार राजस्थान सरकार को फैसला करना पड़ा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान के हित में ही एन० ओ० सी० को रोका था और राजस्थान के हित में ही आपने उनको वेलिडेट किया। गंगानगर में एक भी एन० ओ० सी० वेलिडेट नहीं किया, इस बात को आप हाउस में कह दीजिये। आप यह कह दीजिये कि ११ अगस्त के बाद एक भी एन० ओ० सी० वेलिडेट नहीं किया और राजस्थान से चने का एक्सपोर्ट नहीं हुआ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह चुका हूं कि कुल ७-८ केसेज वेलिडेट करने के हैं, जिनमें से ५ गंगानगर के हैं और दो-तीन और जगहों के हैं। उनको व्यापारी लिये घूमते हैं। मुझे भी कहते हैं, आपको भी कहते हैं। इनके फेक्टर्स दूसरे हैं। आप इन केसेज को अलग से देखना चाहें तो उनके बारे में आप पूछलें; मैं बता दूंगा; लेकिन इन ८ केसेज के आधार पर सारी चीज को आंकना उचित नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ११-८-६५ के बाद पाबन्दी लगाई, उसके बाद इस किस्म के केसेज आपके सामने नहीं आये क्या? ऑफिसर्स ने व्यापारियों को माल बाहर भेजते पकड़ा और वे उनका चालान करना चाहते थे, आपने उनको मना कर दिया और कह दिया कि चालान मत करो...

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल असत्य है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो चीज सत्य है आप उसको चैलेन्ज करते हैं तो मैं उसको प्रूव करने को तैयार हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिट पेश की, उस समय के बाद दो-दो बार आपको आॅर्डर सस्पेन्ड करना पड़ा, एक बार सस्पेन्ड किया और एक बार समाप्त किया; क्या यह ठीक नहीं है ? रिट पेंडिंग था तब आपको दो बार उसमें संशोधन करना पड़ा; तब यह नोबत आई कि वह रिट खारिज हुई...

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने सुन लिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एन० ओ० सी० को आपने वेलिड किया, उसमें बदबू आती है । ८ को वेलिड किया और बाकी को नहीं किया, इसका क्या कारण है ? हम चाहते हैं कि सबको वेलिड मत करो और यदि करो तो सबको करो । कानून सबके लिये बराबर है । नाथूरामजी का जिससे हिसाब बैठ गया उनको वेलिड कर दिया, जिन्होंने चंदा दे दिया अधिवेशन के लिये उनको वेलिड कर दिया दूसरों को नहीं किया।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल गलत बात है, निराधार है; व्यापारियों ने गलत बात कही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने ८ केसेज को वेलिडेट कैसे किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन ८ केसेज के फैक्ट्स अलग हैं, उनके बारे में, अध्यक्ष महोदय, यदि जानकारी करना चाहें तो इन ८ केसेज को स्पेशल तौर से मैं उनको बता दूंगा । सौदे की बात करना आपकी आदत पड़ गई है।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारे व्यापारी चक्कर खा रहे थे सेक्रेटेरियेट के क्योंकि सौदा पटा नहीं था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सौदा आप करते हैं और उसी सौदे को करके यहां वकालत करते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पैसा खाते हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने व्यापारियों से सौदा किया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : व्यापारियों के साथ सौदा करने से आपका काम चलने वाला नहीं है । आज उसी सौदे के कारण वकालत हो रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको एक भी एन. ओ. सी. को वेलिडेट नहीं करना चाहिये । जब बन्द कर दिया तो बन्द कर दिया । कानून है वह कानून है । वह सबके लिये कानून है । सारा बन्द कर दो । कोई चिल्लाता है तो चिल्लाने दो; कोई चिन्ता नहीं । हम भी परवाह नहीं करेंगे, आप भी परवाह मत करो । लेकिन दुःख तब होता है जब कि हमें यहां गाली देते हैं आप और उधर सौदा करते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सौदे की वकालत है, यह सौदे की वकालत है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह वकालत सौदे की नहीं है, यह किसानों की वकालत है । सौदा आप करते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने सौदा किया है ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आप सौदा करते हैं और कहते हैं दूसरों को । एक तो चोरी और फिर सीना-जोरी !

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री जुझार-सिंह !

श्री जुझारसिंह (बेचट) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि सरकार ने भाव नियत कर दिये ज्वार और मक्का के । उनके नीचे अगर ज्वार और मक्का के भाव जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट द्वारा व्यवस्था की हुई है कि वह निर्धारित भाव पर खरीदे ? क्या इसके लिये ऑर्डर कर दिये हैं ? एक प्रश्न मेरा यह है और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि पुरानी मक्का और ज्वार, जैसा आपने चने के लिए किया, वैसे मक्का और ज्वार का जो पुराना स्टॉक है, जो कल्टीवेटर के पास है, और के पास है; उसको बेचने के लिये आपने भाव निर्धारित कर दिये हैं ताकि लोग खरीद सकें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोटा, बूंदी और झालावाड़ में जहां तक नई मक्का और ज्वार खरीदने का सवाल है, उसको राज्य सरकार आज भी कर रही है और चाहे किसान बेचे, चाहे व्यापारी बेचे, जो भाव निर्धारित कर दिये गये हैं उसके ऊपर पूरा माल खरीदने की व्यवस्था एक एक जगह पर मौजूद है । फिर भी इस काम को अच्छे रूप में पूरा करने के लिये यह काम फूडकोर्पोरेशन को एन्ट्रस्ट कर दिया गया है और वह इस नये माल को.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का पूछना है कि पुरानी ज्वार.....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह तो बता दिया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले नये के लिए कहा, इसलिए मैंने वह कह दिया । अब पुराने के लिये कह दूं । पुराना माल कोटा, बूंदी और झालावाड़ में पड़ा है, ज्वार की खास तौर से पच्चीस-तीस बोरियां हैं, उन बोरियों को खरीदने के बारे में हमने फूड कोर्पोरेशन से कहा है कि जो पुराना माल है उसको वाजिब रेट पर खरीद लें । फूड कोर्पोरेशन के आदमी वहां जा रहे हैं और अगर माल खरीदना चाहें, अगर इस स्थिति में होंगे, तो वह स्वयं खरीद लेंगे वर्ना पूरे माल का डिस्पोजल हो, एक दाना भी खराब नहीं हो, ठीक ढंग से उपयोग हो, इसलिए राजस्थान के दूसरे इलाकों में, जहां आज अकाल की स्थिति है, उसके वितरण की व्यवस्था करेंगे । इसका फैसला पांच-सात दिन में करने वाले हैं, उसको कर देंगे । एक यह बात जरूर ध्यान में है कि वह माल खराब नहीं हो । जब एक एक दाने की जरूरत है तो वह माल बरबाद नहीं हो, यह हमारे सामने बात है ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं । हमारे नेता ने एक प्रश्न रखा और माननीय सतीशचन्द्रजी ने प्रश्न पूछा—उसको यह कह कर टाल दिया कि दूकानदारों की वकालत करते हैं । इस तरह का वह लांछन करते हैं जब कि गवर्नमेंट खुद.....

Page No. 22

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! पुरानी ज्वार की बात हो रही है। आपने फिर वही शुरू कर दिया।

श्री जुझारसिंह !

श्री जयनारायण सालोदिया : १७०० बोरियां.........

श्री अध्यक्ष : जो बात हो रही है उसको आप बीच में तोड़ते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : १७०० बोरियां...........

श्री जुझारसिंह : सरकार के भाव कायम कर देने के बाद में सदन को इन्फोर्मेशन देना चाहता हूं उस भाव पर खरीदने की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं हुई है। बावजूद आश्वासनों के वही समस्या है, जैसा पिछले साल हुआ वही इस साल हो रहा है। नीचे भाव पर माल बिक रहा है और उनको बेचना पड़ता है मजबूर होकर। चाहे फूड कोर्पोरेशन हो, चाहे सरकार हो—एक निश्चित भाव पर खरीदने का प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कितने पर्चेजिंग सैन्टर हैं हर तहसील में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : झालावाड़ में चार मंडियां हैं, बूंदी में तीन-चार मंडियां हैं, कोटा में पांच-छः मंडियां हैं। मंडियों के अलावा जहां माल जाता है, वहां के लिए कलेक्टर को अधिकार दिये हुए हैं; जिस जगह पर खरीदना चाहें वहां सेन्टर कायम करें। क्योंकि वहां माल आता है और जो रेगुलर मंडियां हैं वहां माल नहीं आता है तो वहां मंडी हो और माल खरीदने की व्यवस्था हो। मेरे पास आज दिन तक शिकायत नहीं आई कि कोई माल लेकर आया हो और कलेक्टर ने खरीदने की व्यवस्था नहीं की हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : झालावाड़ में जो खरीदने का सेन्टर है वहां पर इन चारों मंडियों का माल खरीदने की व्यवस्था है ? मैं अभी झालावाड़ होकर आया हूं, पाटन होकर आया हूं। माल झालावाड़ में तोलते हैं हर मंडी में व्यवस्था नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज भवानीमंडी में व्यवस्था है, झालावाड़ में व्यवस्था है। आपको कहता हूं कि मैंने कर दिया, तीन-चार दिन पहले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीन-चार दिन पहले कर दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मसला मेरे सामने आया, तो मैंने तीन-चार दिन पहले कर दिया। मेरे सामने शिकायत आई तो मैंने कर दिया। उसके पहले सात दिन पहले.......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : सारा मसला हल हो गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन-चार कलेक्टर्स को बुला कर कहा था; जिन लोगों का माल

(श्री नाथूराम मिर्धा)
हो, व्यापारी का या किसान का, अपनी रेट्स पर खरीदने के लिए जहां दुकान की व्यवस्था चाहते हैं वहां मंडी खोल सकते हैं, वहां माल तुलवा सकते हैं। जो स्टोरेज की डिफिकल्टी थी उसको दूर कर दिया है, कहीं पहुंचाना हो उसका इन्तजाम कर दिया है, पैसे का इन्तजाम कर दिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जुझारसिंह : रामगंजमंडी में खरीदने की व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल, वहां एक महीने से व्यवस्था है।

श्री जुझारसिंह : नहीं है, एक महीने से नहीं है। वहां ट्रेडीशनल मंडी है, सांगोद में वहां व्यवस्था है........

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां है।

श्री जुझारसिंह : वह बन्द कर दी। क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा से दस मील दूर होने की वजह से तुलाई नहीं हो रही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सीमा से पांच-दस मील दूर होने की वजह से दिक्कत है, उसकी जानकारी कर व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : रामगंजमंडी में खरीद रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सब व्यवस्था हो गई है, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

गृह कर वसूल नहीं करने पर नगरपालिकाओं की ग्रांट-इन-एड पर पाबन्दी

१०२. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) कितनी ऐसी नगरपालिकाऐं हैं जिनको गृह कर वसूल नहीं करने के कारण ग्रांट-इन-एड नहीं दी गई ?

(२) कितनी ऐसी नगरपालिकाएं हैं जिन्होंने गृह कर को वसूली नहीं की है, फिर भी ग्रांट-इन-एड उनके ऋण रकम पेटे जमा की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि उदयपुर नगरपालिका ने गृह कर की वसूली नहीं की फिर भी ग्रांट-इन-एड उसके ऋण रकम पेटे जमा की गई है ? अगर ऐसा किया गया तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) निम्नलिखित १० नगरपालिकाओं को गृह कर न लगाने के कारण ग्रांट-इन-एड नहीं दी गई है :--नगरपालिका, परिषद्--माउण्ट आबू, उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमन्द, सलूम्बर, बूंदी, मालपुरा, सिरोही, सागवाड़ा, नैनवां।

(२) ऐसी कोई नगरपालिका नहीं है।

(३) जी नहीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कोई नगरपालिका गृह कर नहीं लगाये और उस नगरपालिका को ग्रांट-इन-एड नहीं दी जाय; यह कहां तक, किस नीति पर आधारित है ? किसी नगरपालिका

(श्री विजय सिंह झाला)

को घाटा नहीं हो, उसके बाद कोई कारण नहीं रहता कि गृह कर लगावें.......

श्री अध्यक्ष : इसे बहस के वक्त कहें। इसे बहस के वक्त के लिए छोड़िये।

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : बहस इस वक्त नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

गुड़गांव कैनाल

१०३. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कामां के ग्राम जीराहेड़ा से तहसील कामां के ग्रामों से होती हुई गुड़गांव कैनाल गुजरेगी ? यदि हां, तो उक्त कैनाल के सर्वे प्लान के अनुसार, तहसील कामां, पहाड़ी, डीग, नगर के कौन कौन से ग्रामों की कितनी कितनी भूमि सिंचित होगी और भरतपुर जिले में यह कैनाल कहां तक ले जाई जायगी ?

(२) क्या उक्त कैनाल का सर्वे करा लिया गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जावेगा ?

(३) क्या उक्त कैनाल से छोटी-छोटी शाखा-नहरें भी निकाली जावेंगी ? यदि हां, तो वे कौन कौन सी होंगी और किन किन ग्रामों तक उनका टेल रखा गया है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, तहसील कामां, पहाड़ी और डीग के १७२ गांवों की करीब ६६८०० एकड़ भूमि प्रति वर्ष सिंचित होगी। ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी है इनमें से ११६ ग्रामों का पूरा क्षेत्र व बाकी ५६ गांवों की भूमि का कुछ भाग सिंचित होगा।

(२) जी हां, योजना की स्वीकृति योजना आयोग से हो चुकी है। निर्माण के प्रारम्भिक कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : जरा जोर से बोलें।

श्री दिनेशराय डांगी : (३) जी हां, किन्तु ऐसी शाखाओं व उपशाखाओं का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। योजना में इन शाखाओं के लिए प्रावधान रखा गया है और यह कहां कहां बनेगी इसका निर्णय विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त ही किया जायगा।

श्री मजलिस खां : यह कब तक हो जायगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, योजना की स्वीकृति अभी अभी हुई है और कार्य गर्मी के अन्दर शुरू हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह !

टोंक जिले के सरकारी कृषि फार्म्स

१०४. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला टोंक में कितने सरकारी कृषि फार्म खोल गए हैं और कहां ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री दिग्विजयसिंह)

(२) इन फार्म्स पर राज्य सरकार का आज दिन तक कितना खर्चा हुआ है और इनसे कितनी आमदनी हुई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि डिग्गी कृषि फार्म में पानी का अभाव है और इस बात की जानकारी होते हुए भी वहां यह फार्म खोला गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस फार्म से कितनी आमदनी हुई है और इस पर आज दिन तक कितना खर्चा हुआ है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) टोंक जिले में दो सरकारी कृषि फार्म्स हैं। एक टोंक में व दूसरा डिग्गी पंचायत समिति मालपुरा में।

(२) आमदनी व खर्चे का ब्योरा संलग्न है।

(३) जी नहीं। जिस समय फार्म खोला गया था उस समय पानी के अभाव का पता नहीं था। खर्चा एवम् आमदनी के आंकड़े संलग्न हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, आंकड़े दिए गए हैं उनको देखते हुए यह दोनों फार्म इतने अनइकोनोमिक हैं तो क्या राज्य सरकार इनको बन्द करने का निर्णय करेगी ?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा निवेदन है, यह टोंक फार्म था यह स्टेट के टाइम का ३० एकड़ का फार्म था, अब इसको १०० एकड़ का फार्म किया गया है। इसके आंकड़े देखने से मालूम होगा कि एवरी ईयर इसकी आमदनी बढ़ रही है। जब शुरू में नया फार्म होता है तो फर्निशिंग, लेवलिंग व सेट-अप के ऊपर खर्चा होता है। अब एस्टेब्लिश होने की सूरत में आया है, फिर भी आगे देखेंगे कि इसकी आगे प्रगति नहीं होती है, कमी रहती है, तो उसको बन्द करने को सोचा जा सकता है। यह निर्भर करता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पर।

श्री दिग्विजयसिंह : डिग्गी फार्म को देखिये; १९५७ से १९६५ तक एक्सपेन्डीचर हुआ है १ लाख १० हजार १३७ और इन्कम हुई है केवल ३९ हजार।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : बहुत अच्छे !

श्री दिग्विजयसिंह : ये एग्रीकल्चर फार्म इसलिये खोले जाते हैं कि काश्तकार इनका उदाहरण लेकर कार्य करें। ऐसी स्थिति में भी आप इस पर विचार करेंगे या नहीं कि फार्म को रखना उचित है या नहीं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : कौनसी साल का खर्चा है १ लाख ?

श्री दिग्विजयसिंह : यह टोटल अर्ज किया है, १९५७ से लेकर १९६५ तक के आपने फिगर्स दिए हैं। १९५८–५९ में खर्चा हुआ है ११,७०२ और इन्कम हुई है ५३९।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : शेम शेम !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या शेम ?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, १९६१-६२ के फिगर्स देखिए, जहां खर्च हुआ है, ७,६५९ टोंक फार्म का वहां आमदनी हुई ३,५५९। उसके बाद १९६२–६३ में खर्च

Page No. 26

(श्री भीमसिंह)
हुआ है १३,३८२ और आमदनी हुई है ४,५१० । इसके बाद १९६३-६४ में खर्च हुआ है १२,०४५ और आमदनी हुई है ५,७४२ और १९६४-६५ में खर्चा हुआ है ११,६३६ और आमदनी हुई है, ८,८१४। इस प्रकार आप देखेंगे कि १९६०-६१ में जहां आमदनी १,८५८ थी वह बढ़ते बढ़ते आठ हजार हुई है। यह लगातार बढ़ रही है और आगे से आगे बढ़ेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खर्चा कितना बढ़ा, यह आप बतावें ?

श्री भीमसिंह : आप देखेंगे १९६०-६१ में खर्चा हुआ १०,६६७ और १९६४-६५ में खर्चा हुआ ११,६३६, तो खर्चे में बढ़ोत्तरी हुई है वह ८००), ९००) के करीब हुई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने बताया कि ६०-६१ में १०,६६७ और ६४-६५ में ११,६३६ रु० का खर्चा हुआ। आप, ५७-५८ में कितना खर्चा हुआ, बतावें ?

श्री दिग्विजयसिंह : सन् ५७-५८ में ६,८४७ खर्चा हुआ और २,०२५ आमदनी हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह खर्चा ६ हजार से ११ हजार हो गया। आप बतावें कि प्रोपोर्शन क्या रहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब आपके फार्म बढ़ेंगे और उन पर वर्किंग बढ़ेगा तो खर्चा तो बढ़ेगा ही । इन्कम में १:८ का प्रोपोर्शन रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसी हिसाब से चल रहे हैं.....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इस हिसाब से इस सरकार का दिवाला निकलता जा रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सीरियस प्रश्न है कि आया फार्म को चलाया जाय या बन्द किया जाए। हमने इतने अर्से में एक्सपीरियन्स कमा लिया कि उससे इतना एक्सपेन्डीचर होता है और इतनी रेवेन्यू प्राप्त होती है। अगर वे दोनों बराबर नहीं होते हैं तो आप सोचिए कि पब्लिक एक्सचेकर का पैसा इस प्रकार एक्सपेरीमेंट में खर्च किया जावे, यह कहां तक उचित होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोशिश तो यह की जाती है कि खर्चे के साथ साथ इन्कम भी बढ़े और बढ़ी है ।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने डिग्गी फार्म का खर्चा दिया। ५७-५८ में खर्चा ३,५७२ रुपये ५८-५९ में खर्चा ११,७०२ रुपये, आमदनी ५३६ रु० ।

इसी तरह से टोटल एक्सपेन्डीचर १,१०,१३७ और इन्कम ३९, ३६४ ।

५९-६० में खर्च १०,९८१ रु० और इन्कम २४९१) रु०
६०-६१ में खर्च १३,१६४ रु० और इन्कम ७०८०) रु०
६१-६२ में खर्च १४,६८८ रु० और इन्कम १,९७१) रु०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ७ हजार से १ हजार की इन्कम पर आ गये।

श्री दिग्विजयसिंह : ६२-६३ में खर्च १५,१२९ था तो आमदनी ८,७१९ हुई इसी

(श्री दिग्विजयसिंह)
प्रकार १९६४-६५ में खर्च २०,२४२ था और आमदनी ५,८४४) रु० ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस साल को आपने लिया है उससे पहले ७ हजार थी । आप उसी को मानिए ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि सरकार के सारे के सारे फार्म्स हैं वे लोस पर रन करते हैं । आखिरकार इसकी कोई हद तो होनी चाहिए कि कब तक वे लोस में रन करते रहेंगे? मैं समझता हूं कि यह एक भ्रष्टाचार का अड्डा है । इसकी आधी आमदनी इधर-उधर हो जाती है । इसलिए सरकार की इस सम्बन्ध में कोई नीति होनी चाहिए जिस पर ये फार्म चलाये जाने चाहिए । अगर लगातार ये नुकसान पर ही चलते जायेंगे और तब भी आप इनको चलाते जावेंगे तो मेरे ख्याल से पब्लिक टैक्स पेयर की गाढी कमाई का पैसा बरबाद होता है । आखिरकार मैं जानना चाहता हूं कि आप कब तक एक्सपेरीमेंट करते रहेंगे; ये एक्सपेरीमेंट, एक्सपेरीमेंट, जब फेल्यार हो जाते हैं तो उनको फेल्यार मान कर खत्म करना चाहिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, यह डिग्गी का जो फार्म है वह पुरानी स्टेट का फार्म है । मेन्टीनेन्स और व्यवस्था की कमी थी । कुओं में पानी नीचे चला गया था । उनकी ड्रेन्स को ठीक करके और उनका एरिया बनाकर और जो कोई पुराने छोटे-छोटे फार्म्स अलग-अलग चल आ रहे हैं वे लोस में चलते थे । सरकार ने इसके लिए फार्म की कमेटी बनाई कि वह इसकी डिटेल्स में जावे और देखे कि कौनसा फार्म रहना चाहिए और कौनसा नहीं और यदि रखना चाहिए तो कितना रहना चाहिए । इस हिसाब से स्टेट के जितने भी फार्म्स हैं उनके बारे में मैंने पहले भी सदन में बताया था । जैसे कमेटी बिठा कर फेन्सिग किया जावे, जिससे आपने कहा कि बिना फेन्सिग के नुकसान होता है तो हमने इसके लिए तीन-चार वर्षों का प्रोग्राम बनाया । एक एक साल में जो जो खामियां थीं वे पूरी की हैं, वे फार्म नफे में चलने लग गये हैं और ८० परसेन्ट फार्म नफे में चल रहे हैं । २० परसेन्ट फार्म्स अभी रहे हैं और मैं आपको तसल्ली दिलाता हूं कि अगले आने वाले दो सालों में कोई भी फार्म घाटे में नहीं रहेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : आप एक फार्म का भी नाम तो बता दें जो मुनाफे में चल रहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जोधपुर डिवीजन के सभी फार्म्स हैं, जिनको मैं जानता हूं, एक एक फार्म है वह कम से कम १०-१५ हजार के प्रोफिट में चलते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपकी जानकारी से न कहें; जो फार्म चल रहे हैं मुनाफे में, उनका एक का भी नाम बतावें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, जहां गड़बड़ घोटाले हैं उनको भी आप इस प्रकार की लोजिक से जस्टीफाई करने की कोशिश न करें और कहीं गड़बड़ घोटाले हों तो उनको स्वीकार करें, पर यह स्पष्टीकरण में समझता हूं कि अपने आप में उनको बढावा देना है और मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री भी यहां बैठे हैं, उन्हें भी इस स्थिति को ध्यान में लाना है । अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए । अगर इस तरह से गड़बड़ घोटाले हुए तो यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
आपको झूठे-सांचे जवाब देने और वकालत करने के तरीके याद हो गये हैं। अगर मेरी राय आपको पसन्द हो तो ठीक है, अन्यथा आपकी मर्जी।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे आदमियों को फार्म पर लगाया जावे जिनको पहले से ट्रेनिंग दी हुई हो, तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गंगनहर का पानी

८७. **श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गंग नहर का पानी पाकिस्तान को देने की वजह से गंगानगर के उत्पादन में काफी कमी हुई है ?

(२) इस पानी के देने के पूर्व गंगानगर में कुल कितने बीघा भूमि सिंचित होती थी तथा अब कितनी ?

(३) राज्य सरकार ने पाकिस्तान को दिये जाने वाले इस पानी को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार से क्या लिखा पढ़ी की है तथा इस ओर केन्द्रीय सरकार ने क्या सहयोग दिया है।

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

भीलवाड़ा में पुलिस द्वारा मारपीट

८८. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा पुलिस स्टेशन पर पुलिस ऑफिसर ए. एस. पी. तथा एस. एच. ओ. ने वहां के वरिष्ठ वकील श्री सुभाषदेवजी डांगी के साथ मारपीट वर्ष १९६४ में की थी ?

(२) क्या यह सही है कि जिलाधीश भीलवाड़ा ने एस. एच. ओ. को सस्पैन्ड किया तथा सरकार ने ए. एस. पी. को सस्पैन्ड किया ?

(३) क्या सरकार ने इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच व कार्यवाही की ? यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे। सरकार ने इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ?

(४) क्या यह सही है कि इन दोनों ऑफिसरों को वापिस ड्यूटी पर लगा दिया गया है ? यदि हां, तो कहां, कब व किस पद पर ?

उत्तर

(१) इस प्रकार के आरोप लगाये गये थे जिनकी प्रारम्भिक जांच की जाकर इसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध विभागीय जांच जारी है।

(२) जी हां।

(३) दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच आयुक्त विभागीय जांच कर रहे हैं; जांच पूरी नहीं हुई है।

(श्री गृह मंत्री)

(४) श्री बलवन्तसिंह को, दिनांक १४-७-६५ के आदेश को बहाल कर नेफा में अलोंग स्थान पर आर. ए. सी. की आठवीं बटालियन पर डिप्टी कमान्डेन्ट के पद पर लगाया गया है तथा अवतारसिंह एस. आई. को दिनांक ४-६-६५ के आदेश से बहाल कर जिला बांसवाडा में भेजा गया वहां एस. एच. ओ. थाना गढी पर नियुक्त किया गया है।

कृषि प्रचार सुविधा

६२. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चालू साल में खेती वाड़ी के प्रसार के लिये व किसानों को विशेष सुविधायें देने संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा बिजली, पानी, बीज, चालू व नये किस्म के औजार आदि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चूरू जिले के लिये क्या व्यवस्था की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रक्खें।

उत्तर

चूरू जिले में इस वर्ष खेती-बाड़ी के प्रसार हेतु किसानों को निम्नांकित विशेष सुविधायें दी गई हैं :—

१. नये कुए खुदवाने के लिये १.५१ लाख रुपये कर्ज दिये गये हैं।

२. पम्प लगाने हेतु ५०,०००) रुपये के ऋण की व्यवस्था की गई है।

३. रबी के बीज के लिये ५६,३००) रुपये का लघुकालीन ऋण दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस रबी में २,६८०) क्विन्टल चने का बीज कृषकों को उपलब्ध कराया गया है। १५ टन नत्रजनित रसायनिक खाद भी इस वर्ष दिया गया है।

सुधरे औजारों के प्रदर्शन किये गये हैं व सुधरे औजारों की खरीद के लिये किसानों को २५ प्रतिशत सहायता दी गई है।

पौध संरक्षण के लिये १ यूनिट जिले में काम कर रही है जिसमें कि एक सुपरवाइजर व ३ फील्डर्मन हैं। इस वर्ष माह दिसम्बर तक २.७६ लाख एकड़ भूमि में फसल को बीमारी व कीड़ों से बचाया गया है, तथा १२,२०७ मन बीज उपचारिक दवाओं से उपचार किया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चोरियां, डकैतियां तथा अपहरण के मामले

१८. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

किशनगंज, शाहबाद तहसील में वर्ष १९६५ में कितनी डकैतियां पडी व कितनी चोरियां हुई व कितने व्यक्तियों का अपहरण हुआ ?

उत्तर

किशनगंज तहसील में वर्ष १९६५ में डकैती का अपराध नहीं हुआ, चोरी ६६ व अपहरण के दो अपराध हुए। शाहबाद तहसील में वर्ष १९६५ में डकैती के ४ व चोरी के २२ अपराध हुए; अपहरण का कोई अपराध नहीं हुआ।

Page No. 30

चित्तोड़गढ़ खास में कत्ल तथा चोरियों के मामले

१९. **श्री अब्दुलजब्बार खां** (निम्बाहेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६३-६४ तथा ६५ में चित्तोड़गढ़ खास में कुल कितने कत्ल तथा कुल कितने धन की चोरियां हुई ?

(२) पुलिस ने कुल कितने केसेज में माल की बरामदगी तथा मुलजिमों का पता लगाने में कामयाबी हासिल की ?

(३) कुल धन कितना बरामद हुआ तथा कुल मुलजिम कितने पकड़े गये ?

(४) कितने मामलों में चालान हुआ ?

उत्तर

(१) १९६३-१९६४ तथा १९६५ के वर्षों में चित्तोड़गढ़ खास में कोई हत्या का अपराध नहीं हुआ। १९६३ में रुपये ५५३०)५६ पैसे के मूल्य की, १९६४ में रुपये १६६६०) ५५ पैसे के मूल्य की तथा १९६५ में रुपये ८८७२) ७५ पैसे के मूल्य की सम्पत्ति चोरी गई।

(२) १९६३ में १६, १९६४ में १४ तथा १९६५ में १९ मुकदमों में माल की बरामदगी तथा मुलजिमान का पता लगाने में पुलिस कामयाब रही।

(३) १९६३ में १३९१) ५५ रुपये, १९६४ में ८५३९) २० रुपये, १९६५ में ६२३८) ०० रुपये की सम्पत्ति बरामद हुई तथा क्रमशः १७, १३ तथा ३३ मुलजिमान पकड़े गये।

(४) १९६३, १९६४ तथा १९६५ में क्रमशः १५, १३ तथा १९ मुकदमों में चालान हुआ।

गढ़अजान तथा बोलखेडा ग्रामों में बांधों की रिपोर्ट

२०. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर इरिगेशन, अलवर ने दिनांक २२-११-६५ को पंचायत समिति कामां के ग्राम गढ़ अजान और ग्राम बोलखेडा में नवीन बांधों के निर्माण का मौका मुलाहिजा किया है ? यदि हां, तो उन्होंने सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट भेजी है ? यदि भेजी है तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी हां, मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग राजस्थान जयपुर, ने अधिशासी अभियन्ता अलवर के प्रतिवेदन पर विचार कर आवश्यक आज्ञा पालनार्थ संबंधित अधिकारियों को भेजी है; इसकी सूचना सदस्य महोदय को भी अधिशासी अभियन्ता, अलवर ने नं० ११६५ दिनांक ७-२-६६ से डाक द्वारा भेज दी है।

गढ़ी तथा टोडा ग्रामों के बांधों की रिपोर्ट

२१. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि दिनांक २३-११-६५ को अभियन्ता, सिचाई विभाग, अलवर ने पंचायत समिति डीग और नगर के ग्राम गढ़ी और टोडा पहुंच कर नवीन बांधों के लिये मौका देखा है ? यदि हां, तो उक्त बांधों के निर्माण के विषय में आपने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को कोई सुझाव दिया है ?

(श्री मजलिस खां)
यदि दिया है तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अधिशासी अभियन्ता, अलवर के प्रतिवेदन पर विचार कर आवश्यक आज्ञा पालनार्थ संबंधित अधिकारियों को भेज दी है; इसकी सूचना सदस्य महोदय को भी अधिशासी अभियन्ता अलवर ने नं० ११६५ दिनांक ६-२-६६ से डाक द्वारा भेज दी है ।

भसावरा बंध से सिंचाई

२२. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील गिरवा में बडगांव ब्लॉक में ईसवाल ग्राम पंचायत के पास भेंसावरा नामक बंध सिंचाई के लिये बांधा जा सकता है और ईसवाल, झोडोली, कविता आदि गांवों में सिंचाई हो सकती है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बांध को बनवाने का है ?

उत्तर

(१) जी नहीं; अस्तु, पानी देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

रामगंज मंडी की नल योजना

२३. **श्री कुमारसिंह** (चेचट) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रामगंज मन्डी की नल योजना कब से सरकार के विचाराधीन है और इस पर कब तक काम शुरू कर दिये जाने की उम्मीद है ?

(२) इस साल रामगंज मंडी में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या योजना के प्रथम चरण के रूप में स्थानीय कुओं को गहरा कराने या अन्य कोई दूसरी प्रकार की शीघ्र व्यवस्था करने का विचार रखती है ।

उत्तर

(१) रामगंज मन्डी योजना जिसकी अनुमानित लागत ५,७०,०००) रु० है सन् १९६१ से विचाराधीन है जो १२-१०-६५ को भारत सरकार को भेजी जा चुकी है किन्तु स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(२) योजना को स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही आगे कार्यवाही की जा सकती है ।

(१२.१८ म. प.)

अनुपूरक अनुदानों की मांगों (१९६५-६६) के विवरण का उपस्थापन

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों १९६५-६६ के विवरण का उपस्थापन करता हूं ।

कुछ नजरबन्द वामपंथी साम्यवादियों की भूख-हड़ताल विषयक शासकीय वक्तव्य

(१२.१९ म. प.)

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक प्रस्ताव पेश किया था और वह प्रस्ताव अभी तक . . .

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री इस संबंध में अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल इस सदन में कहा था कि जो कॉम्युनिस्टों द्वारा भूख–हड़ताल की जा रही है उस संबंध में मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं ।

राज्य की विभिन्न जेलों में इस वक्त १८ वामपन्थी साम्यवादी नजरबंद हैं । इन सभी साम्यवादियों को दिसम्बर, १९६४ व जनवरी, १९६५ में भारत रक्षा नियम १९६२ के नियम ३० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । इनमें से श्री प्रेमकिशन वकील पेरोल पर हैं, उन्हें दिनांक १२-११-६५ से २३-३-१९६६ तक के लिये पेरोल पर रिहा किया गया है । राज्य सरकार ७ नजरबन्दियों के परिवारों को इस वक्त भत्ता दे रही है । परिवार के हर सदस्य को प्रति माह ३०) रुपये व हर बच्चे को प्रतिमाह १५) रुपये के हिसाब से भत्ता दिया जाता है । भत्ता देने की न्यूनतम सीमा ५०) रु० व अधिकतम सीमा १००) रु० रखी गई है । भत्ता देने के मामलों पर राज्य सरकार विचार करती रही है व भविष्य में भी इसी नीति का पालन किया जाता रहेगा ।

भारत रक्षा नियम, १९६२ के अन्तर्गत इन नजरबन्दियों के मामलों पर ६ महीने बाद पुनर्विचार किया जाता है और उसके अनुसार राज्य सरकार उन पर अपना निर्णय करती है ।

जेल में किसी भी नजरबन्दी के साथ किये गये दुर्व्यवहार का कोई भी मामला राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है । श्री मनोरंजन मुकर्जी को जयपुर से जोधपुर ले जाते वक्त पीठ पीछे हाथ बांधने की शिकायत के सम्बन्ध में जांच की जा रही है व जांच के परिणाम से सदन को शीघ्र ही अवगत कराया जायेगा । सभी वामपन्थी नजरबन्दियों को यथेष्ट सुविधाएं दी गई हैं व इस प्रकार जेल में उनकी सभी सहूलियतों का यथेष्ट ध्यान रखा गया है । राज्य सरकार अभी प्रत्येक वामपंथी साम्यवादी नजरबन्दी के भोजन पर प्रतिदिन अनुमानतः रु० ३.७५ पैसे व्यय कर रही है । जहां तक पारिवारिक भत्ते के बढ़ाने का प्रश्न है राज्य सरकार दूसरे राज्यों से सूचना प्राप्त कर रही है और उसके पश्चात् शीघ्र ही इस विषय पर निर्णय लिया जावेगा । विरोधी सदस्यों का यह कथन तथ्यों पर आधारित नहीं है कि राज्य सरकार नजरबन्दियों को दूसरे राज्यों में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रख रही है ।

श्री मोहन पूनमिया ने दिनांक २१-२-६६ से भूख हड़ताल प्रारम्भ की थी । उनके समर्थन में बीकानेर जेल के तीन और नजरबन्दी सर्व श्री रामसिंह, पूरनसिंह व मनोहरसिंह ने भी दिनांक २७-२-६६ से भूखहड़ताल प्रारम्भ की थी, लेकिन सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि श्री पूनमिया व उनके ३ साथियों ने कल शाम अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी । उनकी मांग वामपंथी साम्यवादियों को रिहा करने या उन पर मुकदमा चलाने की थी । राष्ट्र की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाये रखने के उत्तरदायित्व के लिये राज्य सरकार वामपंथी साम्यवादियों को रिहा करने में इस समय असमर्थ है । लेकिन जहां तक अन्य सुविधाएं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

देने का प्रश्न है राज्य सरकार नियमानुसार सभी सुविधायें उन्हें उपलब्ध करा रही है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने वामपंथी नजरबन्दियों को कुछ और सुविधाएं देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया है। वामपंथी साम्यवादियों को अब ३०) रु० प्रति माह उनको फुटकर खर्चे के लिये भत्ते के रूप में दिया जायगा। जिससे कि वे साबुन, तेल, सिगरेट, इत्यादि खरीद सके। इसके अतिरिक्त वामपंथी नजरबन्दी अब अपने रिश्तेदारों से हर माह में २ बार मिल सकेंगे। जहां तक सम्भव होगा राज्य सरकार वामपंथी नजरबन्दियों को उनके स्थाई निवास स्थान से निकटतम जिला जेल या केन्द्रीय जेलों में ही रखेगी।

श्री मोहन पूनमियां के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पूरा पूरा ध्यान रखा था व चिकित्सकों के परामर्श से उनको बीकानेर पी० बी० एम० अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था।

श्री पूनमियां का अनुसरण करते हुए कोटा जेल में भी ३ अन्य नजरबन्दी सर्व श्री मनोरंजन मुकर्जी, रामसिंह अटल व त्रिलोकसिंह ने अब दिनांक २७-२-१९६९ को मध्याह्न के पश्चात् से भूख-हड़ताल शुरू कर दी थी लेकिन उन्होंने अपनी भूख-हड़ताल दूसरे दिन दिन के २ बजे तोड़ दी थी।

इससे स्पष्ट है कि वामपंथी नजरबन्दियों को जेल में सभी न्यायोचित सुविधाएं दी जाती रही हैं व पारिवारिक भत्ते के प्रश्न पर अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त होने पर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(१२.२५ म. प.)

राज्यपाल के अभिभाषण के समय हुई घटनाओं विषयक वाद-विवाद

श्री **मुकटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक सब्स्टेन्टिव मोशन सदन के समक्ष पेश करने की आज्ञा के लिये दिया है। यह ठीक है कि अभी तक मुझे आज्ञा नहीं मिल पाई है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा में भी राजस्थान विधान सभा में जो तमाशा गुजरा या राज्यपाल के द्वारा जो व्यवहार यहां पर हुआ माननीय सदस्यों के साथ, उसके सम्बन्ध में लोक सभा में प्रश्न उठाया गया। वहां जो चीज हुई उसकी थोड़ी-बहुत जानकारी मैं समझता हूं करीब करीब सभी माननीय सदस्यों को अखबारों के द्वारा हुई होगी। वहां जो आसन पर बिराजे हुए थे उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने वहां व्यवस्था दी है और यह व्यवस्था दी है कि यह राजस्थान की विधान सभा का मसला है, इसको लोक सभा में नहीं उठाया जा सकता। इस प्रश्न को लेकर काफी हंगामा वहां पर हुआ। काफी लोगों ने इस मांग को रखने की कोशिश की, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय-अभी तक अपनी व्यवस्था पर कायम हैं। इस तरह से यह मामला लोक सभा में नहीं उठ पाता है तो यह मामला इस सदन में अवश्य उठना चाहिये, नहीं तो वह भयावह स्थिति पैदा हो जायगी, हिन्दुस्तान कहीं में संविधान को संकट पैदा हो जायगा। कहीं कोई चीज की, वह गलत है या सही है, इस बारे में दो राय हो सकती हैं, डिफरेंस आफ ओपीनियन हो सकती है पर कोई न कोई तरीका निकालना चाहिये कि अपनी बात रख सकें। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये प्रस्ताव जो मैंने पेश किया उसको पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह नहीं··

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मैं सिर्फ कन्टेन्ट्स बताता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: इस प्रस्ताव में मोटे तौर पर यह बात कही गई है कि २६ तारीख को जो चीज यहां हुई उसके बारे में हमने इस प्रस्ताव ·········

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि यह मामला लोक सभा में उठा है, यह वैधानिक और पेचीदा मामला है। तो इस सम्बन्ध में जो तथ्य आपको बताने हों, कानूनी, वैधानिक तथ्य जो आपको बताने हों, हमें बता दें कि क्यों यह स्वीकार किया जाना चाहिये। सदन में आप केवल संकेत करने के लिये खड़े हुए कि इसे जल्दी स्वीकार कर लिया जाय, तो वह आपका मकसद पूरा हो गया। अब आप बहस में न जायें। आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह पेचीदा मामला है, वैधानिक मामला है, इसलिये मैं आपको निवेदन करूंगा और आपके उन तथ्यों का स्वागत भी करूंगा, जो तथ्य, वैधानिक तथ्य, इस सम्बन्ध में रखना चाहें वह रखें, उन पर विचार करके निर्णय दिया जायगा। लेकिन सदन में इसकी बहस इस समय न उठावें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदय का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मौका तो दिया। अगर राज्यपाल महोदय ऐसा मौका प्रदान कर देते तो ऐसी भयानक स्थिति पैदा ही नहीं होती।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, यह फिर भाषण देने लगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: क्या ही अच्छा होता कि राज्यपाल महोदय अपने मस्तिष्क का संतुलन नहीं खो देते। मैंने इस प्रस्ताव के द्वारा इस सदन से मांग की और भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी प्रार्थना की है कि वे इस तमाम कार्यवाही के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की राय लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर आप यह चाहते हैं कि इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाय तो आप इस तरह की बहस कर सकते हैं। मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया कि यह पेचीदा, वैधानिक प्रश्न है और जिस गंभीरता से आप इसे लाना चाहते हैं उस गंभीरता से हमें बतायें वैधानिक तथ्य कि हम इसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): मैं माननीय सदस्य को इस बात का इत्मिनान दिलाना चाहता हूं कि जो राय सर्वोच्च न्यायालय की विधान सभा को दिलाना चाहते हैं, मैंने परसों ही एक बहुत बड़ा टेलीग्राम राष्ट्रपति महोदय को दिया है कि कृपा कर सर्वोच्च न्यायालय से इस संबंध में राय प्राप्त कर हमें वह राय प्रदान करें कि गवर्नर को कहां तक इस प्रकार के अधिकार हैं, वहां से उत्तर आ सकता है। लोक सभा में उपाध्यक्ष महोदय ने भी इस प्रश्न को रिओपन करने का निर्णय दिया है, आज चेम्बर में एम. पीज. उनसे मिलेंगे। उनकी रूलिंग भी संभवतः आज होने वाली है। तो यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दी से इस पर निर्णय किया जा सके, चेम्बर में मिल कर बात-चीत करेंगे; यह सब हिन्दुस्तान के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, यह हमारे इन्टरेस्ट का प्रश्न है, इसके लिये चार-पांच दिन से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय ने जो संकेत दिया है, घन्टे, दो घन्टे बैठ कर विचार करेंगे। ..

कांग्रेस के एम. एल. एज. से भी मैं इस प्रश्न पर निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर निष्पक्षता से विचार करके हमेशा के लिये इसे सैट-एसाइड करना चाहिये। हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिल रहा है, इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो इसके लिये विचार करना है। अगर इस निर्णय पर सदन पहुंचे कि राज्यपाल को ऐसा करना चाहिये था, जैसे उत्तर प्रदेश में नेता की तरफ से किया गया और उस प्रश्न को रैफर किया गया, उसी प्रकार की युनेनिमिटी हमारे यहां इस प्रश्न पर आयेगी तो अच्छा रहेगा। इससे हम रेशनल डिसिजन पर पहुंच पायेंगे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पालियामेन्ट में भी यह सवाल उठा और वहां के उपाध्यक्ष महोदय ने अभी तक निर्णय स्थगित रखा और विचार कर रहे हैं। परन्तु एक बात उन्होंने जरूर कही है कि यह मामला राजस्थान का है। राजस्थान का है और उनकी मन्शा यह है कि वहां उठाया जाना चाहिये। उसी मंशा के अनुसार यहां पर इस मामले को उठाने जा रहे हैं। इसलिये बे संकोच आप इजाजत दे दें। उस पर सारे विचार करें और निर्णय करें। लेकिन आप लम्बा टाइम दे देते हैं। विचार का टाइम चलता रहेगा और आखिर में क्या करना है, उसका कोई टाइम नहीं है। कल तो मुसीबत थी कि सदस्यों को निकालने का प्रश्न चल रहा था, वाद-विवाद चल रहा था, कल आपकी आज्ञा का पालन कर लिया। अब उस बात पर चलना है। जिस राज्यपाल ने विधान सभा के सदस्यों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उनका अपमान किया, उसके बारे में ढील नहीं करनी चाहिये। और राज्यपाल के खिलाफ बराबर कार्यवाही की जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं और कोई ज्यादा बात न कह कर निहायत विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि यह एक माना हुआ सिद्धांत है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में एक झगड़ा था, वहां की जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बारे में, आज राजस्थान में एग्जीक्यूटिव हैड से ज्युडिशियरी टकरायी है। लेजिस्लेटिव एसेम्बली का झगड़ा एग्जीक्यूटिव से है, शासन तन्त्र से है। यह आज यहां बहुत ही भयावह स्थिति है। उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात को गंभीरता से न लें, यह उनकी इच्छा है। यह प्रश्न इस बात का नहीं है कि सदन के ९, १२ या १३ आदमी निकाल दिये गये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप ही गंभीरता को खत्म कर रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आज यह प्रश्न नहीं है कि उनसे अनप्रेरित होकर आपकी सेवा में कोई चीज रखना चाहता हूं; मैं एक बात रखना चाहता हूं। यह सदन की मर्यादा का सवाल है, परम्परा और जनतंत्रीय अधिकारों का सवाल है। उन्होंने मार्शल को आदेश दिया ......

श्री अध्यक्ष : सारी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं उन पर ध्यान रखते हुए विचार किया जायगा । श्री हीराभाई व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने भी कहा है, उन सब बातों पर विचार कर सकते हैं । यह हमेशा ऐसा प्रश्न है जिस पर जल्दबाजी में कुछ नहीं किया जाय । लोक सभा में भी इस पर विचार किया जा रहा है । उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसलिये इसको उतावले पन में न करें। जितना यह गहन मसला है उस पर उतने ही गहन तरीके से विचार करने की आवश्यकता है । जो भी तथ्य हैं वे आप मुझे बतलाने की कृपा करें। मैं समझता हूं इस पर अब चर्चा समाप्त करें ।

राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

राज्यपाल के अभिभाषण सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित शब्दों में धन्यवाद अर्पित किया जाय :

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो उन्होंने कृपापूर्वक दिया है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दिया कहां है ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ): जो भी स्थिति है वह आपके और हमारे सामने है ।

श्री हीराभाई : राज्यपाल महोदय ने एड्रेस ही नहीं दिया है, न उन्होंने कोई भाषण दिया है । किताबें बांटी है । वैसे ही यह हो सकता है । जब राज्यपाल महोदय यहां भाषण करते तो धन्यवाद का प्रस्ताव भी आ सकता था, पास कर सकते थे और आप उसका समर्थन भी कर सकते थे लेकिन राज्यपाल महोदय ने विधान सभा को सम्बोधित किया नहीं फिर कहते हैं कि धन्यवाद देंगे। यह तो किताब बेकार है। बेकार चीज को टोकरी में फेंकते हैं उसी प्रकार की यह सोच है। उस पर धन्यवाद किस बात का ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह एक गंभीर व्यवस्था का प्रश्न है । संविधान में कुछ मर्यादायें हैं। संविधान में राज्यपाल महोदय के कर्त्तव्यों के पालन के लिये कुछ व्यवस्थाएं दी हैं संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक साल के नये सत्र के शुरू में "एट दी कमेन्समेन्ट ऑफ दी सेशन" वे अपना एड्रेस विधान सभा के सामने, जहां पर दो सदन हों वहां दोनों के समक्ष, रखेंगे । प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय क्या अपना एड्रेस इस सदन के समक्ष रख सकें । या राज्यपाल अपने उस कर्तव्य पालन में गंभीर रूप से असमर्थ रहे या समर्थ रहे ? यह एक प्रश्न है जिस पर आपकी व्यवस्था दी जानी चाहिये ।

मैं उन तमाम बातों की ओर नहीं जाना चाहता । लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से यह करवा लिया कि वह पढ़ा हुआ माना जाय । कितनी हास्यास्पद बात है । भोजन सामने रखा है । विधान सभा से प्रस्ताव पास करवा लिया जाय कि भोजन खाया हुआ मान लिया जाय । इससे भूख मिट जावेगी । राज्यपाल के लिये यह आवश्यक था कि वे अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते । क्या बिजनेस ट्रान्जैक्ट

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

करना है, उनका क्या कर्त्तव्य है, अपने कर्त्तव्य के प्रति राज्यपाल सजग रह कर उनको जो एड्रेस करना चाहिये था प्रोपर फॉर्म में वह करते। यह गलत बात होगी यदि राज्यपाल इस प्रकार उठ कर विधान सभा से चले जायं।

और स्थिति क्या है, अध्यक्ष महोदय। इस विधान सभा में जो कुछ बातें होती हैं, या मत जाना जाय तो वह मत कौन जानेगा? कोई दूसरे जानेंगे? नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप जानेंगे। आप प्रस्ताव सदन के समक्ष मोशन के रूप में रखेंगे। लोगों की राय जानेंगे और फिर रूलिंग देंगे। राज्यपाल महोदय के हम कोई मेहमान नहीं थे . . .

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है, अध्यक्ष महोदय, यह उसी पर बहस शुरू हो गई है?

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई ने एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है कि इसको पढ़ा हुआ न माना जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सचेतक महोदय इस तरह समझ लें कि मेरा यह कहना कि राज्यपाल महोदय ने अब तक राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली के समक्ष अपना एड्रेस नहीं रखा है और अभी तक हमें उन कारणों से अवगत नहीं कराया है कि हमको यहां पर क्यों बुलाया? हम यहां पर इसलिये नहीं आये थे कि हमको धक्का, मुक्की देकर मार्शल के जरिये सदन से निष्कासित किया जाय, हमको उनके द्वारा पिटवाया जाय, बेइज्जत और अपमानित किया जाय और निकलवाया गया। हम यहां पर लातें और घूंसे खाने के लिये नहीं आये थे। हम यहां पर किसी की दया पर नहीं आये थे। कितनी भयावह स्थिति थी। लिखित भाषण में हमको "मित्रों" कहते हैं। एक मित्र का यह कर्त्तव्य है कि अपने दूसरे मित्र को अपमानित करके, जलील करके, मार्शल के द्वारा सदन से उठवा कर फिकवा दें यह कितनी भयावह स्थिति है? क्या यह जनतन्त्र है? यह तो राजतन्त्र से भी भी गया हुआ है। जिसका नाश अवश्यम्भावी है।

तो मैं आपके मार्फत एक वैधानिक आपत्ति उठा रहा था। अभी अभी कुछ माननीय सदस्य कहने वाले हैं, शायद कहते हैं कि बंगाल के अन्दर यह हुआ था और बंगाल में यह चीज हुई और वही यहां भी इम्पोर्ट कर लें। मेरा निवेदन है कि बंगाल की चीजों को यहां पूरा का पूरा इम्पोर्ट करने की कोशिश मत करो। बंगाल के अन्दर तो और क्या क्या हुआ है? उन तमाम चीजों की नकल नहीं करो, हम नकल नहीं करना चाहते ह। हम तो केवल व्यवस्था चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय ने हमें यहां पर क्यों बुलाया है और आज क्योंकि उनके भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास करने की बात है तो धन्यवाद का सवाल तो तब पैदा हो जब हमें यह बताया जाय कि हम क्यों बुलाया गया, वे अपने श्री मुख से, अमृत वाणी से अलंकृत करें, प्रेरित करें मार्गदर्शन करें, हमें रोशनी दें। हमारे हैड ऑफ दी स्टेट खुद साहित्यिक व्यक्ति हैं, उनका संवैधानिक कर्त्तव्य है कि अगर हम कर्त्तव्य भ्रष्ट हैं तो हमें सीधे कर्तव्य पर लाए। अच्छा हो यदि हम पश्चिम की अंधाधुंध नकल न करें, भारत के अन्दर कोई जनतन्त्र सफल हो सकता है तो वह भारतीय परम्पराओं

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)

के अनुसार, भारतीय रीति-रिवाजों के अनुसार सफल हो सकता है, भारतीय संस्कृति पुरानी है, हमारे जनतन्त्र रिपब्लिक बहुत पुराने हैं, परम्पराएं हैं जायसवाल की और पोधा और लछवी ऐसे भी सूत्र आते हैं। एक बार दक्षिण भारत को उत्तर भारत से एक आदमी गया है उससे पूछा कि तुम कहां रहते हो, उसने कहा कि हम विचित्र देश में बसते हैं, उनसे पूछा कि कौनसा राजा है, उसने जवाब दिया 'अहम राजा, अहम राजा', मैं राजा हूं · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमन्त्री, गृह): पोइंट ऑफ आर्डर · · ·,

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर ही चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही माना जायगा, लेकिन मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा · · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके सामने पोइंट ऑफ ऑर्डर रखा नहीं · · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई ने पोइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है। माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे कुछ कथन से नाराज प्रतीत होते हैं तो बात दीजिए मैं नहीं बोलूंगा, आपका हुक्म मान लूंगा, मैं तो हर एक का कहना मानूंगा, अध्यक्ष की तो बात ही ऊंची है। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे देश में जो जनतंत्र है उसकी परम्परा बहुत ऊंची है। मुझे राम के युग की बात याद आती है। धोबी ने राजा राम की प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई बात कह दी, उसकी धर्मपत्नि के बारे में, चक्रवर्ती राजा राम, उनकी धर्मपत्नि पुनीत माता सीता के बारे में कह दी। राजा रामचन्द्र की इच्छा थी या नहीं मगर उनका आचरण था · · · ·

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : जय हो गुरुदेव !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हंसी की बात नहीं है। यह जंनतंत्र की परम्पराओं का सवाल है। आज पश्चिम के आधार पर कि "King can do no wrong" इसलिये आप कहें कि वह हैड ऑफ स्टेट है, उसके बारे में इस सदन में कोई प्रश्न नहीं उठाए तो इस प्रकार की परम्पराएं जनतंत्र के अंदर कायम मत करिए। हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है वह पीपुल्स से सोवरेन्टी ड्रॉ करता है, पीपुल्स के नाम से शुरू होता है, सोवरेंटी हमारे सिम्बोलिक हेड आफ स्टेट में लाई नहीं करती, हमारी सोवरेन्टी पीपुल्स में लाई करती है, पीपुल्स को विल रिफ्लेक्ट होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

इस पीपुल्स के विल के कारण ही हम सदन में बैठे हैं। हम एक एतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। जब जंनतंत्र की परम्पराओं का विकास कर रहे हैं, आगे के लोगों के लिये उदाहरण पेश करना चाहते हैं ऐसे मोड़ पर खड़े होकर, तो मैं निवेदन करूंगा कि आगे की सदन की कार्यवाही रोक दी जाय और फिर राज्यपाल महोदय से निवेदन किया जाय कि फिर यहां पर उपस्थित हों, हमें रोशनी दें, हमको मार्ग-दर्शन दें, और हमें यह बतायें कि आपको इसलिये बुलाया गया है और उसके बाद

(श्री मुकुटविहारी लाल गोयल)
सदन को आगे की कार्यवाही चले तो बहुत अच्छा होगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप सदन के गार्जियन हैं, परंपराएं आपकी व्यवस्थाओं से प्रशसन होने वालीहैं, इतिहासिक का निर्माण आपकी व्यवस्थाओं से होने वाला नहीं है ।इस बारे में एडवोकेट जनरल को भी बुलाया जा सकता है, सदन को कार्यवाही कुछ समय के लिये रोकी जा सकती है, इसके संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया जा सकता है और जल्दबाजी में बंगाल में जैसा हो गया उसके नकलची हम नहीं बनना चाहते । आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री,शिक्षा) : मेरा प्रश्न था कि माननीय सदस्य ने अभी मोशन मूव करना चाहा और इस बीच में आपत्ति उठा ली और फिर सियाराम की कथायें शुरू की । आपत्ति यह उठाई कि राज्यपाल महोदय ने कोई अभिभाषण दिया या नहीं । यह प्रोसिडिंग का प्रश्न है कि "The address may be treated as read"

मोशन पुट अप किया गया और एक्सेप्ट किया गया और फिर से माननीय सदस्य इस प्रश्न को एजोटेट करें और आसान से इनको सहूलियत देने के प्रश्न पर इनके विचार की अभिव्यक्ति का प्रश्न पैदा हो, तो इसलिये में निवेदन करता हूं कि यह मोशन सामने आ जाय, "मे बी ट्रीटेडएज रेड" या नहीं, उनकी कांस्टीट्यूशनल पोजीशन, दोनों ही पोजीशन्स साइमल्टेनियसली उठ सकती हैं इसलिये एक ही पहलू को लेकर सारा दिन इसमें खत्म हो जायगा । अभी जो माननीय सदस्य का भाषण हुआ वह शुरूआत से वापिस हुआ, सिर्फ सेमी कोलन और फूलीस्टाप में नहीं कह सकता, बाकी वही पोजीशन आ रही है जो कल आपने प्रस्तुत की थी । अगर आसन उचित समझे कि यह पोइंट भी लिया जाय तो साइमल्टेनियसली प्रोसिडिंग को आरम्भ रखा जाय ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हीराभाई ने आपत्ति उठाई है कि राज्यपाल महोदय ने भाषण नहीं दिया, इस वजह से भाषण नहीं माना जाय और इसलिये उनको वापस बुलाया जाय और पूरा एड्रेस जो लिखा गया है उसको दुबारा पढ़ा जाय । इस बारे में एक बार पहले भी आपत्ति उठाई जा चुकी थी जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनके द्वारा कि अगर राज्यपाल महोदय का एड्रेस उनकी तरफ से आपके समक्ष आ गया और उसको ही उनका एड्रेस दिया हुआ माना जाय या नहीं, उस आपत्ति के बारे में काफी डिस्कशन के बाद आपकी रूलिंग हो चुकी थी कि अगर राज्यपाल महोदय किसी ऐसी अवस्था में आने में असमर्थ हों तो ऐसी हालत में उनका जो मेसेज आए जो आपको मिल गया, उस एड्रेस को पढ़ा हुआ माना गया और ऐसी हालत में एड्रेस पर मोशन ऑफ थेंक्स रखा जा सकता है और डिस्कस हो सकता है उस परिस्थिति में गवर्नर महोदय यहां पधारे जब वे एड्रस चालू करने वाले ही थे, उस हालत में कुछ उधार बैठने वाले माननीय सदस्यों ने उनके एड्रेस शुरू करने के समय ओब्जेक्शन किया उन्होंने ऐसा कन्डक्ट शो किया जिससे गवर्नर महोदय को अपना राइट एक्सर्साईज करने में कठिनाई महसूस हुई . .

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल : राइट एक्सर्साइज किया ही नहीं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वे अपने राइट्स को काम में लेकर हाउस में व्यवस्था कायम कर रहे थे उन्होंने उसके वाद जब भाषण पढ़ना शुरू किया और पढ़ रहे थे उसी समय विरोधी पक्ष के नेता ने प्रस्ताव रखा कि ऐसी परिस्थिति जब है हाउस का वातावरण इस प्रकार का हो रहा है, सदन से सदस्यों को बाहर निकाला जा रहा है ऐसी सर्कम्सस्टान्सेज में आप आगये हैं, आपका यह भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय। उस प्रस्ताव को सदन के नेता भी समर्थन दिया। ऐसी हालत में जनसंघ के माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने भी कहा कि भाषण को पढ़ा जाय। उसके बाद में गवर्नर महोदय ने हाउस की सेन्स जानी कि भाषण पढ़ा जाय या नहीं। हाउस की राय जानने के वाद जब कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी उसको अवोइड करने के लिये उनका भाषण पढ़ा हुआ मान लिया गया। उस समय विरोधी पार्टी के नेता महोदय ने प्रस्ताव रखा कि राज्यपाल महोदय का भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय। उसके वाद में राज्यपाल ने आखिरी पैरा को पढ़ा और भाषण को सम्पूर्ण किया। ऐसी हालत में गवर्नर महोदय का एड्रेस जिसका कुछ पोर्शन माननीय राज्यपाल महोदय ने पढ़ दिया या हाउस की राय के अनुसार जिसको पढ़ा हुआ मान लिया गया। ऐसी हालत में उनका जो भाषण यहां रखा गया है उसको पढ़ा हुआ एड्रेस माना जायगा। उस दिन की एक्स्ट्राआर्डिनरी सर्कम्स्टान्सेज के अन्दर इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता था, अतः जो भाषण उनके द्वारा सदन की टेबल पर रखा गया उसको पढ़ा हुआ माना जायगा। अभी श्री हीराभाई और मुकुटबिहारीजी ने इस बारे में जो आपत्ति प्रस्तुत की है उसको अस्वीकार किया जाय क्योंकि इसके बारे में उन्होंने कोई कानूनी तथ्य भी नहीं रखे; अतः उनकी इस आपत्ति को अस्वीकार किया जाना चाहिये।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य द्वारा जो आपत्ति उठायी गई है वह आपत्ति तथ्यहीन है। राज्यपाल महोदय सदन में पधारे और उन्होंने यहां अपना एड्रेस शुरू किया जिसकी छपी हुई प्रति सभी माननीय सदस्यों को मिल गई, उसके वाद कोई आवश्यक नहीं कि उस सारे भाषण को पढ़ा ही जाय। जो लिखित में मिल जाता है उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

जो भाषण उन्होंने मेज पर रखा, उसका अन्तिम अंश सदन में पढ़ कर सुना दिया गया था, ऐसी हालत में जो आपत्ति माननीय सदस्य द्वारा की गई है उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब उनका भाषण पढ़ा हुआ मान लिया गया तो उसके लिये धन्यवाद देने की क्या जरूरत है, उस पर वाद-विवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। या तो राज्यपाल महोदय यहां आकर फिर अभिभाषण करें, नहीं तो उस पर धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। हमें दूसरा काम शुरू करना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): इसके तीन कानूनी पहलू हैं . .

कुछ माननीय सदस्य : ये पहले भी बोल चुके हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं कुछ कानूनी पहलू रखना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य बोल चुके हैं, अब न बोलें। आपने काफी इस बारे में प्रकाश डाल दिया है। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शाहबाद (छबड़ा) से आने वाली माननीय सदस्या ने यह दलील दी कि जो भाषण हमको बांटा गया है वह पढ़ा हुआ हो गया। मैं उनकी इस तर्क से सहमत नहीं हूं। यह कोमन सेन्स के आधार पर कहा जा सकता है, लेकिन प्रश्न यहां दूसरा है। इसके लिये हमारे संविधान की दो धारायें हैं-१७५ और १७६। संविधान की धारा १७५ की तहत राज्यपाल महोदय सदन को जो लिखित में मैसेज दें, छपा कर मैसेज दे वह मैसेज हो सकता है भाषण नहीं। संविधान की धारा १७५ के अन्तर्गत जो लिखित मैसेज जिसको वे पढ़े नहीं, भाषण के रूप में न रखे, वह मैसेज है न कि भाषण। राज्यपाल महोदय ने २६ फरवरी को अपना लिखा हुआ या छपा हुआ, भाषण सदन के माननीय सदस्यों में वितरित कराया, लिखा हुआ मिल गया वह भाषण है या मैसेज है, वह मैसेज हमें मिला है, संविधान की धारा १७५ के अधीन है। धारा १७५ के अधीन जो मिला वह मैसेज मानते हैं तो ऐसे मैसेज पर हम धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं भेज सकते, इसलिये यह जो मोशन मूव किया गया है वह गलत है।

दूसरा यह इस साल का पहला सत्र है इसलिये पब्लिक बिजनेस ट्रान्जेक्ट नहीं हो सकता जब तक धारा १७६ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय यहां आकर के अपना अभिभाषण स्वयं आकर के एड्रेस न करे तब तक। १७६ की कम्पलायेन्स के बिना कोई कार्यवाही आगे नहीं चल सकती। उनका मैसेज संविधान की धारा १७५ के अधीन मिला लेकिन १७६ का कम्पलायेन्स नहीं हुआ। १७६ का कम्पलायेन्स मैन्डेटरी है, आवश्यक है, कॉन्स्टीट्यूशन का ओब्लीगेशन है, उसको पूरा करना होता है। बीमारी की हालत में या अस्वस्थता की हालत में क्या व्यवस्था हो या किसी प्रकार भाषण देने में असमर्थ हों या ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय जिससे वे भाषण न दे सकें तो उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यह कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कि यदि भाषण न दे सके तो अखबारों में छपा दिया जाय और उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय। यहां राज्यपाल महोदय को भाषण नहीं देने दिया गया, वैसी हालत में उस भाषण की प्रतियां बांट कर यह १७६ की धारा का कम्पलायेन्स नहीं हो सकता। इस दृष्टि से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, संविधान की धारा १७६ और उसके आधार पर जो प्रेसीडेन्शियल व्यवस्था है धारा ८७ के अन्तर्गत, उस पर की गई कमेन्टरी के सम्बन्ध में दिलाना चाहूंगा। वह इस प्रकार है :

"The power conferred upon the President by the present Article, (I mean 87) which refers to the special address by the President, corresponds to the 'Speech from the Throne' in England. Though there was no precedent for any such speech under the Government of India Act, 1935, the opening address delivered by our first President shows that this power of the President will be utilised by the ministry. The President's speech will be the first authoritative pronouncement of the policy of the Government both domestic and foreign, after each general

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

election and also at the commencement of the first session of each year, which is usually the Budget session. Under the Rules of the House of the People, the Prime Minister or some other Minister on behalf of the Government has a right of reply during the discussion on the Opening Address.

This means that the head of the Executive will draw the attention of the House to important public events which require their attention.

The House cannot be said to be duly constituted until the members take their seat by taking oath and the Speaker is elected. The House is then ready to hear the 'opening address' and to proceed with the initial business of the session.'

अब यहां पर हाउस के रैडी होने के बाद भी उनका अभिभाषण पूरा हुआ नहीं।

"No public business can be taken up by the House until the session is opened by the President and the causes of its summons are declared. This English convention has been adopted in India. It means that on the opening day, no business is transacted before the President's address, other than the taking of oath by the members and the election of the Speaker".

श्री नाथूरामजी, यह कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट है, आपको समझ में नहीं आवे, तो भी मुझे कहने दीजिये। सुनिये मुझे, बातें मत करिये।

"In England it is not obligatory for the sovereign to read the Opening Speech in person, a question has been raised in India as to whether the President or a Governor can authorise another person to read his Opening Speech. The answer should be in the negative.

Even though the Opening Speech may embody the policy of the Government, the functions conferred by Art. 87 (1) or 176 (1) of our Constitution appear to vest the functions in the President or the Governor (as the case may be) personally. Art. 87 (1) is mandatory as contrasted with Art. 86 (1) which is enabling. Any other interpretation would render Art. 65 (2) of Art. 160 redundant. The opening Speech must, therefore, be delivered by the President personally. If he is temporarily indisposed, the date for the opening of the session should be fixed according to his convenience. If the illness is prolonged, the difficulty may be overcome only by allowing Art. 65 (2) to operate, in which case the Vice-President will discharge all the functions of the President during the period of illness, including the function in question.

Of course, in the States, there is no provision corresponding to Art. 65 (2); but there is Art. 160 to provide that it is for the President to provide 'for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
in this Chapter'. It follows, therefore, that if the Governor is unable to attend the State Legislature owing to absence, illness or otherwise, a proper order is to be issued by the President."

और इस तरह से करके यह डिसाइड किया है। यह है इन्टरप्रिटेशन इसका, जो मैं समझ पाया हूं। धारा १७६ मेन्डेटरी है, ओब्लीगेटरी नहीं है। १७५ ओब्लीगेटरी है। तो जब तक इसकी १७६ की कम्पलायेन्स नहीं होती तब तक इस सदन में कोई पब्लिक बिजनेस ट्रान्जेक्ट नहीं हो सकता। आप इसके लिये उड़ीसा १९५२, पेज ३२ देखा जा सकता है। इस पोइन्ट पर आप भी कन्विंस होंगे कि १७६ की पूरी कम्पलायेन्स न हो जावे तब तक हम आगे नहीं चल सकते। इसमें माननीय सदस्या (श्रीमती नगेन्द्र बाला) का तर्क काम नहीं आवेगा। यह अनकन्ट्रोवर्शियल है। कोई पब्लिक बिजनेस ट्रान्जेक्ट नहीं हो सकता, सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती यह हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन एनविसेज न की हो कॉन्स्टीट्यूशन फ्रेम करते समय कि राज्यपाल महोदय सदन में आवें और आने के बाद भी इस प्रकार की कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो जावे; यह तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। घण्टों तक दूसरी जगह हुआ है, देश की अन्य विधान सभाओं में हुआ है। जहां राज्यपाल महोदय को भाषण न देने दिया गया और ऐसी स्थिति पैदा हुई है।

अगर भाषण न देने दिया जावे और न बोल सकें तो सदस्यों के खिलाफ आप कुछ भी कार्यवाही करें, पर प्रश्न जो है यह है कि कॉन्स्टीट्यूशनल ओब्लीगेशन जो है वह डिस्चार्ज नहीं हुआ। इस धारा १७६ के अन्तर्गत कम्प्लायेन्स नहीं हुई। भाषण को ट्रीटेड एज् रेड कहने का मतलब है भाषण नहीं हुआ। मेरी इच्छा तो उस वक्त यह थी कि कॉन्स्टीट्यूशनल ओब्लीगेशन को पूरा किया जावे, पर इन ट्रेजरी बेन्च वालों ने उसे पूरा नहीं करने दिया और इसलिये यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करने का प्रश्न पैदा हुआ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कॉजेज् ऑफ समन न समझाये जावें, जब तक भाषण न दिया जावे, असेम्बली को एड्रेस न किया जावे और इन पर्सन न किया जावे तो यह जैसे कहा कि कॉपी सदन की मेज पर रख दी, कल जैसे कहा कि हाउस से इजाजत ले ली, तो मैं निवेदन कर दूं कि हाउस से इजाजत लेना भी भूल थी। जैसे लढ़ा साहब ने स्वयं ने कहा कि वह सेशन नहीं था...

श्री रामप्रसाद लढ़ा (उप-मंत्री, राजस्व) : सेशन नहीं, सिटिंग नहीं थी। सेशन नहीं था ऐसा नहीं कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, सिटिंग नहीं थी। तो मेरा यह कहना है कि जब वह हाउस की सिटिंग ही नहीं थी तो फिर वोटिंग नहीं हो सकता और वोटिंग नहीं हो सकता था तो वोटिंग से मामले तय नहीं कराये जा सकते थे। गवर्नर को अधिकार नहीं है कि वह रूल्स की तहत ऐसा करता। गवर्नर वोटिंग करा कर सस्पेन्शन नहीं कर सकता, एक्सपेल नहीं कर सकता, रूल्स रिलेक्स नहीं कर सकता, मोशन पेश नहीं कर सकता। उसको लिमिटेड ऑथोरिटी है। उस ऑथोरिटी के लिमिटेड फंक्शन्स हैं, लिमिटेड पॉवर्स हैं। गवर्नर को तीन अधिकार दिये गये हैं। वह समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डिजोल्यूशन

Page No. 44

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के लिये रिकमण्ड कर सकता है; इनके अलावा कुछ नहीं कर सकता ।

चौथा फंक्शन उसका है हाउस को एड्रेस करना । मैसेज भेजने का भी उसको डिस्क्रीशन है । पर १७६ में इन-पर्सन एड्रेस करना यह मेन्डेटरी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है ।

और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है । वह अलग चीज है । इसमें उसे नहीं लाना चाहता, न लाना चाहिये । पर प्रश्न यह है कि इस १७६ की कम्प्लायेन्स नहीं हुई । कॉजेज ऑफ समन्स नहीं बताये गये । और वे जब तक नहीं बताये जाते सदन का आगे का बिजनेस नहीं हो सकता । इसे आप टैक्निकल ऑब्जेक्शन कहिये, कुछ भी कहिये । वह ऑब्जेक्शन तो कॉन्स्टीट्यूशनल और टैक्निकल तो है ही । And that goes to the Govt. of the case and that must be paid due attention. इसलिये कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह दलील देना कि सदन की मेज पर उनके अभिभाषण की कॉपी रख दी गई, यह इसकी कम्प्लायेन्स है, ऐसा नहीं है । क्योंकि उनके स्वयं के कथनानुसार न वह सदन था, न सदन की मेज थी, मेज थी फिर भी नहीं थी, जैसे अध्यक्ष थे फिर भी नहीं थे । अध्यक्ष थे फिर भी अध्यक्ष नहीं थे । सदन की मेज थी फिर भी सदन की मेज नहीं थी इस एनॉलोजी के आधार पर उनका अभिभाषण नहीं रखा जा सकता था हाउस की टेबल पर । मेम्बर इसके लिये अधिकार नहीं दे सकते थे । क्योंकि वह ड्यूली कॉन्स्टीट्यूटेड मीटिंग नहीं थी । सदन की मेज पर रखा भाषण मदद नहीं कर सकता ।

यह हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन एन्विसेज न की गई हो । पर सिचुएशन ऐसी एराइज हो गई । तो इसका रास्ता निकालना पड़ेगा और कॉन्स्टीट्यूशनल वे में निकालना पड़ेगा । यों अपने तर्क देकर नहीं निकाला जा सकता । इसमें 'इन पर्सन' वर्ड यूज किया गया है, वे पर्सन में आकर भाषण दें । उसे तो आप मैसेज मानिये जिसे टेबल पर रखने की आप बात करते हैं उसे धारा १७५ में मानना होगा और १७५ के मैसेज पर कोई मोशन ऑफ थैंक्स नहीं आ सकता । यह अन-डिस्प्यूटेड कॉन्स्टीट्यूशनल पोजीशन है । १७६ का कम्प्लायेन्स नहीं हुआ तो मोशन ऑफ थैंक्स नहीं आ सकता, डिबेट नहीं हो सकती, पब्लिक बिजनेस ट्रान्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिये रूलिंग चाहते हैं । पहली रूलिंग का हवाला दिया । वह पहली रूलिंग किस लाइट में चैलेन्ज होती है ? सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है उसे रिवर्स किया है जब नया आउट-लुक और नया पोइन्ट ऑफ व्यू रखा गया तो । हिन्दुस्तान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों डिसीजन्स हैं जो उन्होंने रिवर्स किये हैं, जब नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं, नया व्यू पोइन्ट और नया दृष्टिकोण उनके सामने लाया गया है । इसलिये मैं चेन्ज्ड आउट-लुक में कहना चाहता हूं । उस समय जो कुछ हुआ, तथ्य यह है कि उस समय तो अपना भाषण बिना दिये छोड़ गये; भाग गये, नहीं कहता । जो भी कुछ हुआ, पर भाषण नहीं दिया उन्होंने । कॉजेज ऑफ समन हमें नहीं समझाये, यह टैक्नीकल बात है । लॉ के लिए मेन्डेटरी है, उसके कम्प्लायेन्स के बिना सारी सिटिंग्ज हैं ये इललीगल हैं, पब्लिक बिजनेस है वह ट्रान्जेक्ट नहीं हो सकता, मोशन ऑफ थैंक्स नहीं आ सकता जब तक कि उसकी कम्प्लायेन्स नहीं हो । इसलिये उसकी कम्प्लायेन्स कैसे कराई जाये, यह तो गवर्नमेन्ट के देखने की बात है, उनको दुबारा बुलायें

Page No. 45

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
या क्या करें, यह आप सोचें। मेरा तो टेक्नीकल और कॉन्स्टीट्यूशनल ऑब्जेक्शन है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो यह वाद-विवाद हो रहा है यह भी मैं समझता हूं कि एक हद तक दुर्भाग्यपूर्ण है। २६ तारीख को औपचारिक रूप से सदन को समन किया गया था वह किसी भी रूप से हुआ, लेकिन वह हुआ। राज्यपाल महोदय यहां आये, हम सब लोगों ने उनको देखा और औपचारिक रूप से वे आये, अपने आसन पर बैठे और उन्होंने यह इन्डीकेशन दिया; चाहे जो कुछ भी हालात हों, उन्होंने यह इन्डीकेशन दिया कि मेरा भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाये...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : कॉन्स्टीट्यूशन में 'पढ़ा' शब्द नहीं है 'एड्रेस' शब्द है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, 'टेकन एज रैड' एक कॉन्स्टीट्यूशनल शब्द है और उसका कनोटेशन और डिनोटेशन सारी जगहों में व्यक्त और सर्वमान्य है। अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों को पूरा करने के लिए ऐसे कॉन्स्टीट्यूशनल टर्म्स का प्रयोग किया जा सकता है। मैं इधर, इस पक्ष के माननीय जो मेरे साथी हैं, उनके साथ मेरी बड़ी सहानुभूति है लेकिन वह सहानुभूति हम कई दूसरी तरह से प्रकट कर सकते हैं। लेकिन यह एक क्षण भर के लिए भी मैं सोचने के लिये तैयार नहीं हूं कि अगर हम यह इच्छा करें कि राज्यपाल महोदय फिर यहां आयें और फिर इस असेम्बली को एड्रेस करें। मेरे ख्याल से यह होना सर्वथा अनुचित होगा और हम इस सदन को और राज्यपाल महोदय को यह इम्प्रेशन नहीं कन्वे करना चाहते हैं, यह भावना नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि हम हर तरह से दिक्कतें उनके सामने पेश करके उनकी पोजीशन को एम्बेरेस करें। मेरे ख्याल से हमारे संविधान के अन्दर उस लैटर और स्प्रीट दोनों को देखें, तो ऐसी दिक्कतों के मौकों को हल करने के लिये मेरे ख्याल में यह सदन ही समर्थ है। आपकी व्यवस्था जो कुछ भी होगी वह तो सर्वमान्य होगी, लेकिन मेरा यह पुनीत कर्तव्य है कि, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके हाथों को भी मजबूत करके यह कहूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो सर्कुलेट हो चुका है जो उन्होंने 'टेकन एज रेड' मान लिया है, वह मेरे ख्याल में 'टेकन एज रैड' माना जाकर के इस ऑगस्ट हाउस, इस असेम्बली, इस सदन की कार्यवाही चालू रखना, मैं समझता हूं कि आवश्यक है।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) :— माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल १७४ और १७५ से यह पोजीशन कवर नहीं होती है और मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि आर्टिकल १७६ के तहत गवर्नर साहब अपने कॉन्स्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन को पूरा करने आये। वे वहां से चले, सदन में दाखिल हुए, सदन में आकर बैठे और सदन में बैठने के बाद उन्होंने एड्रेस जारी किया, 'मित्रों' कहकर एड्रेस को जारी किया। सवाल यह है कि उसके बाद

(श्री बरकतुल्ला खां)

में जो ऑब्जेक्शन उठाया गया वह यह उठाया गया था कि उनका जो बाकी का जो पोर्शन उन्होंने नहीं पढा उसको 'टेकन एज रेड' माना जाये या नहीं। सवाल यह है कि जब वे आये, उन्होंने एड्रेस किया तो उन्होंने कहा और कॉजेज ऑफ समन नहीं बताये कि क्यों उन्होंने इस हाउस को बुलाया...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नहीं बताया।

श्री बरकतुल्ला खां : जब वे शुरू में बोले...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कॉजेज ऑफ समन्स शुरू में नहीं आते हैं, लास्ट में आते हैं। आप बता दीजिए कौनसा पैराग्राफ पढा है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : There was a visible attempt to address the house.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is correct, I agree. But the question is whether saying in the House that the Address be taken as read is a sufficient compliance of the Articles of Constitution. I want a ruling, Sir, whether by saying that the address be taken as read is sufficient?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): संविधान के अन्दर 'एड्रेस' शब्द यूज किया है। "Address" does not mean "reading." Address is altogether a different thing.

श्री बरकतुल्ला खां : As I was saying, he addressed the House. There is no difference of opinion between any side of the House. He came and addressed us. After having addressed us the question arose and the question arose because of the disturbance in this hall, disturbances which were created outside this hall, disturbances which were continued and determined disturbances created by certain members of this House, still then the Governor maintained his position and read the last two paragraphs.

श्री अध्यक्ष : हिन्दी में बोलें।

श्री बरकतुल्ला खां : सतीशचन्द्रजी अंग्रेजी में बोले, इसलिये उसका जवाब दे रहा था।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : हिन्दी में बोलें या उर्दू में बोलें।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ कोटेशन्स ही अंग्रेजी में पढें और बाकी सारा हिन्दी में बोलें।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने अर्ज कर रहा था कि राज्यपाल महोदय ने अपना एड्रेस शुरू किया और वे बोले। बोलने के बाद जब डिस्टरबैंसेज हुए तो उनका एड्रेस रुका और उसके बाद में हाउस में उन्होंने वोट लिया। जो कुछ पूछा उन्होंने, उसको मैं, हालांकि, वोट नहीं मानता हूं, मैं यह मानता हूं कि वे हाउस के मेम्बर्स की मंशा जानना चाहते थे कि इस एड्रेस को कम्प्लीट किया जाये या 'एज रेड' माना जाये। न तो वोटा लिया...

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : वोट लिया, हाथ उठाया और आपने भी हाथ उठाया।

श्री बरकतुल्ला खां : सिर्फ इसलिए कि लोगों की इच्छा जानें। यह नहीं था कि 'हां' पक्ष बोले या 'ना' पक्ष बोले। न यह था कि 'हां' पक्ष जीता और 'ना' पक्ष हारा। केवल इतनी बात थी कि जो मेम्बर्स यहां पर जमा हुए थे, उनकी इच्छा क्या है। क्या मेम्बर्स यह इच्छा प्रगट करना चाहते थे कि डिस्टरबेंसेज हों और पुलिस का मामला हो। ....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मेम्बर्स की इच्छा कोई वकत नहीं रखती। कॉन्स्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन उनके ऊपर है।

श्री बरकतुल्ला खां : उन्होंने अपना कॉन्स्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन पूरा कर दिया जिस समय वे आये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह पूछने से नहीं होता।

श्री बरकतुल्ला खां : वे बोले और एड्रेस किया।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आप लॉ मनिस्टर हैं। It does not confer to the jurisdiction of the court.

आप यह कह दें कि इस कोर्ट से जुरिस्डिक्शन हो तो भी नहीं होता। आप लीगल पोजीशन को रियलाइज कीजिए। लेकिन आप कह दें कि आप भाषण मत पढ़ें, हमने पढ़ा हुआ मान लिया। १७६ मेम्बर्स कह दें तो आप कहें कि कम्पलायेन्स हो गई, मैं फिर भी कहूंगा कि नहीं हुई।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं तो कहूंगा कि वोट नहीं माना। उन्होंने एड्रेस किया, बोला, 'मित्रों' उसके बाद में जब कुछ घटनायें हुईं उनको खुद अधिकार था यह कहने का कि मेरा address be taken as read.

लेकिन उनके लिए उन इच्छाओं को जानना जरूरी नहीं था, उनके लिए मेम्बरों की इच्छाओं का जानना ज्यादा रिलेवेन्ट नहीं था उस वक्त। मैं मानता हूं कि यह रिलेवेन्ट नहीं था उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेम्बरों की इच्छा जानने के लिए सिर्फ यह पूछा और उसके अन्दर हमें खुशी है कि सदन के अपोजीशन के नेता ने, सदन के नेता ने और सभी लोगों ने यह कहा और मैं जहां तक समझता हूं उनके मन में भी यह था कि सिचुएशन इससे ज्यादा नहीं बढ़े, इसलिए उन्होंने अपने कॉन्स्टीट्यूशनल, राज्यपाल के अपने कॉन्स्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन पूरे किए और इससे पूरे हुए। कॉन्स्टीट्यूशन में यह नहीं लिखा है कि He will read the full address. कॉन्स्टीट्यूशन में यह नहीं लिखा है कि जब वे अपना एड्रेस करेंगे तो उसको लिखा जाएगा, जैसे यहां पर स्टेनोग्राफर जो कुछ हम बोलते हैं उसको लिखते हैं, उसी तरह से उस एड्रेस की रिपोर्ट लेंगे, बल्कि उसे टेबल ऑफ दी हाउस पर रख दिया जाता है और उसके बाद डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है। उसी तरह से यहां पर भी किया गया। फॉर्मल एड्रेस के लिए सम्मन किया गया, फॉर्मल एड्रेस दिया गया, फॉर्मल तरीके से ही शुरू हुआ और फॉर्मल तरीके से ही एड्रेस खत्म किया गया और उस एड्रेस को देने के बाद उसे टेबल आफ दी हाउस पर रख दिया गया।

ऐसी एक मिसाल हमारे सामने बंगाल की मौजूद है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी मिसाल हमें और कहीं नहीं मिली, जहां कि इस प्रकार की सिटिंग के अन्दर इस तरह की

Page No. 48

(श्री बरकतुल्ला खां)

सिचुएशन को डील करना पड़ा हो। इस लिए इस तरह के इंस्टान्सेज न तो मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में हैं, न यू. के. के प्रोसीजर में है और न सेन्टर के प्रोसीजर में हैं। अगर कहीं इस तरह के इंस्टान्सेज हुए हैं तो दो जगह हुए हैं। एक तो बंगाल में और दूसरा राजस्थान में। इसलिए अगर कोई चीज हमें गाइड कर सकती है कोई रूलिंग गाइड कर सकती है तो वह बंगाल की रूलिंग ही है। बंगाल के अन्दर जब गवर्नर का एड्रेस हुआ, जब गवर्नर बोलने लगा, तब उसके ऊपर गड़बड़ हुई थी और उस वक्त यह माना गया था कि it may be taken as read and it was accepted as read.

तो इसकी रूलिंग आलरेडी मौजूद है। या तो मुझे कोई रूलिंग बताई जावे कि एक तो जो बंगाल में एड्रेस हुआ और उसके अन्दर जो अध्यक्ष ने रूलिंग दे दी और अब जो राजस्थान में केस हुआ है उसके अन्दर उसके खिलाफ कोई रूलिंग दी जा सकती हो। लेकिन...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह रूलिंग पढ़ कर सुनाइये।

श्री बरकतुल्ला खां : यह तो दुनियां को मालूम है, अखबारों में आई है, इस पर तो लेख लिखे गये हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह रूलिंग तो स्पीकर ने दी थी, गवर्नर ने तो नहीं दी थी।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि उनके जो कॉन्स्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन्स थे अण्डर सेक्शन १७६, वे उन्होंने पूरे कर दिए, अब उसके ऊपर कोई ऑब्जैक्शन नहीं किया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वहां के गवर्नर ने कितना पोर्शन पढ़ा, कॉजेज ऑफ सम्मन समझाया या नहीं। मैं यह कहता हूं कि यहां पर रिपोर्टिंग हुआ नहीं है, यहां पर रिपोर्टर्स थे नहीं। जो समाचार आया है उस दिन की सारी मीटिंग का उसमें पोजीशन यह थी। मैं आपको २७ फरवरी का टाइम्स ऑफ इण्डिया ...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह अखबार के कटिंग की क्या ऑथेंटिसिटी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने लोक सभा में देखा है, पेपर्स के आधार पर प्रश्न रखे जाते हैं। हमारी डिबेट को आप हल्का मत करिए। इसके लिए हम बाउंड नहीं हैं। इसको तय करने का काम अध्यक्ष महोदय का है। आप अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दिमाग तो खुला ही है। सिम्पली कटिंग से आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अखबारों पर क्यों जाते हैं, अखबारों से ज्यादा तो आप और हम यहां बैठे थे, आप और हम ज्यादा जानते हैं कि क्या हुआ था। आप जो बोलते हैं वह ज्यादा सही है, आप अखबारों को क्यों पढ़ कर सुनाते हो?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा है, नाथूराम साहब, आपको अखबारों से चिढ़ क्यों है? आप नहीं पढ़ना चाहें तो मत पढ़िए। मुझे तो पढ़ने दीजिए। आप घर में न पढ़ें तो नहीं पढ़िए, मुझे तो पढ़ने दीजिए। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि संडे के टाइम्स ऑफ इंडिया में यह निकला है :

"The trouble started as soon as the Governor rose to address the House. The ejected members made it impossible for the Governor to deliver his address."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

थोड़ा आगे जाकर लिखा है :

"The Governor rose to speak after all the doors of the House had been closed. But even this was of no avail.

इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ।

"The Governor sensing that trouble would continue suggested that the address should be considered as having been read out."

आखिर में लिखा है :

"The Governor asked the members to vote and then sat down after reading out the last paragraph"

अब यह लास्ट पैराग्राफ जो इसमें है उसमें कॉजेज ऑफ सम्मन नहीं है । जो कॉजेज ऑफ सम्मन का पैराग्राफ नहीं पढा गया है तो वह पढा जाना जरूरी था । वैस्ट बंगाल में जो हुआ तो वहां कितना पोर्शन पढा गया यह माननीय सदस्यों को बतलाया जाना चाहिए था । लॉ मिनिस्टर को हाउस में तैयार होकर आना चाहिए और पूरी तैयारी से बोलना चाहिए था कि वैस्ट बंगाल की एसेम्बली में इतना पोर्शन पढा गया । एक पैराग्राफ छूट गया या दो पैराग्राफ छूट गये, क्या हुआ यह बताना चाहिये था। There are no causes of summons. उनको कॉजेज ऑफ सम्मन समझाना चाहिए था, केवल मात्र सदस्यों से कह देने से या सदन की मेज पर रख देने से एक्वीजीशन्स जूरिस्डिक्शन कन्फर नहीं करता है । इसलिए मैं कहता हूं कि यह मेम्बर्स का राइट है कि उनको कॉजेज ऑफ सम्मन बताया जाय.............

श्री बरकतुल्ला खां : यह ज्यादा रिलेवैन्ट नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए यह कहना कि मेम्बर्स की विश के आधार पर सदन की मेज पर रख दिया गया तो यह गलत है । सवाल यह है कि क्या उनका अपना एड्रेस सदन की मेज पर रख देना और केवल लास्ट पैराग्राफ पढ देना जिसमें कि कागज ऑफ सम्मन नहीं है . . .

(राज्य पक्ष की ओर के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा "दो पैराग्राफ" का संकेत)

नहीं लास्ट पैराग्राफ ही पढा गया है, केवल लास्ट पैराग्राफ ।

अध्यक्ष महोदय, फिर यह भी डिस्प्यूट का सवाल खड़ा हो जाता है कि उन्होंने लास्ट पैराग्राफ ही पढ़ा या दो पैराग्राफ पढे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : लास्ट के दो पैराग्राफ पढे हैं । पैरा ५६ और पैरा ५७ पढा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस हाउस में इस फैक्ट पर और कोई सच बोलने वाला नहीं है, वह तो इस "सत्यमेव जयते" के नीचे बैठने वाले आप ही हैं, आप (श्री अध्यक्ष की ओर मुखातिब) कह दीजिए कि लास्ट का पैरा पढा या दो पैराग्राफ पढे; काजेज आफ सम्मन पढ दिया या नहीं? आप इस फैक्ट को डिसाइड कर दीजिए, हम मान लेंगे जो कुछ भी आप कहेंगे । इन लड्ढा साहब या आचार्य साहब के कहने से सत्य नहीं बदल जाता ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : यह अध्यक्ष महोदय का प्रश्न नहीं है, फैक्ट की बात है ।

Page No. 50

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी तरह से नहीं हूँ ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों तरफ से हूँ, आपकी तरफ से ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हीराभाई ने जो यह आपत्ति . . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब, नहीं; यह तो बाद में . . . . .

श्री अध्यक्ष : सारी बात कह देता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पहले इस बात को बता दीजिए कि लास्ट पैराग्राफ पढा गया या लास्ट के दो पैराग्राफ पढे गए? आप पहले इसकी रूलिंग दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : अगर निर्णय करने के लिये आवश्यक होगा तो मैं वह भी कह दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि आप भी झूठ बोलने का साथ दे रहे हैं । वह पैराग्राफ नहीं पढा गया । आप रूलिंग दे दीजिए, हम संतुष्ट हो जायेंगे । दुनिया को मालूम हो जाएगा कि कॉन्स्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन से बचने के लिए ट्रेजरी बेंचेज वाले झूठ बोलते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप से ज्यादा तो कतई नहीं बोलते ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों द्वारा सदन के समक्ष यह आपत्ति उठाई गई है कि जो श्री फूलचन्द जैन धन्यवाद का प्रस्ताव श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कर रहे हैं उसे नहीं करने दिया जाय, क्योंकि जो हमारे संविधान में प्रावधान है उसके मुताबिक जो राज्यपाल महोदय को अभिभाषण देना चाहिये था वह उन्होंने नहीं दिया और इस संबंध में बहस के दौरान काफी तथ्य, कानूनी तथ्य, सदन के समक्ष रखे गये । राजस्थान में पहले भी इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी जबकि राज्यपाल महोदय अस्वस्थ थे और वे स्वयं सदन में आकर अपना अभिभाषण पढने की स्थिति में नहीं थे, इसका संकेत सरकारी पक्ष ने किया । इसका संबंध आज की स्थिति से भी है क्योंकि उस समय सवाल आया था कि जो प्रश्न एड्रेस का है, लिखा हुआ भाषण भेज सकते हैं, उसको एड्रेस माना जायगा या नहीं ? एक विचार उस समय यह था कि एड्रेस का मतलब है, उसमें आवश्यक है कि राज्यपाल महोदय व्यक्तिगत तौर से सदस्यों के सामने आवें और अपना अभिभाषण पढें । इसलिये उस सदन में जो कार्यवाही करने की थी उसको राज्यपाल म ोदय ने आगे रखा और राज भवन में माननीय सदस्यों को बुलवाया, आह्वान किया कि वहां आकर अभिभाषण सुनें । फिर भी वे अस्वस्थ थे, थोड़ा हिस्सा पढ सके, बाकी नहीं पढ सके । लेकिन क्योंकि वे वहां पर उपस्थित थे इसलिये यह माना कि सारा भाषण उन्होंने नहीं पढा है, फिर भी यह माना जायगा कि वह पढ लिया गया । सारी बात को ध्यान में रखते हुए जो कार्यवाही संविधान की धारा १७६ के अन्तर्गत की गई, उसमें लिखा है कि जो भाषण है इस तरह से पेश किया जायगा । आज की कार्यवाही में ऐसा बताया गया कि जो सम्मन भेजने का कारण है वह नहीं बताया गया संविधान की धारा १७६ (१) के अन्तर्गत राज्यपाल भाषण देंगे, वह किस प्रकार भाषण होगा, १७६ (२) के अनुसार यह कार्यवाही आज चल रही है ।

जब २६ तारीख को राज्यपाल आये और उन्होंने भाषण करना शुरू किया, माननीय सदस्यों का कहना है कि पिछला एक भाग पढा या सम्पूर्ण तरीके से नहीं पढा, इसलिये पढा हुआ नहीं माना जा सकता, संविधान की धारा

(श्री अध्यक्ष)

१७६ (१) में जो प्रावधान है उसका पालन नहीं हुआ, इसलिये यह कार्यवाही आगे नहीं चलाई जाय। मेरी मान्यता है कि जो पुरानी मान्यता है उसको ध्यान में रख कर राज्यपाल महोदय यहां आये और अस्वस्थता के कारण या अन्य कारणों से सारे भाषण को नहीं पढ सके, कम पढा, कितना कम पढा इसके क्वान्टम में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी मान्यता है कि अस्वस्थता के कारण या और कारणों से भाषण नहीं पढ सके तो भी १७६ (१) में उसको पूरा पढा माना जायेगा। यह उस समय की व्यवस्था थी और आज की भी है।

अब प्रश्न यह है कि कॉजेज ऑफ समन्स नहीं बताए क्योंकि भाषण पढ कर नहीं सुनाया, इसलिए जो धारा १७६ (१) का मतलब है, कॉजेज ऑफ समन्स के बारे में सदस्यों को बतलायेंगे, उसकी पूर्ति हुई है या नहीं; इस संबंध में प्रश्न उठता है, कॉजेज ऑफ समन्स किस रूप में होने चाहिये। जिस अभिभाषण के संबंध में आपत्ति उठी उसमें संभवत: इतना नहीं लिखा था कॉजेज ऑफ सम्मन्स के लिए कि अमुक अमुक बातों के लिये माननीय सदस्यों को बुलाया है। उस समय यह व्यवस्था दी गई थी कि कॉजेज ऑफ समन्स का विशेष रूप हो जिसके अन्दर कहा जाय इसलिए बुलाया गया। कॉज ऑफ समन्स नहीं बताया गया। उस समय राज्यपाल ने अभिभाषण दिया उसके बारे में यह व्यवस्था दी गई थी कि कॉज ऑफ समन्स माना जाना चाहिए और भाषण देने से संविधान की धारा १७६ की पूर्ति हो गई, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए अब जो सवाल आया है कि एक पैराग्राफ पढा गया था, दो पैराग्राफ पढे गए, इस पर व्यवस्था दी जाय; यह आवश्यक नहीं। कॉज ऑफ सम्मन्स का विशेष प्रावधान है कि इस संबंध में कॉज ऑफ सम्मन्स बतायेंगे। एक सामान्य परम्परा है अभिभाषण देने की और उस पर सदन धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद-विवाद करे और इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी मान्यता है कि जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया, जितना भी दिया, जो व्यवस्था हुई, जो बात मानी जानी चाहिए वह यह है कि संविधान की धारा १७६ के अन्तर्गत जो वैधानिक तरीके से भाषण देने के संबंध में काम करना चाहिए था, वह पूरा हुआ है। इस व्यवस्था के साथ जो आपत्ति उठाई गई है उसको मैं अस्वीकार करता हूं और श्री फूलचन्द जैन को अपना भाषण जारी करने की अनुमति देता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो आपकी व्यवस्था हो गई, अब तो बता दीजिए कि एक पैराग्राफ पढा या २ पढे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो केवल यही कहने की स्थिति में हूं कि राज्यपाल महोदय ने कुछ भाषण शुरू का और कुछ भाषण अंत का पढा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो कनिंगनेस है कहने की। अंत का पढा गया।

(१.३७ म. प.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं उस पर वाद-विवाद

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : [धन्यवाद प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"]

(श्री फूलचन्द जैन)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले एक साल में क्या परिस्थिति गुजरी, किस प्रकार हमारी सरकार ने काम किया, इन सब बातों पर जब विचार करते हैं तो मैं यह समझता हूं कि इन सब बातों पर विचार करने से पहले हमें राजस्थान के अन्दर किस प्रकार के वातावरण में सरकार किस प्रकार की परिस्थिति से गुजरी है, राजस्थान और सारा देश पिछले अर्से में जिस परिस्थिति में से निकला है, उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना होगा।

दुर्भाग्य से इस वर्ष के अन्दर हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री लालबहादुरजी शास्त्री, जिन्होंने सिर्फ १८ महीनों के अन्दर इस देश की शासन-व्यवस्था को चलाने में जिस कुशलता का परिचय दिया, जिस प्रकार से हमारे यहां पर, हमारे इस देश पर पाकिस्तान ने आक्रमण करके हमको चुनौती दी, उस वक्त की परिस्थिति के अन्दर जिस प्रकार से इस देश का नेतृत्व उन्होंने किया और उसके बाद जब सारे विश्व ने यह देख लिया कि हिन्दुस्तान जो शान्ति की बात करता है, जो अहिंसा में विश्वास रखता है, जो सत्य में विश्वास रखता है, उसके बारे में जो एक गलतफहमी जो बाहरी देशों में पैदा होने जा रही थी या पैदा हो गई थी कि यह देश कमजोर है इसलिए अहिंसा की बात करता है, शान्ति की बात करता है, वह गलतफहमी दूर हो गई। वक्त जब आया, देश को ललकारा हमारे पोड़सी देश ने तो हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हमने यह भी दिखा दिया कि हिन्दुस्तान शान्ति रखना जानता है और वक्त आने पर यदि विवश किया जाय तो लड़ाई करना भी जानता है और देश की रक्षा करना जानता है।

माननीय अध्यक्षजी, इसके बाद फिर जब अन्य देशों ने यह संकेत दिया और खास कर हमारे मित्र देशों ने इस बात का प्रयास किया कि आपसी विवाद आपस में शान्तिपूर्वक बैठ कर सुलझाने चाहिए तो उस समय भी ताशकन्द के अन्दर जो वार्ता वहां पर दोनों देशों के बीच में हमारे एक मित्र देश के निमंत्रण पर हुई और उसमें स्व. शास्त्रीजी ने जिस सुन्दर तरीके से देश की भावनाओं को, देश की प्रतिष्ठा को, देश के लोगों की इच्छाओं को, जो वहां पर प्रदर्शित किया उससे दुनिया को यह बता दिया कि हिन्दुस्तान किसी भी प्रकार की परिस्थिति के अन्दर अपने उसूलों से पीछे नहीं हटने वाला है और अपने सिद्धान्तों पर, अपनी नीति पर हर प्रकार की परिस्थितियों के अन्दर दृढ़ रह कर आगे चलने वाला है। यह एक दैव संयोग या दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में जब एक तरफ ताशकन्द का समझौता हुआ हमारे प्रधान मंत्री हमारे बीच में से उठ गए। देश को जबर्दस्त आघात पहुंचा इस घटना से।

इस सारी परिस्थिति के अन्दर अपने राजस्थान के अन्दर जो कुछ भी हालात गुजरीं–मैं संक्षेप में उनका विवेचन करना चाहता हूं। वैसे आम तौर पर राजस्थान के अन्दर लगभग करीब-करीब प्रत्येक वर्ष बरसात की कमी रहती है और अकाल के कारण से राजस्थान के कभी थोड़े हिस्से में और कभी ज्यादा हिस्से के अन्दर राजस्थान-वासियों को भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ता है। अकाल की इस स्थिति से जहां अकाल के अन्दर हमारे राजस्थान-वासियों को विभिन्न प्रकार की

(१.४१ म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मुसीबतों का सामना करना

(श्री फूलचन्द जैन)

पड़ता है वहां दूसरी ओर वर्षा की कमी से, विद्युत् की कमी हुई, खाद्य के उत्पादन पर ही इस का असर पड़ता है। और इन सब बातों के साथ साथ इस प्रकार की परिस्थितियों के अन्दर राज्य की वित्तीय स्थिति के ऊपर भी असर पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को अगर हमें गम्भीरतापूर्वक ध्यान में रख कर राजस्थान की खाद्य समस्या है, चाहे अकाल की समस्या है, चाहे विद्युत् की कमी से हमारे औद्योगीकरण की तरफ रुकावट पैदा होने की समस्या है और इससे सम्बन्धित जो दूसरी समस्याएं पैदा होती है—वे समस्याएं पैदा हैं। उन पर इस पृष्ठ भूमि को ध्यान में रख कर विचार करना होगा, तभी हम सही तरीके से आज जो हालत है उनका क्या समाधान हो सकता है—एक सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य की आर्थिक स्थिति, खाद्य समस्या या दूसरी ओर जो राजस्थान के अन्दर परिस्थितियां हैं; इन सब परिस्थितियों के बावजूद जो प्रगति हुई है, विकास के काम हुए हैं उनकी चर्चा करने से पहले मैं एक दूसरी दिशा की ओर माननीय सदस्यों का, आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज आम तौर पर हम देखते हैं कि जो भी काम किये जाते हैं, कोई भी कदम उठाए जाते हैं उनका आधार यह बताया जाता है कि हमको लोक-तन्त्र की सुरक्षा रखनी है, हमको हमारे विचार स्वातन्त्र्य की रक्षा करनी है, हम खास तौर से जो विरोधी पक्ष में बैठते हैं, हम लोगों के सामने आज की इस व्यवस्था के अन्दर यह चारा है कि हम अमुक प्रकार से हमारे विचार या हमारे विरोध का प्रदर्शन करें।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन-चार दिनों के अन्दर जो इस सदन के अन्दर चर्चाएं हुई उन चर्चाओं में नहीं जाना चाहता, परन्तु मैं सबसे अधिक अगर चिन्तित हुआ तो इस बात से कि आदमी किन्हीं भी परिस्थितियोंवश अगर किसी प्रकार का गलत काम करता है तो भी लोकतंत्र की आड़ के अन्दर उसकी सफाई देने की कोशिश करता है और फिर कहता है कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमको इस प्रकार से करना ही होगा। मैं समझ नहीं पाया और मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि लोकतंत्रीय व्यवस्था को अगर हम ठीक प्रकार से समझें तो मैं यह समझता हूं कि इस व्यवस्था के अन्दर किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए किसी प्रकार से भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य, खास तौर से विरोधी पक्ष के भाई-मैं सबके लिए नहीं कहता, परन्तु विरोधी पक्ष के कुछ भाई यह कहते हैं कि हम एक लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहां पर उनकी तरफ से निर्वाचित होकर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और जब हमारी कोई बात नहीं सुनता है तो हमको हर प्रकार से हमारे विरोध का, हमारे विचारों का प्रदर्शन करना ही पड़ता है और हमारे सामने कोई चारा नहीं रहता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस प्रकार के तर्कों को सुनता हूं तो मुझे हैरानी होती है और यह इच्छा होती है कि इन भाइयों को यह समझाया जाय कि आप अगर इस लोकतंत्रीय व्यवस्था को ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करें तो जो भी आप चाहते हैं, सब प्रकार के समाधान इसमें निहित हैं। इस सदन की कार्य-

(श्री फूलचन्द जैन)

व्यवस्था है उससे मैं समझता हूं, सब माननीय सदस्य अवगत हैं। हम देखते हैं कि सदन के अन्दर जो भी हमारे विचार हैं उनको हम स्वतंत्रतापूर्वक यहां पर रखते हैं, और इसके साथ साथ सदन के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्थायें हैं कि अगर हम और अधिक गहराई में जाना चाहते हैं और जो समस्यायें हैं, जो ऐसी कमियां हैं कि जिनके होते रहने से प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो सकता है या जिससे आम जनता को नुकसान हो सकता है, राज्य को नुकसान हो सकता है, सरकार जिसे ठीक प्रकार से चला सकती है वह नहीं चलाती है, उन सबको रखने के उपाय हैं, उन सबको किस प्रकार दुरुस्त किया जाय, इसके साधन यहां उपलब्ध हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूं कि मेरे अपने अनुभव से जो कुछ मैं अब तक देख पाया हूं, मैंने यह महसूस किया है कि इस लोकतंत्रीय व्यवस्था का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया जाता है और जिस प्रकार से उसका दुरुपयोग किया जाता है, उसका प्रदर्शन, मैं एक तरफ देखता हूं। परन्तु उस लोकतंत्रीय व्यवस्था के अन्दर कितने शानदार तरीके से चाहे वह ट्रेजरी बेंचेज की तरफ बैठने वाले सदस्य हों, चाहे विरोधी पक्ष में बैठने वाले सदस्य हों, काम कर सकते हैं इसे गहराई से समझने को बहुत कम कोशिश करते हैं। आज कौनसा ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है, कौनसी ऐसी व्यवस्था इस लोकतंत्रीय व्यवस्था के अन्दर नहीं है कि जिसके माध्यम से हम अपने विचारों के अनुसार अपना योगदान इस व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए नहीं दे सकते ? कहते हैं कि सरकारी पक्ष के लोग अपने बहुमत के आधार पर जो चाहें वह करते हैं और हमारी बात नहीं सुनते हैं इसलिये हमको हर प्रकार से हमारे विचारों का प्रदर्शन करना पड़ता है। मैंने इस लोकतंत्रीय व्यवस्था का और इसके अन्तर्गत जिस प्रकार से हमारी विधान सभा और विधान सभा के अन्तर्गत जो दूसरी समितियां हैं उनके जो कार्य हैं—उनका अध्ययन करने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं अगर हम ईमानदारी से हमारे कर्त्तव्य को निभाना चाहते हैं, अगर हम रचनात्मक तरीके से इस शासन व्यवस्था को ठीक से रखना चाहते हैं, अगर हम ईमानदारी से अपने विचारों का शासन-व्यवस्था के अन्दर प्रवेश करके और अपना योगदान देकर अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, विरोधी पक्ष के सदस्य भी कर सकते हैं। और मैं इसके लिए उनसे निवेदन करूं कि यदि हम अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश करें तो यह समझ में आ सकता है। अब समझ में आपके चीज क्यों नहीं आ सकती ? उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न हमारे सामने यह है।

मैंने यहां पर देखा, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन-चार दिनों के अन्दर जो कुछ यहां बहस-मुबाहिसा हुआ उसके अन्दर, जब राज्यपाल महोदय यहां पर पधारे अपना अभिभाषण देने के लिए और उस समय में जिस प्रकार का प्रदर्शन हमारे विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य भाइयों ने किया-मैं यह समझता हूं कि अगर ठण्डे दिल से सोचें, जो कि सोचना चाहिए या किसी को भी कहा जाय कि यह घटना हुई है तो तुम इस पर अपने विचार बताओ कि यह क्या हुआ है; तो वह यह कहेगा कि इससे अधिक शर्म और खेद की बात हो नहीं सकती है जो उन्होंने किया है। तो कहते हैं कि हमारी बात सुनो। मैं कहता हूं कि आपकी बात नहीं सुनी, आप आज

(श्री फूलचन्द जैन)
लोकतन्त्र की रक्षा की बात कहते हैं और आप उच्च आदर्श की बात कहते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर बातें कहने की कोशिश की और उसके बाद में व्यवस्था हमारे राज्यपाल महोदय ने दी, चाहे संवैधानिक दृष्टि से उसका जो कुछ भी परिणाम होगा यह अलग प्रश्न है। पर क्या हमारा यह कर्त्तव्य है कि चाहे गलत आदेश हो, चाहे सही आदेश हो एक आदेश को पालन करना हमारा कर्त्तव्य है। मगर यहां पर हठधर्मी की तरह बेंच के नीचे घुस गये और जो सार्जेन्ट हमारे यहां बिठाया गया है....

श्री बोर्धासह चौहान (गिरवां) : यह तो पुरानी बात हो गई, दूसरी बात कहें।

श्री फूलचन्द जैन : आप सुनिये और समझने की कोशिश करें, अभी तो कई बातें आवेंगी।

(घंटी)

तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी ने यह नहीं कहा कि हमने इस प्रकार की हरकत की और वे हरकतें भी की और फिर कहते हैं कि हम कुछ बोलना चाहते थे और इसलिये हमें यह करना पड़ा। मैं यह कहूंगा कि आप फिर आज आकर जिस प्रकार से बोल रहे हैं उस प्रकार से अपनी बातों को यहां प्लीड करते। और लोकतन्त्र की सभी चीजें ऐसी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो सिर्फ कहने में नहीं आ सकती और उनको जहां तक हो हृदय में उतारी जाती हैं। कहां तक उतारी है, उसके अनुसार हो हम अपनी बातों का असर दूसरों पर डाल सकते हैं और उसके अनुसार दूसरों को कार्य करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, मेरे जो भाई यहां पर बैठे हैं, कहते हैं कि ये तो पुरानी बातें हो गई हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई बातें ऐसी होती हैं जो घटनाएं घटने के बाद में अपना स्थान इतिहास में बना लेती हैं। इसलिये इस बारे में हमें शांतिपूर्वक सोचना होगा कि हमारा इतिहास ऐसा नहीं बने जिससे कि आगे आने वाले लोग इस इतिहास को पढ कर यह कहें कि हमारे पूर्वज इस प्रकार के इतिहास के निर्माण करने वाले लोग हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया?

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में विशेष तौर से कुछ कहना नहीं चाहता। जहां तक कॉम्युनिस्ट पार्टी का प्रश्न है, यह स्पष्ट हो चुका है कि कॉम्युनिस्ट पार्टी का सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार का रवैया रहा है कि इस देश में किसी भी प्रकार से जितनी भी अव्यवस्था पैदा हो सकती हो करने की कोशिश की जावे मैं इनके बारे में अधिक कुछ नहीं कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिये गंभीरता से सोचने की बात है कि इस प्रकार की और भी पार्टियां मौजूद हैं जो उनको आज इस प्रकार से प्रोत्साहित करती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी के लोग जो लोकतन्त्र और समाज वाद में विश्वास करते हैं, वे जो भी हुआ है और जो कुछ उन्होंने किया है उसके लिये अपने आप महसूस करते होंगे कि आया वह सही था या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं वे सब के सामने हुई हैं

(श्री फूलचन्द जैन)

और हमको यह मान कर चलना होगा कि जो लोग -उनको देखते हैं, जो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, सक्षम हो चुके हैं; पर मैं उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी को डा० राममनोहर लोहिया ने भाषण में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है और उस पर कमेन्ट्स करते हुए आचार्य कृपलानी ने जो कुछ कहा वह मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं । डॉ० राममनोहर लोहिया के भाषण की आलोचना करते हुए आचार्य कृपलानी कहते हैं; समाजवाद मार्क्सवाद का घोल है, गांधीवाद का झोल है, और विनोबाजी का बघार है । उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी दल जो अपने आप को समाजवाद का एक मात्र प्रतीक बताते हैं उसका एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उसका एक सेन्टेन्स बता देना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे सारी शक्ति राज्य के हाथों में सिमटती जा रही है । समाजवादी दल यह कहे कि धीरे धीरे सारी शक्ति राज्य के हाथों में समाती जा रही है तो वे अपने राज्य को किस प्रकार से विकसित करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, एक और मजेदार बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद के आचार्य श्री राममनोहर लोहिया हैं जो इस आन्दोलन को चला रहे हैं उन्होंने इसके बारे में कहा है कि तीन जोर हैं । एक जोर कौनसा है, नरम नरम, दूसरा जोर है ढोलढमाका और तीसरा है महान अनिश्चिता और राजस्थान में इन समाजवादियों ने इस सम्बन्ध में कहा है, महान गडबड घोटाला ! मैं इनके बारे में अधिक नहीं कहुंगा । लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आज विरोधी पक्ष में जो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन चल रहा है उसमें सबसे बड़े ये समाजवादी लोग हैं । इसकी वजह शायद यह हो कि शायद वे ख्वाब देखते हैं कि हमें कभी राज्य करने का अवसर भी मिल सकता है और राज्य करेंगे । या तो इस फस्ट्रेशन का यह मतलब हो सकता है या और भी दूसरा कारण हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर· ·

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): (अश्रव्य)

श्री फूलचन्द जैन : मैं आप पर भी आऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग लोकतन्त्र की ओर समाजवाद की दुहाई दे रहे हैं उनके बारे में इससे अधिक कहना उचित मैं नहीं समझता ।

अब मैं राजस्थान के अन्दर पाकिस्तान के आक्रमण से जो भी स्थिति उत्पन्न हुई उसके सम्बन्ध में जो स्थिति हमारे सामने आई, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आंख खोल कर, जैसा मैंने निवेदन किया कि जो कुछ भी हालात देखने को मिलते हैं उसके परिणाम सामने आते हैं, उसको लेकर बहुत आलोचना की जाती है । मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार आलोचना करने से काम नहीं चलता । हम इस सदन में एक प्रकार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदार व्यक्ति माने जाते हैं और जो कुछ भी हम यहां पर कहते हैं राज्य के हित में कहते हैं और उस पर पूरी तरह से अध्ययन करके उसके बाद कहते हैं और जब इस प्रकार की परिस्थितियों को अधूरी अधूरी स्टडी करें और कहें कि राजस्थान के अन्दर पाकिस्तान घुस आया है और राजस्थान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है ।

(श्री फूलचन्द जैन)
(२.०० म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर थोड़ी देर, बावजूद इसके कि हम हर प्रकार से यह कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक विश्वास बना कर उसका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करें और और जब जिम्मेदारी के साथ में कोई इस बात को स्वीकार करे कि हम आज से युद्ध-विराम स्वीकार करते हैं और उसके बाद भी इस प्रकार की हरकतें करें कि जो इतनी बड़ी विश्व की संस्था है, जिसमें पाकिस्तान ने वचन दिया, वादा किया, उसकी खिलाफत की बात उसकी तरफ से हो तो हो सकता है; चाहे इसे भूल कहा जाय, चाहे गलती कही जाय, आप चाहे तो यह भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की धोखादेही की। इसके बारे में राज्य सरकार को दोष देने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कहा यह गया, आम तौर पर यह कहा जाता है कि वहां पर सड़कें नहीं बनाई गई, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई, सीमा की जिस प्रकार से रक्षा की जानी चाहिये थी वह नहीं की गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि आज इस सारे राज्य की जो वित्तीय स्थिति है, वहां पर हम क्या काम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उससे अधिक काम करने की आवश्यकता विशेष परिस्थितियों में होती है तो किस तरह वित्तीय साधन जुटाये जा सकते हैं, इसको मैं यह व्यक्तिगत रूप से महसूस करके चलता हूं। हम जो इस सदन में बैठते हैं, सभी महसूस करते हैं और जानते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि जानने के बाद भी हम अनजान नहीं बन जायें, नहीं तो उस जानने से क्या मतलब? यदि आप जानते हैं तो आपको यह भी सोचना होगा कि अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिये किस प्रकार बढ़ सकते हैं।

इसलिये यदि यह बात कही जाय कि यहां पर हमारी कमजोरी रही है तो वहां रचनात्मक दृष्टिकोण रख कर बताया जाय कि कहां हमने गलती की, क्या करना चाहिये था। तो आज हम यहां बैठ कर कहें कि सब घोटाला हो गया, सीमा पर कोई व्यवस्था नहीं की गई तो केवल यह कहने से काम नहीं चल सकता। ऐसी बातें करते रहेंगे तो बकवास ही करते रहेंगे, इस से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। परिणाम तभी निकलेगा कि जब हम रचनात्मक दृष्टिकोण से यहां रखेंगे कि हम हमारे साधनों से यह वह कर सकते थे, सरकार ने केवल यही किया, इतना सरकार और कर सकती थी वह सरकार ने क्यों नहीं किया?

जो कुछ कहा जाता है, जो हमारी हालत है, उन हालात को देखते हुए जो कहा गया है; उसके सम्बन्ध में आप सभी जानते हैं कि कहां तक सही है, कहां तक गलत है। हमको भी दर्द है, आज जब हम सोचते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे इलाके को गलत तरीके से हथिया लिया तो हमको आप से ज्यादा बुरा लगता है, तो क्या आप सोचते हैं कि हम जानबूझ कर ऐसा करते हैं?

अब इसमें उपाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूं कि जो काम करेगा उस से गलतियां भी हो सकती हैं। वह अपनी सूझ बूझ से करेगा उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। पर आप यह कहें कि कुछ नहीं किया तो यह वाजिब नहीं है। आप

(श्री फूलचन्द जैन)
किसी गलती को दिखा कर कहें कि इस प्रकार का गलत काम किया तब तो समझ में आ सकता है कि आपने उस परिस्थिति का गम्भीरता से अध्ययन किया है; वर्ना जनाबेआली, आप यहां इस प्रकार की बातें करते हैं कि जो कुछ हम कहते हैं, वही ठीक है, दूसरे जो भी कहते हैं वह सब गलत है, तो आपके इस प्रकार कहने से तो आप केवल अपने मन को थोड़ी देर के लिये संतोष दे सकते हैं और उसका कोई परिणाम नहीं निकलने पर आप स्वयं को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई परिणाम इससे निकलने वाला नहीं है।

जो अकाल की स्थिति राज्य में रही है उसकी भयंकरता को सदन के सभी माननीय सदस्य भली प्रकार अनुभव करते हैं। राजस्थान के ४३ प्रतिशत गांव और ४० प्रतिशत जनता अकाल से पीड़ित है। इससे अधिक भयंकर स्थिति पिछले कई वर्षों में देखने को नहीं मिली और अब इस प्रकार की स्थिति के अन्दर राज्य सरकार किस प्रकार मुकाबला कर रही है उसकी ओर अगर हम गम्भीरता पूर्वक ध्यान दें तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसके अन्दर अगर हम अकाल पीड़ित लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं तो सिर्फ एक ही प्रकार से पहुंचा सकते हैं और वह तरीका यह है कि जहां जिस प्रकार की स्थिति है, जिसका सुधार करने से लोगों को राहत मिल सकती है, उसका वहां जाकर अध्ययन करें और उसका सुधार करने के लिये अपनी बुद्धि का, अपनी मेहनत का, अपनी ताकत का उपयोग करें। आज अगर आप यहां आकर यह कह कर संतोष कर लेते हैं कि अकाल की भयंकर स्थिति में राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया और वहां की जनता को, अकालपीड़ित जनता को जाकर यह कह देते हैं कि हमने तुम लोगों के लिये वहां जाकर खूब कहा, तो इससे हम उन अकालपीड़ित लोगों का किसी भी प्रकार का भला नहीं कर सकते और न हीं जनता का सही प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस प्रकार की बातों से हम जनतन्त्र को आगे नहीं बढा सकते। हमको यह देखना होगा कि इस अकाल की स्थिति में राजस्थान सरकार किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार काम कर रही है, जहां जहां काम कर रही है वहां किस किस प्रकार की खामी है, वहां व्यवस्था में किस किस प्रकार का सुधार किस प्रकार किया जा सकता है, जहां काम नहीं हुआ है वहां काम किये जाने की क्यों आवश्यकता है, इस प्रकार इस सारी पृष्ठ भूमि में देख कर विचार रखें तो हम अकालपीड़ित लोगों का ज्यादा भला कर सकेंगे।

मेरे एक भाई कहने लगे कि फलां जगह अकाल से त्रस्त होकर व्यक्ति मर गया, मैं यह बात तो उन पर ही छोड़ता हूं कि वे अपने दिल से ही पता चलायें कि वस्तुतः क्या हुआ, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इससे यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर रही है या यह कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है उसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर आप सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं तो आपको यह बताना होगा कि आप किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता महसूस करते हैं। यदि आप केवल यही कह कर संतोष कर लेते हैं कि अकाल से लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं; तो मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस

Page No. 59

(श्री फूलचन्द जैन)

प्रकार की बातें कह कर उन पीड़ित लोगों का कोई भला नहीं कर सकते। वह अगर इस प्रकार की तुच्छ बातों को, इस प्रकार की भयंकर स्थिति को राजनैतिक विषय बना कर सिर्फ इसको पोलीटिकल एंगिल से सोचते हैं तो इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती और इससे अधिक उनके लिए शर्म की बात नहीं हो सकती।

यह स्थिति सभी समस्याओं से संबंध रखती है, जो समस्याएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और जिनका जन-जीवन से संबंध है, जनजीवन की समस्याओं से आज हम इस प्रकार खिलवाड़ करने की बात करते हैं और लोगों को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि इस राज्य के अन्दर कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार वे हासिल क्या करना चाहते हैं? इससे वे स्वयं परेशान होना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं।

आज खाद्यान्न समस्या है उसके बारे में अनेक प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं। मैं मोटे तौर पर इस बात से इन्कार नहीं करना चाहता और मैं समझता हूं कि आप भी इन्कार नहीं करेंगे कि खाद्यान्न का अभाव हमारे यहा है। जो कुछ हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध है उसकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं, यह प्रश्न निश्चित रूप से अपने आप में अहम रखता है और इस प्रश्न पर जहां विचार किए जाने की आवश्यकता है वहां मेरा राज्य सरकार से भी यही निवेदन है कि इस प्रश्न पर जितना अधिक ध्यान देकर विचार कर सके और उसके अनुकूल व्यस्था में सुधार कर सके तो उसको निरंतर शीघ्र कोशिश करनी चाहिए, पर जब हम इस प्रकार की बात कहते हैं कि खाद्यान्न के अभाव से आज हमारी हालत बिगड़ रही है और मैं जब खाद्यान्न पर अपने विचार प्रकट करता हूं तो मैं इस बात पर भी सोचे बिना नहीं रह सकता कि जब पाकिस्तान का आक्रमण हमारे देश पर हुआ था और उसके बाद में दुनिया के दूसरे मुल्कों से जो हमें अनाज मिलता है, उन्होंने हमारे साथ में जिस प्रकार से हमारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की और उस संबंध में देश में एक फिजा बनी कि हम सब कुछ बरदाश्त कर लेंगे, परन्तु देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को किसी कीमत पर आंच नहीं आने देंगे, उस पर यही भी फिजा इस देश के अंदर बनी कि हम भूखे मर जायेंगे, मेहनत करेंगे। हमारे यहां जिस प्रकार से भी हो सकेगा एक एक इंच भूमि का हम उपयोग करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे और हमारी समस्याओं का स्वयं अपनी मेहनत से समाधान करेंगे। हमारे विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि फिजा को कायम रखो। जो कुछ भी गलतियां होती हैं, जो कुछ परिस्थितियां घटती हैं, क्या उन सब की जिम्मेवारी इस ओर बैठने वालों पर है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है जिसका संबंध आपसे और हमसे ही नहीं, इस देश की ४५ करोड़ से भी अधिक जनता से है।

मैं पूछता हूं कि आपने क्या किया? आप अगर यह सोचते हैं कि सब बातों का हमको ही पूछने का अधिकार है और इधर बैठने वालों को आपसे पूछने का अधिकार नहीं है तो अगर हमको ही पूछने का अधिकार है तो हमको ही करने का अधिकार है, फिर तो आप बैठे रहें और देखते रहें। आप अपने कर्तव्य को निभाना नहीं चाहते, आप अपनी जिम्मेवारी को महसूस नहीं करते। आपको अपनी जिम्मे-

(श्री फूलचन्द जैन)

दारी का ठीक तरह से पालन करने के बारे में विचार करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान नहीं देते। आप यह चाहते हैं कि आप तो सिर्फ देखेंगे और जो गलती होगी उसको फैलायेंगे और लोगों से कहेंगे तो यह जो एक पोलिटिकल पार्टी का जो प्रोग्राम है उसका थोड़ा सा पार्ट हो सकता है। परन्तु जीवन में हमने इसी को ही अपने काम करने का तरीका बना लिया तो मैं चिन्तित हूं इस स्थिति से। विरोधी दल के लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोधी पक्ष को सबल बनाने की बात कहते हैं। हम चाहें कितना ही प्रयत्न करें, अगर उनके अंदर क्षमता नहीं है काम करने की, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो विरोधी दल सबल नहीं हो सकता जब तक स्वयं उसमें सबल बनने की प्रेरणा नहीं हो। वह तभी आदमी के अंदर आ सकता है जब उसके अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका एहसास हो और पालन करने की दिल के अंदर लगन हो। आज जिस तरह से विरोधी पक्ष अपने यहां या बाहर एक प्रकार से रोल प्ले कर रहा है, मैं उसको डेस्ट्रक्टिव रोल कहूंगा, कन्सट्रक्टिव रोल की संज्ञा तो नहीं दे सकता। अगर भारत की लोकतंत्रीय व्यवस्था को देश के हित में, राजस्थान के हित में सुधारना है, राजस्थान के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है तो हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि जहां दूसरा बजट का रोल है वहां विरोधी पक्ष का भी रोल है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है।

अकाल की स्थिति क अंदर हमारे राजस्थान के अन्दर तीसरी योजना में ६४८ से भी अधिक लाख रुपए व्यय हो चुके हैं, दूसरी योजना में भी ८५ लाख से अधिक की राशि हमने अकाल के राहत-कार्यों के लिए व्यय की। दूसरी और तीसरी योजना के दौरान में कितना अधिक फर्क है, कितनी अधिक राशि व्यय कर पाए हैं, इससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अकाल के कितने भीषण दौर में से इन दोनों योजनाओं को गुजरना पड़ा। राजस्थान में जिन जिन क्षेत्रों के अंदर हमने योजनाओं के द्वारा प्रगति की है, यहां पर विवेचन किया जाय, मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता।

सन् १९४७ का राजस्थान और सन् १९६६ का राजस्थान, इन दोनों की तुलना हम जो कुछ भी हमारे सामने सामग्री है, आंकड़े, परिणाम, सारी बातें हैं, उनसे अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करना चाहता बल्कि संतोष व्यक्त करता हूं कि जिस तेजी से योजनाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हमारे विकास के और दूसरे काम हो रहे हैं, उसी तेजी से हमारे जन-साधारण के अंदर और और अधिक आगे बढ़ने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। आज कितने ही स्कूल खुल गए, फिर भी ५०० स्कूल और खुलने की मांग आपके सामने रहेगी। औषधालय जितने अधिक खुलते जा रहे हैं उतनी ही अधिक मात्रा में उनकी मांग बढ़ती जा रही है। हर क्षेत्र में आज जनता इतनी जागरूक और समझदार हो चुकी है कि वह आगे बढ़ना चाहती है, किसी के पीछे नहीं रहना चाहती और इसलिए हम बढ़ती हुई मांग की प्रवृत्ति को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

आज हम यह आलोचना करते हैं कि अमुक जगह स्कूल नहीं खोले, अमुक जगह सड़क नहीं बनायी गयी, अमुक जगह औषधालय नहीं खोले

(श्री फूलचन्द जैन)

गये । यह वाजिब है। हमको जो भी कुछ भी आवश्यकतायें हैं उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, परन्तु हम यह समझते हैं कि जो कुछ भी आवश्यकतायें हैं वे एक दिन में पूरी हो जायेंगी, मैं समझता हूं, आप भी इस बात को महसूस करते हैं और सब महसूस करते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की तुरन्त पूर्ति हो जाय, न हमारे लिये यह संभव है और खुदा-न-खास्ता आप इस ओर बैठें तो आपके लिये भी यह नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में अब योजनाओं के द्वारा हम अपना विकास करना चाहते हैं तो हमें इस प्रश्न पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और खास तौर से विरोधी पक्ष के लोगों के अन्दर यह अहसास पैदा हुआ है, आज जो मांग बढ़ती नजर आ रही है, आवश्यकताओं का अहसास तेजी से लोगों को होने लगा है, ये परिस्थितियां किसने पैदा कीं ? यह ऐसी बात है जिसको समझना या न समझना आपकी इच्छा पर है । लेकिन हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि उनकी इन बढ़ती हुई भावनाओं को गलत तरीके से रिप्रेजेन्ट करके, गलत दिशा में मोड़ने की दृष्टि से कार्य आप न करें । आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि कितने स्कूल प्रति वर्ष खोल सकते हैं, कितने औषधालय खोल सकते हैं, कितने नेक काम हम हाथ में ले सकते हैं । क्या हमारी स्थिति है ? उसको ध्यान में रख कर प्रायोरिटी के हिसाब से काम करने की वृत्ति अपनायें तो, मैं समझता हूं, उसके अन्दर रचनात्मक दृष्टिकोण से आप भी यहां पर सुझाव दें इस दृष्टि से प्रायोरिटी दी जानी चाहिये थी, नहीं दी गयी, तो हम भी इसको महसूस करेंगे कि वाजिब बात हमेशा मानी जानी चाहिये और नहीं मानी जाती है तो गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। परन्तु राजनैतिक दृष्टिकोण से जन-मानस को इस तरह बदलना चाहें कि यह सरकार आपके यहां स्कूल नहीं खोलती, औषधालय नहीं खोलती, यह सरकार निकम्मी है जो आपके यहां सड़कें नहीं बनाती, यह सरकार निकम्मी है जो बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती, तो यह काम आपके लिये उचित नहीं होने वाला है । मैं समझता हूं इससे न आप अपना और न उनका और न ही राजस्थान का भला कर सकते हैं । आज हमें सबसे अधिक अहसास करने की आवश्यकता है तो इस बात की है कि हम अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को जितना अधिक महसूस करेंगे उतना हम अधिक इस लोकतंत्रीय व्यवस्था को सफल बना सकेंगे, इतना ही अधिक इस दल में बैठने वाले, जो सत्तारूढ़ दल है, उसको भी रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिये अधिक प्रेरित कर सकते हैं । वरना जैसा मैंने निवेदन किया, न समस्याओं का समाधान निकल सकेगा और न जनता, जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाने में सही मार्ग दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सारी बात कहता हूं और माननीय सदस्य खास तौर से उस ओर बैठते हैं वे यह सोचें कि जो कुछ करना है वह हमको ही करना है और उनको कुछ नहीं करना है, ऐसी बात नहीं । कृषि के अन्दर हमारी जो सिंचाई योजनायें हैं, उनके अन्दर आज जो हमारी स्थिति है उसके पहलू पर जो मैं यह महसूस करता हूं, आपके सामने, आपके द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं । सिंचाई की योजनायें बहुत बड़ी-बड़ी इस राजस्थान में

(श्री फूलचन्द जैन)
आपने हाथ में ली हैं और उनके द्वारा काफी बड़ा इलाका सिंचित होने लगा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : रिटर्न कितना मिला है, उत्पादन कितना बढ़ा है ?

श्री फूलचन्द जैन : आप सुन लीजिये। तसल्ली नहीं है तो मैं जवाब देने में विवश हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि सिंचाई की योजनाओं के अन्दर, उनके लिए प्रारम्भ के अन्दर जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये और जितनी जमीन की सिंचाई होने की हमारी कल्पना थी, हमारी योजना थी, उसके अन्दर हम पीछे हैं। उसके बाद में हमने रिवाइज्ड एस्टीमेट्स उनके तैयार किये और उसके बावजूद भी आज जो परिणाम हमारे सामने हैं उनको जब हम देखते हैं तो . . .

श्री हरिप्रसाद शर्मा : रोना आता है।

श्री फूलचन्द जैन : रोना आपको आयेगा, हमको नहीं आ सकता। उनको रोना आयेगा जिनको अक्ल नही है। जो आदमी रोना नहीं जानता और हंसना जानता है और जो हंसते हुए परिस्थितियों का मुकाबला करना जानता है उसको रोना नहीं आता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन योजनाओं का परिणाम आज हमारे सामने आया है, उन परिणामों से चिन्तित होना स्वाभाविक है और उन योजनाओं के आधार पर जो कुछ भी प्रतिफल आज हमको मिला है वह इस बात की ओर इंगित करता है, इस बात की ओर संकेत करता है कि हम ऐसी बड़ी योजनाओं पर, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, उनके ऊपर अधिक गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज चाहे उन योजनाओं से हमारी लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई हुई हो उससे हम संतोष नहीं मान सकते, हमें संतोष तब होगा जब उन योजनाओं पर, जिन पर करोड़ों रुपया खर्च होता है उनसे जो वाजिब लाभ हमको मिलना चाहिये वह वाजिब तौर पर मिलता रहेगा।

यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि योजनायें जब बनीं तो बनते वक्त एक प्रारम्भिक अवस्था के अन्दर टैक्नीकल एक्सपीरियेन्स या दूसरे कई प्रकार के अनुभवों की पूरी जानकारी न होने से कमियां रह सकती हैं, परन्तु उसके बाद भी, आज भी दस वर्ष, १५ वर्ष इस प्रकार व्यतीत हो जायं और योजनायें निरन्तर चलती रहें, उनमें सुधार जिस प्रकार का करना चाहिये वह न हो, तो वह चिन्ताजनक स्थिति रहेगी, उस पर हमको ध्यान देना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो बिजली का संकट पैदा हुआ वह जिन कारणों से पैदा हुआ है वह मैं समझता हूं सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं। इससे राज्य के औद्योगीकरण के अन्दर कुछ हद तक रुकावट आई है। उद्योग चलाने वालों के मन में भी उलझनें पैदा हुई हैं। इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हुई है, उनके कारणों को गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियां पैदा न हों। इसलिये अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् संकट के दौरान में राज्य सरकार ने जिस प्रकार से इस कमी को जिस हद तक पूर्ति करने की कोशिश की है उसको नजरअन्दाज नहीं कर

(श्री फूलचन्द जैन)

सकते । इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर जहां उद्योगों का विकास हुआ है, उद्योगों को बढ़ाने की संभावनायें मौजूद हैं उसके साथ-साथ ग्रामीण औद्योगीकरण की दिशा में खास तौर से दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ; उनके अन्दर जिस प्रकार से योजनायें चल रही हैं या काम हुआ है, मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ये गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे सोशियल अपलिफ्टमेन्ट के हों, चाहे इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट के गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हों । जब हम इनको यहां करते हैं तो उनके अन्दर जो कुछ भी आज स्थिति रही है वह हमारे सामने है । मैं इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार अपलिफ्टमेन्ट और वेलफेयर इस प्रकार बढ़ाना चाहते हैं,जो इस प्रकार की समाज को ऊपर उठाने की योजनायें हैं, उन योजनाओं के करने के अन्दर हमारे जो लोग हैं, जो करने वाले हैं, उनकी जो इसके पीछे भावना रही है, उन सारे कामों के अन्दर उन भावनाओं के अनुसार काम करने की स्थिति होनी चाहिये , इसका अभाव रहा है, इसको मानने में संकोच नहीं है । और यही वजह है कि आज इस इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है । जो इस प्रकार के प्रोग्राम हैं उनके अंदर रिजल्ट्स तभी मिल सकेंगे जबकि उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके संचालन की उचित व्यवस्था करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थिति मैंने यहां रखी उसके अलावा हमारे यहां पर कृषि की दृष्टि से, हमारे यहां पर किसानों के हित के लियेजो कुछ भी कांग्रेस की सरकार ने सन् ४७ के बाद में किया है उसकी व्याख्या में नहीं करना चाहता . . .

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कहिए ना, हम सुनना चाहते हैं ।

श्री फूलचन्द जैन : आज जो किसानों की वकालत करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन किसानों को क्या दुविधायें हैं, किसानों को क्या परेशानियां हैं, उनको वे समझते हैं या नहीं समझते हैं ; यह मैं नहीं कह सकता । लेकिन किसान के नाम पर जो कुछ भी वे यहां कहना चाहते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक कहते हैं और उनको कहना चाहिए । यहां वे किस प्रकार से कहते हैं, किसान उसको किस प्रकार से लेते हैं, वे कहने वाले भी जानते हैं, सुनने वाले भी जानते हैं और जिनके बारे में कहा जाता है वे भी जानते हैं और आप भी जानते हैं । हम इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में सन् ४७ से पहले और उसके बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस शासन ने काम किया, जिस प्रकार से किसानों को उनके हक दिलवाये, उसको केवल हम ही नहीं जानते सारा हिन्दुस्तान जानता है, सारे किसान जानते हैं । मैं आपसे निवेदन करूं आज फस्ट्रेशन इस बात का है कि यहां आकर ऊपर ऊपर से अपने आत्म-सन्तोष के लिए, मुझे माफ करिए, अखबारों के अन्दर अपने नाम छपवा कर राजी हो जाते हैं । लेकिन उससे आपको किसान के वोट नहीं मिल सकते, उसका परिणाम आपको नहीं मिल सकता, जब तक कि आप असलियत को नहीं पहिचानेंगे कि किसान क्या चाहता है ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि उनके कितने परसेन्ट वोट कांग्रेस को मिले थे ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : किसानों पर आपने कितने टैक्स लगाये हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : किसानों से आपने ३७ रुपये क्विन्टल के हिसाब से अनाज लिया और ६७ रुपये में आपने बेचा है।

श्री फूलचन्द जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि हमें किसानों के कितने वोट मिले। मैं आपको निवेदन करूं, आप वोट की बात कहते हैं, हमको और आपको इस बात के लिए सोचना होगा, आज अगर सही तरीके से वोट का मूल्यांकन करना है तो राजनैतिक दृष्टि से जो हमारे सिद्धान्त और उसूल हैं उसके आधार पर हमें पहले उनके बीच में जाकर काम करना चाहिए और उनको अपने सिद्धान्त और उसूल बताने चाहिए, उसके अनुसार वोट मांगने चाहिए। यह सब जानते हैं कि कांग्रेस को किसानों के वोट अधिक मिले हैं, दूसरे लोगों को भी मिले हैं; वे इसलिए नहीं कि उनको आपके सिद्धान्तों के अन्दर आस्था है या आपने उनके लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आपको वोट दिये, यह बात नहीं है। आपको आपके उसूलों के लिए वोट मिलते हों, यह बात नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मेरा कोई दावा नहीं और मैं यह नहीं कहना चाहता कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह गलत है। लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस के शासन में भूखमरी, रिश्वतखोरी के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यह गलत दावा है, आपके कहने से कुछ नहीं होता। आपने चार अक्षर सीख लिए और उससे आप लोगों को गैंडा बनाना चाहते हो, जो नहीं बनने वाले हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपके राजा—महाराजाओं के जमाने में क्या स्थिति थी, उसका भी अन्दाज किया है ?

(व्यवधान-अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : आप क्यों अकड़ बताते हैं ?

श्री फूलचन्द जैन : हो सकता है कई बातों से विरोधी पक्ष सहमत न हो......

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य पर्जेशन आफ दी फ्लोर में हों, जब तक आवश्यक न हो उनको इन्टरप्ट न किया जाय। इसके अलावा वे अगर कोई बात कहते भी हैं तो उसका उसी समय जवाब देना अवश्यक नहीं है। आपको जब समय मिले, आप अपने भाषण में उन बातों को कह सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य जिसको स्वर्ग कहते हैं हमें यह अधिकार है कि उसको हम नर्क सिद्ध करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बारी आये तब कहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : (श्री मिर्धा से) आप बोलेंगे तो जोश आयेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जोश आयेगा तो ठण्डा भी करूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : भाषण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है।

Page No. 65

श्री फूलचन्द जैन : मैंने यह कभी नहीं कहा। मैं समझता हूं, कि कांग्रेसमैन या कांग्रेस ने इस राजस्थान को स्वर्ग बना दिया यह मैंने कभी नहीं कहा। पर यह जरूर है कि कांग्रेस सन्तोष नहीं कर सकती, जब तक राजस्थान का एक एक नागरिक, राजस्थान की पूरी जनता इस स्तर तक न आ जावे कि जो आम आदमी की आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी तरह से पूर्ति न हो जावे। अब आपने कैसे इसे स्वर्ग बनाना मान लिया और किस प्रकार से यह महसूस किया, यह मैं नहीं कह सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं, माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने जो दो बातें अभी कहीं, भुखमरी और रिश्वतखोरी की, कि इतनी जितनी राजस्थान में है और कहीं नहीं देखी, उसके लिए मैं निवेदन करूं कि वैसे मैं कभी कभी ही माननीय विरोधी पक्ष के नेता से ऐसी बातें सुनने का अवसर पाता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अल्पटांग नहीं।

श्री फूलचन्द जैन : जहां तक संजीदगी का प्रश्न है और दूसरे अच्छे कैरेक्टर का सवाल है, मैं मान कर चलता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता किसी भी प्रकार से अपने आपको अनुकूल बनाने में कमी नहीं रखते। पर जब जोश आता है तो आ जाता है, और जोश के अन्दर जो बात कह दी जाती है, कह दी जाती है। अब जोश के अन्दर होश रखा जावे या नहीं, यह मैं क्या कह सकता हूं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें अपना बुजुर्ग मानता हूं। मैं आप से यह बड़े अदब से अपील करता हूं कि रिश्वतखोरी के प्रश्न पर कोई दो राय नहीं है कि इस पर गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है। पर जब आपको बोलने का अवसर मिले तो मैं यह उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इस रिश्वतखोरी और भुखमरी को मिटाने के लिए आप कौनसी ऐसी अमूल्य और अचूक दवा बता सकते हैं, वह बतावें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह अचूक दवा यह है कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : तब तो भायन्दा चार गुना हो जायगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : होगी या नहीं होगी, यह तो तब बतावेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : जनता और हम आपकी तस्वीर जो है देख रहे हैं। फिर भी अगर जनता को और हमें यकीन हो जावे तो हम आज कुर्सी छोड़ दें। पर हम जानते हैं कि आपके आ जाने से तो चार गुना हो जावेगी।

श्री फूलचन्द जैन : मैं समझता हूं कि जयपुर की नगरपालिका के द्वारा आपको यह आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : इसकी भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

श्री फूलचन्द जैन : और भी अवसर आवेंगे। आपको हम मौका देंगे, नहीं देंगे, यह बात नहीं है। पर मौका उस सीमा तक देंगे जिस सीमा तक तपा-तपा कर आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने लगेंगे। आपको जिम्मेदारी का अहसास जिस सीमा तक हम कर सकेंगे, उस सीमा तक मौका दिया जावेगा, क्योंकि हम विरोधी पक्ष को भी सक्षम बनाना

(श्री फूलचन्द जैन)

चाहते हैं। अब संबल बने या न बने, यह आपकी क्षमता पर निर्भर है।

मैं निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय, अधिक समय लेना चाहता नहीं, क्योंकि मैं विरोधी पक्ष के नेता के विचारों को, रिश्वतखोरी कैसे मिटाई जा सकती है, इस बारे में सुनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं अपनी ओर से यह निवेदन कर सकता हूं कि इसको मिटाने के लिए, जितने आप चिन्तित हैं इससे अधिक हम चिन्तित हैं और उसको मिटाने के लिए जो भी रचनात्मक सुझाव आप हमें देंगे, उनको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने को हम तैयार रहेंगे। इसमें कोई शक-शुबहा नहीं रहना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि किस प्रकार से हम सबको, विरोधी पक्ष को विशेष कर, और इधर के बैठने वालों को अपनी जिम्मेदारी को समझ कर, अपने अपने कर्तव्यों का अहसास होना चाहिए, इसको गम्भीरता पूर्वक नहीं लेंगे, तब तक हम अपनी समस्याओं के समाधान की सही दिशा में नहीं चलेंगे।

मैं एक संक्षेप में निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय, कि यहां पर जिस प्रकार मैंने पहले निवेदन किया कि राज्यपाल महोदय पधारे। उनका भाषण सुनने के लिए कुछ प्रोवान्सेज थीं, वे हमारे कुछ सदस्यों ने रखी। उन्होंने जो कुछ भी वाजिब अपने ढंग से समझा, उसके अनुसार व्यवस्था की और इसके बाद सदन में बहस हुई। इसमें जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय को घसीटा गया, क्या विरोधी पक्ष के नेता महोदय इस बात को पसन्द करेंगे? क्या यही हमारा कैरेक्टर रह गया है? क्या हम इस तरह से उच्छृंखल हो जावें? मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। जिन शब्दों की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वैसे शब्द राज्यपाल महोदय की शान में कहे गए और फिर सुनिए। राज्यपाल महोदय के लड़कों के बारे में कहा गया। क्या कहा गया? बृजसुन्दरजी साहब, अब शिक्षा मन्त्री बन गए हैं तो उनके पहले के रिक्त स्थान पर राज्यपाल महोदय के पुत्र को मनोनीत कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस स्तर पर उतर कर हम बात करते हैं। हम अपने किस कैरेक्टर का प्रदर्शन यहां करना चाहते हैं, इन सबका सुबूत इन बातों से हो तो चलता है।

जिस समय हीरालालजी शास्त्री का मन्त्री मण्डल बना था, उस समय जो सचालक जन सम्पर्क विभाग का बनाया गया था, उसको आज यहां घसीटा है। उस समय भी कह दूं कि किस कारण से बनाया था। उत्तर प्रदेश के अन्दर वहां की जो संगीत नाटक की जो संस्था है, उसमें कई उच्च कोटि की उन्होंने रचनाएं की हैं। उनका देश भर में किस किस प्रकार से एप्रीसियेशन हुआ है, आप उसको देखें। और फिर यह भी देखें कि किस लिये यहां इस जगह उनको बिठाया गया? क्या गेन है उनको वहां? क्या मिलता है है वहां पर उनको? वहां उनको किसी प्रकार का अलाउन्स नहीं मिलता। इकोनोमिक बेनिफिट नहीं मिलता वहां पर, उनकी योग्यता के आधार पर बिठा दिया जावे तो कहेंगे, राज्यपाल ने अपने आदमी को बिठा दिया। शर्म नहीं आती, इस प्रकार की बातें करते हुए।

फिर सुनिए। इसके बाद आती है बात परिपूर्णानन्दजी के बारे में। पर

(श्री फूलचन्द जैन)
कहने से पहले वे नहीं जानते कि जिस बुद्धि से कहते हैं, उससे हजार गुना बुद्धि उनमें मौजूद है, योग्यता मौजूद है; अगर योग्यता के आधार पर बिठाया जाता है कहीं तो बिठाया जाना चाहिए। उनको जैल कमीशन का अधिकारी बनाया गया था। पर जिन माननीय सदस्य ने उनके बारे में बात कही, उनको यह आभास नहीं होगा कि वे ऑल इन्डिया क्रिमिनल सोसाइटी के दो वर्ष तक प्रेसीडेन्ट रहे हुए हैं और उनको इस विषय का काफी गहरा अध्ययन और ज्ञान है और इस संस्था के प्रेसीडेन्ट की हैसियत से जो डॉक्यूमेन्ट्स, जिस ऊंचे स्टेन्डर्ड के शोधलेख उन्होंने दिए हैं वे आज भी उच्च कोटि में गिने जाते हैं। अगर इस प्रकार के योग्य व्यक्ति की सेवाओं और अनुभव का लाभ किसी प्रकार से लेने की कोशिश करते हैं तो, चूंकि गवर्नर महोदय ने आपको बोलने नहीं दिया तो यह भी गुनाह उन्होंने किया। फिर कहते हैं कि अपोजिशन की बातें नहीं सुनी जातीं। हम लोकतन्त्र की रक्षा करते हैं; यह करते हैं, वह करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो बात जिनके बारे में कही जा रही है वे यहां नहीं हैं। तो यह चर्चा किसको सुनाई जा रही है?

श्री फूलचन्द जैन : उन्होंने कह दिया और आपने सुन लिया। तो जब तक असलियत सामने नहीं रखी जावेगी तो सदन को सही बात कैसे मालूम हो सकेगी? इसलिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कोई व्यवस्था नहीं है। जो बातें दब गईं उनको दुबारा उखाड़ा जावे। यह समझ में नहीं आता।

श्री फूलचन्द जैन : यह ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके लिए उखाड़ने की आप बात कहें। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी को किस सीमा तक अहसास करते हैं, यह आज हमारे और आपके लिए गम्भीरतापूर्वक सोचने की बात है। मैं उखाड़ने की बात नहीं कहता। कैसा हमारा करेक्टर है, यह बता रहा हूं जो जनतन्त्र और करेक्टर की बात कहते हैं उनकी असलियत बताना चाहता हूं। बाकी ठीक है। उनकी बातों के लिए क्या किया जाये, यह उनके सामने है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं, जिनका मैंने यहां पर उल्लेख किया है और राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया है और जैसी परिस्थितियां रही हैं, उनका संकेत और आने वाले कामों के बारे में जो कुछ किये जाने को हैं, उनका संकेत अपने अभिभाषण के अन्दर किया है। उन सब हालातों को गंभीरतापूर्वक ध्यान में रखकर इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर, जिसको मैंने रखा है, विचार करेंगे और सर्वसम्मति से इसको पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो अभी धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

Page No. 68

(श्री भीमसेन)

माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे राजस्थान राज्य ने और सरकार ने युद्ध की छाया में, अकाल की छाया में और वर्षा की कमी के कारण जो हमारे देश में और हमारे राजस्थान राज्य में परिस्थिति पैदा हुई उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए हमारी राजस्थान सरकार ने इस आर्थिक वर्ष में काफी सफलता प्राप्त की है। माननीय उपाध्यक्षजी, पाकिस्तान से युद्ध के दौरान में हमारी सेना के वीर सैनिकों ने, आर० ए० सी० के जवानों ने हमारी सीमाओं पर जो कमियां थीं, जो सड़कों का अभाव था, उनके होते हुए भी हमारे जवानों ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान के हमले का मुकाबिला किया उन जवानों ने हमारे देश के गौरव को ऊंचा उठाया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, हमारी संकट-कालीन स्थिति के कारण हमारे देश में, हमारे राजस्थान राज्य में जो अकाल की छाया, वर्षा की कमी के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसमें हमारी राजस्थान सरकार ने संकटकालीन स्थिति के होते हुए भी जो हमको सामूहिक कदम उठाना चाहिए था वह उठाया। हमारी राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति पर काफी बोझ पड़ा, क्योंकि हमारे प्रशासन का ध्यान युद्ध की ओर स्वाभाविक रूप से गया। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी अकाल की जो समस्या हमारे राजस्थान राज्य में पैदा हुई, उसके लिए राजस्थान सरकार ने मुस्तैदी से और सतर्कता से कार्य किया। माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में अकाल की वजह से राजस्थान राज्य में ३ वर्ष ऐसे गुजरे, ५ वर्षों में जब कि हमारे राजस्थान में हमें अकाल का सामना करना पड़ा और इस समय जो अकाल की स्थिति हमारे राज्य में है, वह पिछले वर्षों से कहीं ज्यादा है। हमारे राजस्थान राज्य में २३ जिलों में अकाल की स्थिति है और इसमें करीब ११,००० गांव ऐसे हैं कि जो इस अकाल की स्थिति से प्रभावित हैं। इतनी बड़ी समस्या का मुकाबिला करने के लिए राजस्थान सरकार ने अभी जो उसके पास साधन उपलब्ध हैं, वे हमारे वित्तीय साधनों को देखते हुए, कम नहीं कहे जा सकते। फिर भी राजस्थान सरकार ने जहां-जहां भी राहत कार्य शुरू किये हैं, जहां डिफेंस रोड्स और बोर्डर रोड्स की स्वीकृति हुई है, इन करोड़ों रुपयों की धनराशि को देखते हुए कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जैसा कि राजस्थान सरकार ने अभी निश्चय किया है, एक क्राइटेरिया निश्चित किया है कि राहत कार्य वही हाथ में लिए जायेंगे जो कि केवल प्लान में हों। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को इस ओर ध्यान देना भी आवश्यक है कि कुछ ऐसे जिले भी हैं राजस्थान राज्य में जहां कि सड़कों को प्लान में लेने की योजना नहीं है तो ऐसे काम भी राहत कार्यों के लिए शुरू करने पड़ेंगे जो कि अभी प्लान में नहीं होते हुए भी आवश्यकता के अनुसार और लोगों को राहत देने के लिए ऐसी सड़कें और रेवेन्यू एजेन्सी के जरिये राहत-कार्य शुरू करने पड़ेंगे, जिससे कि अकाल-पीड़ित लोगों को राहत मिल सके।

माननीय उपाध्यक्षजी, खाद्य समस्या हमारे देश की एक विकट समस्या है। हमारे देश की ही नहीं, दुनिया के बहुत से देशों के सामने यह खाद्य की समस्या है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि रूस जैसे कॉम्युनिस्ट कन्ट्रीज हैं, उनके सामने भी खाद्य समस्या बहुत भयंकर रूप से है। वहां की खाद्य की समस्या का समाधान करने के लिए वहां के

Page No. 69

(श्री भीमसेन)

कई प्रधान मंत्रियों को जाना पड़ा और वह इस समस्या को सुलझा नहीं सके। तो हमारा तो एक डेमोक्रेटिक कन्ट्री है और जहां डिक्टेटरशिप है वहां भी वह अपनी खाद्य की समस्या को नहीं सुलझा सके हैं और उनको भी अमेरिका जैसे देश से अन्न के मामले में भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश में खाद्य की समस्या इसलिए भी अधिक है कि हमारे देश में सिंचाई के साधन, हमारे राज्य में और राज्य के साथ साथ देश में जितने सिंचाई साधनों की आवश्यकता है उतने उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वर्षा पर हमें निर्भर करना पड़ता है और हमारे राजस्थान राज्य में तो हमें बहुत अधिक वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है। फिर भी राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाओं के द्वारा जब राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ यह माननीय सदस्यों को मालूम है कि उस समय केवल हमारे राजस्थान राज्य में गंगनहर से ही सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। और उस समय इस योजना के अनुसार ९ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी और आज हमने २३ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की है। तो माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि कोई भी राज्य जिसकी इतनी वित्तीय स्थिति कमजोर हो इस बात पर गर्व कर सकता है कि इतने अधिक हमने सिंचाई के साधन उपलब्ध किये।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं खाद्य समस्या के बारे में निवेदन कर रहा था कि हमें वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है। मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमारे जितने सिंचाई के साधन होने चाहिए, उतने वित्तीय साधनों के अभाव के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान सरकार भारत सरकार के सहयोग से और अपने साधनों से इसके बारे में बराबर प्रयास कर रही है, लेकिन खाद्य विभाग ने जो इतनी अकाल की स्थिति होते हुए भी, अन्न के इतने कम उत्पादन होने के बावजूद भी खाद्य विभाग ने जिस सतर्कता और सजगता से कार्य किया है मैं समझता हूं कि उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता हूं। अगर राजस्थान सरकार इस दौरान में इतनी सतर्कता और सजगता से कार्य नहीं करती तो मैं समझता हूं कि कीमतें आसमान को छूने लगतीं। आज जिस तरह से

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of information Sir, आसमान को छूने की कीमत आप कितनी मानते हैं, उसका आंकड़ा जरा बता दें।

श्री भीमसेन : मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने अपनी सतर्कता और सजगता से कीमतों पर काबू किया है हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में हमारे यहां के मुकाबिले में कीमतें बहुत अधिक बढ़ी हैं। मैं तो माननीय उपाध्यक्ष जी, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी भी हालत हमारे राजस्थान राज्य में रही है, उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने जिस तरह से कीमतों पर नियंत्रण रखा है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

यह तो माननीय सदस्यों को मालूम है, आज दुनिया में कीमतें हर देश में बढ़ रही हैं। एक जो ट्रेण्ड है कीमतों के बढ़ने का वह हमारे देश में ही नहीं दुनिया में दूसरे देशों में भी है। इसके बारे में, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ आंकड़ों की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे हिन्दुस्तान में जो एवरेज रेट ऑफ इन्क्रीज कीमतों में है वह ४.५ परसेन्ट एनुअल है। इसके अलावा फ्रान्स ऐसा कन्ट्री है जिसमें

Page No. 70

(श्री भीमसेन)
एवरेज रेट ऑफ इन्क्रीज ६ परसेन्ट हुआ है, मैक्सिको में ३.३ परसेन्ट और अमेरिका में १ परसेन्ट है। इस तरह से मैं निवेदन करना चाहता था कि जो कीमतों का ट्रेण्ड है, कीमतें ऊंची बढ़ रही हैं यह हिन्दुस्तान में ही नहीं है दुनिया के दूसरे देशों में भी बढ़ रही हैं। लेकिन मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे खाद्य विभाग ने जिस मुस्तैदी और सजगता से कार्य किया में इसके बारे में राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अब राजस्थान

(३.०० म.प.)

सरकार ने जो कीमतें आयन्दा न बढ़ें, इसके लिए बफर स्टॉक बनाने का जो तय किया है, जो बफर स्टॉक बनाने का निर्णय लिया है तो यह बहुत सराहनीय कदम है। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए यही उपाय अपनाती ताकि इन बफर स्टॉक्स के द्वारा जनता को निर्धारित कीमत पर अनाज दे सकें और मैं समझता हूं कि इस बफर स्टॉक से ही हम कीमतें रोक सकते हैं। इस सरकार ने जो कदम उठाया है वह वास्तव में ही सही दिशा में कदम उठाया है।

इसके अलावा राजस्थान सरकार ने जो जन-स्वास्थ्य की तरफ कदम उठाए हैं उनकी तरफ मैं सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पेय जल की समस्या हमारे राजस्थान राज्य के बहुत अधिक हिस्से में, बहुत अधिक गम्भीर समस्या है। हमारे राजस्थान राज्य का जैसा इलाका है, जो रेगिस्तानी इलाका है, हमारे राज्य में ऐसे हिस्से हैं जहां पहाड़ भी हैं तो पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र भी हैं, जहां पीने के पानी का पूरा पूरा अभाव है और इसके लिए राजस्थान सरकार ने बहुत प्रयत्न भी किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५९ में राजस्थान सरकार ने श्री हरिश्चन्द्र माथुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस इलाके में जो पानी की दिक्कत है और इसके लिए जो वित्तीय साधनों की कठिनाई है उन सब प्रश्नों पर विचार करने के लिए सन् ५९ में राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उसकी एक रिपोर्ट भी उनको प्रस्तुत हुई थी और उसके बाद हमारी दूसरी योजना के अन्दर उस कमेटी ने यह असेसमेंट किया था और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमारे राजस्थान राज्य में हर एक गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके, इसलिए उस समय उन्होंने यह एस्टीमेट किया था कि दस करोड़ रुपयों की आवश्यकता हमारे राज्य में होगी। जब दस करोड़ के वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे तभी राजस्थान राज्य के प्रत्येक गांव में पानी की व्यवस्था कर पायेंगे। लेकिन वित्त की अत्यधिक कठिनाई होने की वजह से और राजस्थान के जो साधन थे, उनको देखते हुए, राजस्थान सरकार ने तीसरी योजना में केवल दो करोड़ रुपये इस कार्य के लिए मुहैया कराए। प्रस्ताव तो चार करोड़ का था लेकिन हमारे सीलिंग में, प्लान सीलिंग के अन्दर, केवल दो करोड़ रुपये मिले, लेकिन हमारे विभाग ने जिस मुस्तैदी से कार्य किया वह मैं समझता हूं कि सराहनीय है। हमारे विभाग ने केवल दो करोड़ ही खर्च नहीं किया बल्कि उससे भी अधिक २६७ लाख रुपये हमारे विभाग द्वारा इस कार्य के लिये खर्च किए जा चुके हैं और उम्मीद की जाती है कि २६ लाख रुपये इस वर्ष और मिलेंगे और इस तरह से २८९ लाख रुपये इस कार्य के लिए खर्च हो जायेंगे।

जहां तक शहरी योजना का सम्बन्ध है, इसके बारे में उत्साहवर्धक नतीजे सामने

(श्री भीमसेन)

आए हैं। हमारे प्लान में पांच करोड़ का प्रावधान शहरी पानी योजना के लिए किया गया था लेकिन हमारे विभाग ने न केवल उस योजना को ही पूरा किया है बल्कि हमारे इस विभाग ने उससे भी अधिक टार्गेट पूरे किए हैं। जहां हमारे इस प्लान के अन्दर, इस योजना के अन्दर, ५१ नगरों में हम उस योजना को स्थापित कर पायेंगे, उसके अगेन्स्ट इस वक्त में दूसरे-दूसरे काम भी उस योजना में पूरे कर पाये हैं; मैं समझता हूं कि यह काफी सराहनीय कदम है और इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। लेकिन धन्यवाद देने के साथ साथ राजस्थान सरकार का ध्यान भी मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे प्रान्त में पेय जल की समस्या एक बहुत विकट समस्या है और रेगिस्तानी क्षेत्र में और खास तौर से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है। हमारे वहां पर खारा पानी है और गांवों में पीने के पानी की काफी कठिनाई है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किये हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले को कितना पेयजल चाहिए इसका मास्टर प्लान तैयार किया है और मैं समझता हूं कि मास्टर प्लान हर एक जिले के तैयार हो चुके हैं।

मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारी स्टेट के पेयजल के मास्टर प्लान तैयार हो गए हैं तो केन्द्रीय सरकार के सामने पेय जल के समाधान के लिए और अधिक धन-राशि हमें मिल सके, और अधिक साधन उपलब्ध हो सकें, इसके लिए हमें केन्द्रीय सरकार से प्रयास करना चाहिए और राजस्थान सरकार द्वारा कम से कम यह लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए कि चौथी योजना के अन्त तक कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां पर कि पीने के पानी की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो सके। इसके बारे में मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राजस्थान सरकार ने अभी डाई ट्यूब वेल्स की योजना बनाई है और इसमें करीब १८१ ट्यूब वेल्स हमारी राजस्थान सरकार ने लगाये हैं, जिससे चार-पांच जिलों में पानी की व्यवस्था हो रही है। ये जिले बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिनमें १८१ ट्यूब वेल्स और किए गए हैं और यह खुशी की बात है कि इनमें से १२४ ट्यूब वेल्स में सफलता मिली है। यह बहुत खुशी की बात है कि जालौर जिले के क्षेत्र में भी जल उपलब्ध हुआ है इन ट्यूब वेल्स की वजह से और एक जगह चालीस फिट नीचे ही पानी का समुद्र मिला है, जहां सत्तर-सत्तर और पचहत्तर हजार गैलन प्रति घण्टा पानी निकल रहा है। यह खुशी की बात है कि २५० ट्यूब वेल्स की राजस्थान सरकार की योजना है। इसके बारे में सरकार को और अधिक मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है और अगर नीचे का पानी, भूगर्भ का पानी मिल जाय तो इससे सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होंगे। इस से हमारे राजस्थान राज्य में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायेंगे, जिस से पैदावार बढ़ेगी और खाद्य समस्या हल होगी।

इसी तरह से हमारे यहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड काम कर रहा है, उसने भी बहुत काम किया है। अभी अभी राजस्थान

Page No. 72

(श्री भीमसेन)
सरकार ने इसको फण्ड मुहैया किए हैं और उन्होंने ६५ ऐसी मशीनें, कम्प्रेशर मशीनें खरीदवाई हैं और उसके साथ-साथ २५ ड्रिलिंग मशीनें भी खरीदे हैं, तो इतने इक्वीप्मेन्ट होने के बाद तो राजस्थान ग्रण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने जितना ग्रब तक काम किया है, उसके ग्रलावा ग्रौर ग्रधिक मुस्तैदी से काम करेगा। तो मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, निवेदन कर रहा था कि हमारे राजस्थान राज्य में ग्रकाल पड़ते रहते हैं, इस ग्रकाल से मुक्ति मिल सके, इसके बारे में सरकार को प्रयास करना चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड रीजन्स में किया गया है। वहां पर एक्जलेट्री प्लान तैयार किए गए हैं, इसी तरह से मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे राजस्थान राज्य में भी, जहां पर ग्रधिकतर वर्षा पर निर्भर करते हैं वहां पर इस प्रकार के सिंचाई के साधन उपलब्ध कर सकते हों ग्रौर जिससे ऐसे क्षेत्रों को ग्रकाल से मुक्ति दिला सकते हों, तो उनके बारे में इस तरह के एग्जलेट्री प्लान तैयार करने चाहिए। खास तौर से बीकानेर का जिला है, वहां पर राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना को हाथ में ले सकते हैं। इसके बारे में राजस्थान सरकार ने एस्टीमेट भी तैयार कर लिए हैं ग्रौर पिछले महीने में बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमण्डल भारत सरकार के सिंचाई मन्त्री ग्रौर मिस्टर एम. एस. ठक्कर, जो योजना ग्रायोग के सदस्य हैं उन से भी मिला था ग्रौर उनका इस ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित किया था कि जब तक हमारी लिफ्ट योजना बीकानेर के लिए हाथ में नहीं ली जाती, बीकानेर का जो बैकवर्ड इलाका है, उसका विकास नहीं हो पायेगा ग्रौर इस इलाके में, जहां ग्रक्सर ग्रकाल पड़ता रहता है ग्रौर राजस्थान सरकार को राहत कार्यों पर खर्च करना पड़ता है, उस से मुक्ति नहीं मिल पायेगी। हमारे सिंचाई मंत्रीजी ने हमारी बातों को ध्यान से सुना था ग्रौर कहा था कि ज्योंही हमारे पास योजना ग्रायेगी, भारत सरकार के पास, हम उस पर तत्काल सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे बीकानेर के लिए जो राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना तैयार की गई है, उसको तत्काल हाथ में लिया जाना चाहिए ग्रौर कार्य शुरू करना चाहिए। इस योजना को, मैं समझता हूं कि तीन भागों में पूरा किया जा सकता है। पहले बीकानेर की स्टेज, दूसरी नोखा की स्टेज ग्रौर फिर नागौर तक ले जा सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान सरकार को कि जहां ग्राए दिन ग्रकाल पड़ते रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को ग्रकाल से मुक्ति दिलाने के बारे में ग्रलग से प्रयत्न करने की ग्रावश्यकता है ग्रौर इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार प्रयत्न कर भी रही है, लेकिन इसमें ग्रौर ग्रधिक ध्यान देने की ग्रावश्यकता है।

उद्योग के क्षेत्र में खास तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष ग्रकाल की वजह से ग्रौर वर्षा की कमी की वजह से हमारी बिजली के सम्बन्ध में हमारी स्टेट को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए भी राजस्थान सरकार को ध्यान देने की ग्रावश्यकता है। क्या हम ऐसे ही हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पर निर्भर करते रहेंगे हमें हमारे थर्मल प्लाण्ट ग्रौर डीजल प्लाण्ट के बारे में ध्यान देने की ग्रावश्यकता है। ग्रौर इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का पलाना की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित

(श्री भीमसेन)

करना चाहता हूं। पलाना में पॉवर हाउस लगाने के लिए एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर दी है। इस योजना के बारे में पहली योजना में विचार किया गया था, लेकिन उसके बाद दूसरी योजना भी जा चुकी है और तीसरी योजना भी खत्म हो रही है; अब मैं समझता हूं कि चौथी योजना में तो पलाना में पॉवर हाउस लग जाय, इस बात का आप निर्णय करेंगे, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक या वर्षा की कमी की वजह से जो पॉवर संकट राजस्थान में आए दिन पैदा हो जाया करता है उस खतरे से इस थर्मल प्लाण्ट के तैयार होने से राहत मिल सके।

राजस्थान स्टेट में कई इलाके ऐसे हैं जहां यह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती, इसलिये जो तहसील हेड क्वार्टर्स हैं; वहां पर छोटे डिजल सेट्स उन इलाकों के लिये दे सकें, इस बारे में भी ध्यान देना चाहिये। जहां तक बिजली को पॉवर का राजस्थान से सम्बन्ध है, तृतीय योजना में रखा था, कि २७५ मेगावाट पॉवर हम यहां पर लगा सकेंगे। राजस्थान सरकार का यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और इसमें वह बुरी तरह से असफल रही है। यह जो बैकलौग रहा, उसको चतुर्थ योजना में एटोमिक एनर्जी के जरिये या और तरीके से पूरा कर पायेंगे, इस बारे में राजस्थान सरकार ध्यान देगी।

खास तौर से उद्योग के बारे में मेरा निवेदन है कि राजस्थान में नये नये उद्योग स्थापित हुए हैं और हो रहे हैं। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने संकेत दिया, नये नये उद्योग सेट किये जा चुके हैं या उनके लिये लाइसेन्स जारी किये जा चुके हैं। हमारे बीकानेर के लिये यह खुशी का विषय है कि वहां पर वूलन मिल स्थापित करने के लिये लाइसेन्स दिया जा चुका है। मैं समझता हूं बीकानेर इलाके में काफी बेकारी है, वहां के लोगों को राहत मिल सके, इसके लिये सरकार को कदम तत्काल उठाना चाहिये। वैसे तो राजस्थान में उद्योग काफी बढे, इसके लिये सरकार ने काफी परिश्रम किया है, काफी मेहनत की है। पानी और बिजली की सुविधा होनी चाहिये, इसके लिये सरकार ने काफी प्रयास किया है, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार पब्लिक सेक्टर में, अन्य राज्यों में जिस तरह उद्योग धंधे स्थापित कर रही है, उसी तरह राजस्थान राज्य में भी स्थापित करे, इसके लिये प्रयास करना चाहिये। यह खुशी की बात है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एक यूनिट राजस्थान को मिल रहा है लेकिन इससे ही हम खुश नहीं हो सकते। मैं समझता हूं बैकवार्ड इकोनोमी को आगे बढ़ाने के लिये राजस्थान सरकार भारत सरकार से पब्लिक सेक्टर में और यूनिट्स प्राप्त करने का प्रयास करे। हेवी इलेक्ट्रिक्स या दूसरी लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज भारत सरकार यहां पर लगाये, इसके लिये प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि बैकवार्ड इकोनोमी को राहत मिल सके। वर्ना आप टैक्स लगायेंगे तो टैक्स का भार जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती और जनता इससे निराश होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू आगे बढे, इसलिये भारत सरकार पब्लिक सेक्टर में जो यूनिट्स लगाने वाली है उनमें से एक एक यहां लगायेगी, इसके अलावा और यूनिट्स यहां पर लगावें, इसके लिये प्रयास किया जाना चाहिये।

Page No. 74

(श्री भीमसेन)

माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान राज्य में जब राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था, उस समय जो स्थिति थी, उसके बारे में माननीय सदस्यों को मालूम है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धियां सरकार ने प्राप्त की हैं, आल इंडिया फिगर्स के स्टेन्डर्ड तक पहुंचने के लिये अभी काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। जो वर्ष गुजर रहा है उस वर्ष में हम और अधिक स्कूलें नहीं खोल सकेंगे लेकिन जनता की जो मांग है उसकी पूर्ति के लिये सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिये। हमारे राजस्थान में ऐसी तहसीलें हैं जिनमें पढ़ाई कम से कम हायर सेकेन्डरी स्टेन्डर्ड की विज्ञान और टैक्निकल विषयों की पढ़ाई के लिये व्यवस्था नहीं है। हर तहसील में कम से कम एक हाई स्कूल या हायर सेकन्डरी ऐसी हो जिसमें विज्ञान और दूसरे विषय पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसकी पूर्ति के लिये सरकार ने पिछली बार घोषणा की थी लेकिन मैं खास तौर से मेरे इलाके की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां पर विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। ऐसे पिछड़े इलाके में विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था हो सके, इसके लिये कम से कम एक तहसील में एक हाई स्कूल जरूर होनी चाहिये जहां कोमर्स, विज्ञान आदि की व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार के अपने खर्चे से या गैर-सरकारी सहयोग से हरेक तहसील हैड क्वार्टर पर होस्टल की व्यवस्था करनी चाहिये जहां विद्यार्थी आकर रह सकें और सस्ते में उनकी पढ़ाई का इन्तजाम हो सके, इसके लिये सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

अन्त में माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान सरकार ने जो प्रशासन सम्बन्धी निर्णय लिये हैं और उस बारे में सरकार कदम उठा रही है वह बड़ा सराहनीय है, खास तौर से यह निर्णय लिया है कि पदोन्नति योग्यता के आधार पर करेंगे। मैं समझता हूं यह सराहनीय कदम है। आज तक जो पदोन्नतियां हुई हैं वे लेन्थ ऑफ सर्विस के हिसाब से हुई हैं। प्रशासन में एफिशियेन्सी आवे, इसके लिये सरकार ने योग्य और ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की जो घोषणा की है वह सराहनीय कदम है।

इसके अलावा पोपुलेशन कन्ट्रोल के बारे में गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। वैसे तो अन्य दूसरे देशों के फीगर्स से हम अपना मुकाबला करें तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर से जिस तरह से पोपुलेशन बढ़ने की एन्युवल रेट है, उस बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की एवरेज इन्क्रीज २.१ परसेन्ट है, ब्राजील की ३.२ परसेन्ट, अमेरिका की १.७ परसेन्ट है और राजस्थान की एवरेज २.२६ परसेन्ट है। हमारे यहां जो पोपुलेशन ग्रोथ हो रही है वह अखिल भारतीय ग्रोथ से अधिक हो रही है, इस बारे में अवश्य सरकार को कदम उठाना चाहिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसके लिये मिनिस्टर दोषी हैं।

श्री भीमसेन : जब तक पोपुलेशन कंट्रोल के संबंध में समीचीन कदम नहीं उठायेंगे, तब तक कोई योजना बनाने से जनता को लाभ नहीं हो सकता; इन शब्दों के साथ धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

[धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

१. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में:—

(१) राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार को मिटाने का कोई समाधान नहीं किया गया है,

(२) राज्य में मजदूरों की छंटनी, बढ़ती हुई बेकारी व मंहगाई के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है,

(३) चम्बल क्षेत्र के ट्रैक्टरासर किसान व भूमिहीनों को भूमि वितरण करने में किसी भी प्रकार की प्रगति संबंधी उल्लेख नहीं है,

(४) चम्बल क्षेत्र में नहरों से भूमि के ऊसर होकर बेकार हो जाने व अन्न के उत्पादन की गिरावट संबंधी कोई संकेत नहीं है, तथा

(५) जन स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।

२. श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक): धन्यवाद–प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित शब्द जोड़े जावें:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में:—

(१) फिजूल खर्ची तथा करों में वृद्धि को रोकने के लिये कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया है, तथा

(२) मंत्री–मण्डल स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार एवं मनमानी को रोकने के लिये कोई कदम उठाये जाने संबंधी उल्लेख नहीं है ।"

३. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदी-कुई): धन्यवाद–प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नांकित जोड़ा जाय:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में:—

(१) राज्य में किसानों के हितों के कानून व नोटिफिकेशनों को क्रियान्वित न करने से राज्य में व्याप्त असन्तोष का उल्लेख नहीं है,

(२) राज्य में खाद्यान्नों की अनुपलब्धि व उत्पादन एवं वितरण की अव्यवस्था का उल्लेख नहीं है,

(३) राज्य में मजदूरों को न्यूनतम वेतन व बोनस न देने से व्यापक असन्तोष का उल्लेख नहीं है,

(४) राज्य में स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति की क्रियान्विति में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है, तथा

(५) राज्य सरकार द्वारा कर्ज की रकम व अन्य बकाया की वसूली नहीं किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

४. श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा): धन्यवाद–प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में:—

(१) राज्य में कुक्कुट पालन योजना की असफलता, तथा

(२) वन विभाग द्वारा पुराने जंगलों के संरक्षण में असफल रहने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

Page No. 76

५. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा):— धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में:—

(१) सरकार द्वारा फिजूल खर्च कम करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है,

(२) गिरवा क्षेत्र में अकालग्रस्त गांवों में राहत कार्य के अभाव का कोई उल्लेख नहीं है, तथा

(३) असिंचित क्षेत्रों में लिफ्ट इरिगेशन का प्रबन्ध किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

६. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर): धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में—

(१) बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने का कोई सुगम और शीघ्र मार्ग या सुझाव नहीं दिया गया है,

(२) अन्न की समस्या के समाधान के लिए सुझाव नहीं के बराबर है, [illegible]

(३) [illegible] के [illegible]

७. **श्री चौसरसिंह बाबेल** (बेंगू) व **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में—

(१) फिजूल खर्ची तथा करों में वृद्धि को रोकने के लिए कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया है,

(२) राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मंत्रि-मंडल स्तर पर मनमानी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाने संबंधी उल्लेख नहीं है, तथा

(३) किसानों तथा मजदूरों को राहत पहुंचाने के उपायों का कोई खास उल्लेख नहीं है।"

८. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में—

(१) राजस्थान की पाकिस्तान से मिलने वाली सीमा की सुरक्षा के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है,

(२) पंचायत व्यवस्था में सुधार संबंधी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है, तथा

(३) खाद्य की विषम स्थिति को ठीक करने का कोई उल्लेख नहीं है।

९. श्री [illegible] ([illegible]): [illegible]

"[illegible] —

(श्री नाथूराम करौल)

(१) खेती के लिये सिंचाई साधन जुटाने में असफल रहने,

(२) जनता पर करों के भार की वृद्धि,

(३) अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू नहीं करने, तथा

(४) पंचायती राज की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"]

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। मैं आज हमारे माननीय सदस्य जो उधर बैठते हैं उनको आज सदन में नहीं देख कर, मेरे और मेरे दल की ओर से दुःख प्रकट करता हूं। इस बारे में बहुत सारी बातें हुईं, चर्चाएं हुईं, वाद-विवाद हुआ और सारी बातें ऐसी कही गयीं और करी गईं जो शायद इस सदन की प्रतिष्ठा के विपरीत थीं। मैं इस संबन्ध में अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं कि कुछ मेरे विचार व्यक्त करूं संक्षेप में।

उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र एक बड़ी नाजुक संस्था है। जनतंत्र एक इतनी नाजुक संस्था है, जितना फूल नाजुक होता है। जनतंत्र में संघर्ष की शक्ति, मैं समझता हूं, डिक्टेटरशिप और मोनार्की से अधिक है; लेकिन ये दो संस्थायें इतनी नाजुक, इतनी सुन्दर शायद नहीं हैं। आज के जमाने में [illegible]

कर्तव्य हुआ करता है। हमारे इस राजस्थान के अन्दर शासन व्यवस्था है, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव है और इसके साथ साथ राज्यपाल भी हैं। राज्यपाल कोई एक व्यक्ति विशेष उससे हमको विशेष मतलब नहीं है, लेकिन राज्यपाल एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। और जब हमने स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुसार, हमारे कर्तव्य के द्वारा, हमारे ही हाथ से, हमारे ही लिये एक संविधान बनाकर हमको दिया तो हमारे ख्याल से संविधान के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है और हमारे राइट्स भी संविधान में निहित हैं, हमारी ड्यूटीज भी संविधान में निहित हैं, इन सब किस्म के प्रावधानों को जब तक हम आदर की दृष्टि से नहीं देखते, तब तक जनतंत्र की स्वस्थ परम्परा कायम नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और अब भी निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय का आदर करना हमारा सबका कर्तव्य है। वैधानिक मार्ग हमारे पास है और वे हम सब जानते हैं और उन कॉन्स्टीट्यूशनल पद्धतियों के अन्तर्गत मेरे ख्याल में कुछ गलतफहमियां हुई हैं और मैं चाहूंगा कि भविष्य में ऐसी गलतफहमियां, ऐसी घटनायें नहीं हों तो अच्छा। राज्यपाल महोदय यहां पधारे, उस समय सम्भवतः कुछ माननीय सदस्यों ने निवेदन करना चाहा। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय को उस समय हुक्म देने के बजाय बहुत ही सुन्दरतापूर्वक यह ही कह देना चाहिये था कि मेरा भाषण पढ़ा [illegible]

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बनती। और अगर विरोधी पक्ष वालों ने भी कुछ टांगाटोली की तो दोनों तरफ से मिसग्रंडस्टैंडिंग, कुछ कम समझी हुई और अगर ऐसी मही बात हुई तो मैं यही निवेदन करूंगा कि इस तरह से माननीय सदस्यों की भी कुछ गलती थी, पर हम आशा भी नहीं रखते थे कि राज्यपाल महोदय के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था दी जायेगी।

जनतंत्र के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्ति की गरिमा और महिमा बहुत इम्पोर्टेन्ट है। हम घर में बैठ कर कुछ भी करलें लेकिन "बीती ताई बिसार दे आगे की सुध लेय" इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि उसका परिणाम क्या हुआ? कल क्या हुआ? सारा विरोधी पक्ष सदन से उठ कर बाहर चला गया। मैं प्रतिशत और वोट्स के बारे में लम्बा-चौड़ा विवेचन नहीं करना चाहूंगा, किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि आज का शासनारूढ दल एक वैधानिक रूप से आई हुई सरकार है, इसको हम मानते हैं, लेकिन विश्व के अन्दर अल्पमत सरकारें भी बनती हैं और बहुमत की सरकारें भी होती हैं। आज की सरकार अल्पमत की सरकार है। हम गणनाओं के अन्दर उलझे हुए हैं। हमको उस जनता ने वोट दिया जो कांग्रेस से रुष्ट है। जिन्होंने विरोधी पक्ष को वोट दिया वे ५८ प्रतिशत हैं और कांग्रेस के वोट्स ४२ प्रतिशत हैं। पर हमारी आपसी फूट के कारण यह व्यवस्था हुई कि एक माइनोरिटी गवर्नमेन्ट को शासन-संचालन करने का अधिकार मिला। किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा और अवश्य निवेदन करूंगा कि जो सिद्धांत यहां पर व्यक्त किया गया है कि "Sovereignty resides with the people" और जो जनतंत्र के अन्दर विरोधी पक्ष का महत्व है उन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि वे अपना आचरण शुद्ध करें। जिस तरह से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ एम. एल. एज. को तोड़-फोड़ कर कांग्रेस पक्ष में मिला लिया, मेरे सामने ही दो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं जिन्होंने हजारों वोट स्वतन्त्र पार्टी के नाम पर और स्वतन्त्र पार्टी की प्रतिष्ठा पर लिये और यहां आकर आप कुछ भी चित्र खींचें, लेकिन जनता ने जो वोट दिये, वे किस आधार पर दिये, सब जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : कौन हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यहां ऐसा कोई नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ललित-मोहनजी और गोपीलालजी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उन्होंने तो अपनी योग्यता पर वोट लिये थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर ऐसा हुआ है तो मुबारिक हो।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : क्यों उनकी मिट्टी किरकिरी करवाते हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो हमारे प्रचार और हमारे चिन्ह पर वोट लिये।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : एक व्यवस्था का सवाल है। विरोधी पक्ष के नेता महोदय भाषण दे रहे हैं, अच्छा होता कि सदन के नेता और यहां होते और सुनते।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह यह कोई लाजमी नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास: आज तक परिपाटी यह रही है कि आॅपोजीशन के नेता बोलते हैं तो सदन के नेता बैठे रहते हैं। तो हम भी उनको नहीं सुनेंगे।

(श्री मोहनलाल सुखाडिया के सदन में प्रवेश करने पर)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सदन के नेता आ गये, लेकिन मैं अपनी तरफ के साथियों से निवेदन करूंगा कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि सदन के नेता प्रतिपक्ष के नेता को सुनें ही, और मैं तो न प्रतिपक्ष का नेता हूं न मुझे ऐसी पूंछ चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर): हम भी सदन के नेता का सम्मान करते हैं और सम्मान से सुनते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं समझता हूं कि विधान सभा में ऐसी कैटेगरीज भी नहीं बनानी चाहियें कि कौन किसको सुनेंगे और उनको सुनने के लिये बैठें। आवश्यक व्यक्ति जरूर होना चाहिये।

श्री मानसिंह महार: यह अच्छी रूलिंग हुई !

श्री उपाध्यक्ष : It is not a ruling. यह तो जरूरी है कि ट्रेजरी बेंचेज पर मिनिस्टर रहें।

श्री दुर्गालाल बाढदार : It was only a courtesy demand. We observe courtesy and we expect courtesy.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): I am here.

श्री मानसिंह महार : भीखाभाई आ गये तो दुनिया आ गई। Most important Minister !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तोड़-मोड़ की प्रक्रिया है वह बराबर लगातार जारी है। मैं नहीं कहता कि आपको अधिकार नहीं है। मैं केवल मात्र यह कहता हूं कि जनता के द्वारा इस ओर प्रतिनिधि बैठे हैं, उन प्रतिनिधियों को चाहे यहां पर हों, चाहे हारे हों, लेकिन राजस्थान की जनता ने उनको ५८ प्रतिशत वोट कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस से रुष्ट होकर दिये हैं। यह हमेशा वैधानिक सिद्धान्त जनतन्त्र का रहा है और जनता का यह लक्ष्य रहा है: "Power corrupts and absolute power corrupts absolutely." जहां पर भी सत्ता होती है, जिस जगह सत्ता स्थित है वहां पर यह स्वभाविक है कि भ्रष्टाचार और अवसरवादिता आए। परन्तु जहां निरंकुश शासन होता है वहां पर भ्रष्टाचार गगन चुम्बी पर चला जाता है। इस लिये मेरा सरकार से और मंत्रि-मंडल से यह निवेदन है कि जो कुछ कल हुआ, उस पर मैं विशेष आपसे निवेदन नहीं करूंगा, केवल मात्र यह कहूंगा कि जो कुछ प्रस्ताव पारित करके, एक तरफा प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिया है वह संतोषजनक नहीं और विरोधी पक्ष में कोई भी हो; साम्यवादी हो या समाजवादी हो, समाजवादी आम है और साम्यवादी इमली या जनसंघ आम है तो स्वतन्त्र इमली है; यह नहीं हो सकता। किसी का सिद्धान्त पूर्व है या किसी का पश्चिम है। लेकिन हम विरोधी पक्ष में हैं और अगर विरोधी पक्ष की अवहेलना करके सरकार शासन संचालन करना चाहती

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह व्यवस्था असंतोषजनक है। अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैं आशा व्यक्त करता हूं कि इस बारे में राजस्थान सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।

गलती हुई, भद्दी चीज हुई और जिसकी भर्त्सना मैंने और मेरे दल ने की, लेकिन माननीय सदस्यों को जो इस सदन में निष्कासित किया है, उनको अवकाश दिया है, अगर आप इस प्रकार की हठ धर्मी करेंगे, तो फिर हमको भी कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा।

आप ऑर्डिनेन्स लाते हैं। माननीय सदस्य रामकिशनजी ने उस पर विस्तार के साथ बातें कहीं। अगर इन बातों में कुछ हद तक तथ्य है और मुझे लगता है कि कुछ हद तक इसमें सत्यता है और विरोधी पक्ष का कोई भी सदस्य हो, अगर वह किसी जिम्मेदारी के पद पर आ जावे तो उसको एन केन-प्रकारेण वहां से हटाया जावे, कायदों के विपरीत आचरण करके ऑर्डिनेन्स के द्वारा उसको गिराया जावे, तो मैं समझता हूं कि यह स्वस्थ परम्पराओं के प्रतिकूल है। अगर आप ऐसी बातें ऑर्डिनेन्स के द्वारा करते हैं जो जनतन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं और आपके अनुकूल हो तो मैं अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं कि हम उनका विरोध करें।

ऑर्डिनेन्स के द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार टैक्स लगाती है। विरोधी पक्ष ने मेहनत और परिश्रम के साथ बार बार सरकार को कहा है कि आप ऑर्डिनेन्स के द्वारा टैक्सेज न लगावें। अगर आपको अत्यन्त ही आवश्यक हो तो ऑर्डिनेन्स लाना अलग बात है। आप टैक्सेज मत लगाइये, आपने टैक्सेज इतने लगाये हैं कि जनता उनको सहन नहीं कर सकती। टैक्सेज आप और भी लगावेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, यह स्वभाविक है। जनता पर टैक्सों का बहुत बुरा असर पड़ेगा और आपका जो लक्ष्य है वह भी पूरा नहीं होगा और वह भी मृगतृष्णा होकर दूर-दूर आपसे भागेगा, क्योंकि यह सामान्य बुद्धि के विपरीत है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप टैक्सेज न लगावें और जहां पर आपने टैक्स लगाये हैं उस पर भी गंभीरता से विचार करें कि उनको हटाया जाना आवश्यक है या नहीं। मैं समझता हूं कि टैक्सों को हटाया जाना परम आवश्यक है। यह आपको गंभीरता से सोचना है और आप इस पर विचार करेंगे। किन्तु आप टैक्सेज बढ़ावेंगे तो आप जनता के बड़े भारी गुनहगार साबित होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह अंदाजा है कि आज राजस्थान की जनता का २५ प्रतिशत तबका ऐसा है कि जिनको पेट भर खाना दोनों समय नहीं मिलता है। मैं मानता हूं कि दुष्काल है और पिछले दो सालों से लगातार यहां पर वर्षा का अभाव रहा है, किन्तु इसके साथ साथ यह निवेदन करूंगा कि आपके यहां आधुनिक रोड्स आदि यातायात की अच्छी व्यवस्था है, हवाई जहाज हैं, रेलें हैं, सड़कें हैं, आपका विदेशों से ऐसा संबंध है कि जिसके द्वारा आप इस समस्या को हल कर सकते हैं और इसका हल निकाल सकते हैं, पर मैं देखता हूं कि पिछले १८ वर्षों की आजादी के बाद दिन-ब-दिन हमारी अन्न समस्या बिगडती जा रही है। हम भीख मांग कर अपनी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आवश्यकता को पूरा करते हैं, इस तरह की व्यवस्था आपकी रही है। हम बार बार यह कहते हैं कि हम उत्पादन के संबंध में प्राथमिकता देंगे। आप देते हैं या नहीं देते हैं, इस संबंध में तो आपको मालूम है। मैं तो स्टेटमेंट ऑफ फेक्ट्स जो हैं, जो तथ्य सबके सामने हैं, सबको दिखते हैं, वह निवेदन करता हूं। जहां तक अन्न का संबंध है हम स्वावलंबी नहीं हो पाये हैं। हमारे प्रोब्लम्स बढ़ रहे हैं। आज राजस्थान के अन्दर अगर आप देखें तो आपको पता ही होगा कि २००—३०० आदमियों की कतार लगी रहती है, जो तीन-तीन, चार-चार घन्टे कतार में लगे खड़े रहते हैं। किनके लिये? दो-तीन किलो गेहूं के लिये। लोग तीन-तीन घन्टे कतार में खड़े रहते हैं, एक-एक और दो-दो किलो अनाज के लिये। आप सोचिये कि वे किस प्रकार से अपना गृहस्थ जीवन निभावेंगे। बर्तन साफ करना, कचरा निकालना, बच्चों को स्कूल भेजना आदि, मेरे ख्याल से ये सारी जटिल समस्याएं हैं।

अनाज ही नहीं, अब तो उसके साथ साथ पानी की भी समस्या हो गयी है। नलों पर लोग ५०-५० और ६०-६० आदमी और औरतें पानी लेने के लिये खड़े रहते हैं और उनको पानी मिलता है वह आधा पानी और आधा कीचड़ पीते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था के लिये सरकार को शर्म आनी चाहिये।

ताशकन्द समझौते के बाद, मैं यह निवेदन करूंगा और मेरी पार्टी की यह मांग है कि यह एमर्जेन्सी है, संकटकालीन स्थिति को जो आपने कानून-रूप में घोषित किया है, इसे समाप्त करें। हमारी आशंका है कि इस संकट कालीन स्थिति की घोषणा के द्वारा आप जनता के प्रति अनुचित व्यवहार करते हैं। संभवतः मेरा विचार ठीक नहीं हो, लेकिन यह आशंका है और अगर आप इसकी ओट में शिकार करते हैं तो आप इसको मौकूफ करिये, इसको आप रद्द करिये।

एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, इसके साथ साथ में यह निवेदन अवश्य करूंगा कि राजस्थान की एक सीमावर्ती प्रांत होने से, सीमावर्ती राज्य होने के नाते, एक विशेष भौगोलिक स्थिति है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की मैत्री प्राप्त करें, इस संबंध में जो प्रयास किये जा रहे हैं, प्रशंसनीय हैं। इस संबंध में हम सरकार के हाथ मजबूत करने के लिये, सरकार की नीति का समर्थन करने के लिये तैयार हैं। लेकिन हमको सजग रहना चाहिये क्योंकि सजगता ही स्वतन्त्रता को निभाने का एक नाम है; external vigilance is the price of Freedom.

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सजग रहें, सीमा पर आपकी व्यवस्था सुदृढ़ रहे और उसके साथ ही साथ में निवेदन करूंगा कि यह एमर्जेन्सी है, संकटकालीन स्थिति की घोषणा है, इसको रद्द करिये।

पहले भी उन वीर सिपाहियों को यह सदन श्रद्धांजलि अर्पित कर चुका है और मैं पुनः अपनी ओर से उन वीर सिपाहियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी आत्मा, अपने प्राणों को देश के लिये न्यौछावर कर दिया। जो डिसएबल हो गये, पंगु हो गये और जिन्होंने डट कर हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा की; हमारे देश की सीमा की सुरक्षा की है, उनके लिये जितनी प्रशंसा की जाय उतनी ही कम है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नों के समय खाद्य के विषय में भी कुछ चर्चा हुई, उस संबंध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मेरी यह मान्यता है कि जितना भी आप अनाज के ऊपर कन्ट्रोल करेंगे, वह मेरे ख्याल से प्रकृति के नियमों के विपरीत है। मैं यह नहीं कहता कि कन्ट्रोल बिल्कुल उड़ा दिया जाय। खाद्य मंत्री ने जिस दृढ़ता से उत्तर दिया उस दृढ़ता की सराहना भी करूंगा, पर यह निवेदन करूंगा कि यह कन्ट्रोल व्यवस्था कभी भी सुचारु रूप से नहीं चल सकती जब तक कि आप इस पर मानवता, वास्तविकता को मद्देनज़र रख कर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करते।

अभी हमारे डूंगरपुर में दो मंत्री गये, अकाल के संबंध में वातावरण करने गये उस समय भी मैंने निवेदन किया और कहा कि रुकावट करो तो आपको रुकावट करने का अधिकार है, एक हद तक रुकावट करना आवश्यक है सरकार यह स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती कि लोग यहां भुखमरी से मरें और सरकार निस्सहाय होकर बैठी रहे, लेकिन अगर सरकार को अन्न संग्रह करना है, बफर स्टॉक कायम करना है तो यह आवश्यक है कि रुकावट करें, नहीं तो ये जितनी आपकी योजनायें हैं वे सब विफल होंगी, सफल नहीं होंगी।

डूंगरपुर में दो मंत्री आये तो मैंने कहा सैंकड़ों, वे तो हजारों हैं, सैंकड़ों आदमी माही नदी के ऊपर इतनी इतनी गठरियां ले जाकर अनाज गुजरात में ले जाते हैं। प्रतापगढ़ में भी यही हो रहा है और दूसरे सीमावर्ती जिलों में भी यही हो रहा है। मैंने निवेदन किया कि इस पर रोक होनी चाहिये। वहां सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने कहा कि आपका शासन था तब भी यह गल्ला जाता था या नहीं। मैंने कहा, अनादिकाल से जाता आया है, उन्होंने कहा कि रुकावट करते थे? मैंने कहा कि जितनी रुकावट हम कर सकते थे हम रुकावट करते थे, एक दम वाटर टाइट तो नहीं हो सकता; तो बहस का मेरा तात्पर्य यह है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिसके द्वारा आप अन्न प्राप्त कर सकें। अगर आप कीमतें हो ऐसी निर्धारित करते हैं, जिससे कोई इन्सेन्टिव हो पैदा न हो, जिसके पास गल्ला है, वह सरकार को बेचने को तैयार नहीं हो, तो कुछ न कुछ करना होगा। स्टॉक्स के लिये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वह सड़े नहीं। मैंने सुना है और विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि जो बफर स्टॉक्स इकट्ठे किये जा रहे हैं वे सुरक्षित नहीं हैं, गल्ला सड़ रहा है और अगर गल्ला सड़ता है तो जनता के हित में आप एक बड़ी भारी बाधा पैदा कर रहे हैं और जनता के जीवन के साथ एक तरह का मखौल सा कर रहे हैं। मैंने कहा चने के संबंध में ४८, ५० रु० प्रति क्विन्टल देकर चना लेते हैं और पांच मील के फासले पर डेढ सौ, सवा सौ रुपया क्विन्टल के भाव से चना मिलता है तो हुकूमत के जोर पर आप कितना गल्ला इकट्ठा कर सकेंगे; हुकूमत आपके हाथ में है, पर प्रकृति के नियमों के विपरीत हुकूमत नहीं चल सकती।

मेरा यह भी सुझाव है कि अन्न के ऊपर आपने सेल्स टैक्स लगाया है, वह आज की स्थिति को देखते हुए अन्न को और भी महंगा करता है तो यह सरकार मेरे ख्याल से जनता की गुनाहगार है, यह आरोप हम सरकार पर लगाते हैं और यह आरोप लगाने का हमको अधिकार है। सेल्स टैक्स में आपको मिल क्या गया, अगर मिल गया तो वह धिक्कार है। इसलिये आप जो अन्न पर सेल्स टैक्स लगाया गया

(माहरावल श्री लक्ष्मणसिंह)
है, इसको मोकूफ करें, मैं इसका विरोध करता हूं ।

जहां तक मुनाफाखोरों का प्रश्न है, मैं मानता हूं, होंगे मुनाफाखोर, पर सरकार भी कम मुनाफाखोर नहीं है । ४८ रुपया क्विन्टल के भाव से सरकार ने खरीदा और ५५ रुपया प्रति क्विन्टल के भाव से बेचती है, यह मुनाफाखोरी नहीं है तो क्या है? पहले का शासन अच्छा था या बुरा था, मैं नहीं कहता, पहले भी दुष्काल पड़ते थे, मरहठों आदि की फौजें आती थीं, लूटपाट करती थीं, अव्यवस्थायें होती थीं, लोग अभावग्रस्त हो जाते थे, पर आज जिस प्रकार का महंगीवाड़ा देख रहे हैं, वैसा कहीं सुनने में नहीं आता । भीमसेन जी ने कहा कि यह प्रक्रिया विश्व में फैली हुई है, संसार में फैली हुई है । मैं बाद में कुछ क्वोटेशन्स पढ़ कर सुनाऊंगा कि यहां एशिया में दूसरों के मुकाबले में हमारी प्रगति ज्यादा नहीं है ।

क्रूड आइल के बारे में कल विचार हुआ । जहां क्रूड आॅइल नहीं देते, बिजली नहीं देते, सीमेंट नहीं देते, जहां सब चीजों की कमी है वहां आप कहें कि उत्पादन बढाओ तो वहां उत्पादन कैसे बढे? क्रूड आइल के संबंध में जिला वाइज कोटा कायम किया तो सप्लाई और डिमाण्ड का प्रश्न ध्यान में रखना चाहिये । अगर पम्पिंग सेट वितरण करते हैं और पम्पिंग सेट्स की तारीफों में कहते हैं कि पम्पिंग सेट्स लगाते ही सिंचाई की दिक्कत हल हो जायेगी, तो मैं निवेदन करूंगा कि एक तरफ पम्पिंग सेट देते हैं, गरीब किसान पम्पिंग सेट लेते हैं और दूसरी तरफ आप चाहें कि स्पेअर पार्ट नहीं हैं । क्रूड आॅइल नहीं मिलता है तो इससे उत्पादन नहीं बढेगा, बल्कि किसान हतोत्साहित होगा । जिन लोगों ने बी. डी. ओज. के कहने पर पम्पिंग सेट्स लिये, फसल को पानी दिया और पकाई के समय जब एक सिंचाई की आवश्यकता है उस समय आप उन्हें क्रूड आइल नहीं दें, स्पेअर पार्ट्स के लिये कहें कि स्पेअर पार्ट्स नहीं हैं, तो इस प्रकार गरीब किसानों की फसलें जल जायेंगी । ऐसी स्थिति के अन्दर वहां फसल सूखती है तो मेरे ख्याल से यह कोई प्लानिंग नहीं है । यह मडल हैडेड थिंकिंग या दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है ।

जो आपका यह लाइसेन्स, कोटा, परमिट राज्य–जैसा हमारे नेता राजगोपालाचारी कहा करते हैं–यह एक लाइसेन्स, कोटा, परमिट राज्य भी हो, तो लाइसेन्स, कोटा, परमिट का कोई सिगनिफिकेन्स तो हो और लाइसेन्स, कोटा, परमिट अच्छे ढंग से अगर चलें तब तो मैं समझ सकता हूं । लेकिन लाइसेन्स-कोटा परमिट इन सब में पक्षपात है और भ्रष्टाचार है । आपको यह निवेदन और कर देना चाहता हूं कि यह आपको उस फर्टीलाइजर व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार है । भ्रष्टाचार है और सब चीजों में अछूत है । आज आपके बी. डी. ओ. आकर सब जगह यह कहते हैं—यह कर देंगे, वह कर देंगे । लेकिन जब मौका आता है, जब लोगों की मांग होती है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पाया है कि फर्टीलाइजर में भी रखोड़ा मिलाते हैं । इस तरह भ्रष्टाचार फर्टीलाइजर में भी करते हैं । क्रूड आॅइल, सीमेन्ट, पत्रे, फर्टीलाइजर—अगर सब चीजों में भ्रष्टाचार है और फिर आप चाहते हैं कि उत्पादन बढे तो मेरे ख्याल से यह प्राकृतिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है । मेरा निवेदन है कि आपको पंचायत समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिये कि जो नेचुरल और प्राकृतिक खाद है, जो गोबर की खाद है और हरी खाद है उसके लिये भी कोई व्यवस्था की जाय । आपने आज पम्पिंग सेट्स दिए

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हैं लोगों को यह कह कर कि इन्हें तुम तुम्हारे हित में ली। लेकिन अब उन्हें क्रूड ऑइल नहीं मिलता। आप मेरी बात मानें या न मानें लेकिन कम से कम इन गरीबों से, जो पम्पिंग सैट्स आपको देना चाहें वापिस वह लें लें, कुछ भी कीमत से आप ले लें ताकि उनको इस आफत से, इस बीमारी से मुक्ति मिले और अपने चरस और रहट या जो कुछ भी हों, को सम्भालें। उनका भगवान मालिक है। यह व्यवस्था मेरे ख्याल से बहुत हद तक ठीक है बनिस्बत इस व्यवस्था के कि जिसमें पम्पिंग सैट्स देकर उनको त्रिशंकु की तरह अधर में लटका दिया है........

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आप एक भी ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति ने कहा हो कि पम्पिंग सैट वापिस ले लो ? जिसने पम्पिंग सैट ले लिया हो और वह कहता हो कि इस पम्पिंग सैट को वापिस देना चाहता हूं क्योंकि क्रूड ऑइल नहीं मिलता है ? ऐसा एक भी किसान आप बता दें।

श्री भोपालसिंह चौहान (गिरवा) : मेरे क्षेत्र का एक नाथूराम किसान है जो पम्पिंग सैट देना चाहता है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अभी किसानों का एक सम्मेलन हुआ था उसमें किसानों ने कलेक्टर को कहा था . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : जो बोल रहे हैं उनको पूछा है। आप सबको नहीं पूछा है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अभी २४ तारीख को टोंक में सम्मेलन हुआ था किसानों का, उसमें किसानों ने कलेक्टर साहब को कहा कि इनको वापिस सम्भाल लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप गलत कह रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : पूरे राजस्थान में सिर्फ आप ही सही कहते हैं और बाकी सब तो गलत कहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप भले ही निगेटिव रिप्लाई दें या कैसा ही रिप्लाई दें, लेकिन हम जो सुझाव दें उसको आप ओपन माइण्ड से कन्सीडर करें। जो इन्स्टान्सेज हम दें उनके बारे में आप छानबीन करिये। लेकिन यह क्या कि अन्धे, बहरे, मदान्ध होकर विराजमान होकर सबका नकारात्मक उत्तर दे दें, 'नो'! सबका फर्म 'नो'! यह हैल्पफुल एटीट्यूड नहीं है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वह मूर्खतापूर्ण एटीट्यूड है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पहले आप जानकारी करें और उसके बाद जवाब दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपके पास एक भी इन्स्टान्स नहीं है और हमें अन्धा-बहरा बना रहे हैं !

श्री मानसिंह महार : आपने अपने दिमाग में कील ठोक ली है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : कोई सुनने वाला तो हो। जयपुर के कलेक्टर के सामने क्रूड ऑइल की समस्या रखी।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने महारावल को कहा था कि वे बतायें एक भी उदाहरण।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लेकिन फूड एडवाइजरी कॉन्सिल के अन्दर इस चीज के

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
लिए इन्कार किया गया है कि ऐसी समस्या नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं क्रूड ऑइल के बारे में कल कह चुका हूं कि जितना भी क्रूड ऑइल चाहते हैं उसको करने की व्यवस्था कर रहे हैं। खेती के बारे में करौल साहब जानते हैं। लेकिन जैसा महारावल साहब ने कहा, उनसे मैंने पूछा है, एक भी किसान ऐसा बता दें जो चूंकि क्रूड ऑइल नहीं मिल रहा है इसलिए पम्पिंग सैट वापिस देना चाहता है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : किसान और क्या कहेंगे ? उनसे आप पूछें तो यही कहेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक भी ऐसा किसान बता दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्रूड ऑइल नहीं मिल रहा है तो और करेंगे क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक भी इन्स्टान्स उनके पास नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान : मैं आपको इन्स्टान्स दे रहा हूं, मेरे क्षेत्र का एक नाथूराम किसान है वह वापिस देने को तैयार है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : उसको आप ले लें और प्रदर्शनी में रख दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपके कमेण्ट्स नहीं सुनना चाहता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उदयपुर क्षेत्र में मैंने देखा है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैं देख कर आया हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक भी केस आप बता दीजिये। मुझे एक किसान का नाम चाहिए, जिसने आपको यह कहा हो कि मैं पम्पिंग सैट को वापिस देना चाहता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं आपको लिख कर भेज दूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अगर कृषि मंत्री जी चाहेंगे तो मैं एक नाम नहीं, दस नामों की सूची उनको दे दूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बारी आवे तब आप बता दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप एक नाम चाहते हैं, मैं दस नाम दे दूंगा। आप टेलीफोन करके मालूम कर लीजिये। यह कलेक्टर को लिख कर दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : महारावल साहब झूठ नहीं बोल सकते हैं। इस बात के बारे में मुझे यकीन है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आपकी बात के बारे में क्या मालूम ? फिर भी आपकी बारी आवे तब सोचेंगे आपकी बात के बारे में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं आपको निवेदन करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सपुर में आदर्श कूप है। यह जो आदर्श कूप है उसमें एक भी पीपा पानी का नहीं है। इसमें तो मैं कोई शोहरतबाजी भी नहीं कर सकता। आप वहां पर जाकर देखिये कि यह झूठ है या सच। अगर सच हो तो आप किसी तरह भी यह उपाय करें जिससे यह सफल आदर्श कूआ हो। मैंने मुख्य मंत्रीजी को लिख कर भी भेजा था। अब इस अकाल की स्थिति के अन्दर तथाकथित आदर्श कूए को वास्तविक रूप से आदर्श कूआ बनाने का स्वर्णमय मौका है, उसको गहरायें या उसको निवानी कूआ बनायें। और जो कुछ जहां खर्चा करायें वह करायें, लेकिन यह नहीं कराते हैं तो अन्याय

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है आपका। इस तरह आज अकाल की स्थिति के अन्दर कूओं को गहरा करते हैं, तो मेरे ख्याल में, किसानों के लिए एक उत्तम प्रजार की सेवा होगी, एक बड़ा रचनात्मक कार्य होगा और मेरे ख्याल में उत्पादन में भी · · ·

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह शोखेबाजी से नहीं होगा। काम अच्छा है, रचनात्मक है लेकिन शोखेबाजी से नहीं होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : काम अच्छा है तो करना पड़ेगा। बिल्कुल आपका कहना सही है कि शोखेबाजी से नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कूए गहरे करने के बारे में जो व्यवस्था है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा। अब ब्लास्टिंग ऑथोरिटी क्या है? पता नहीं, वह क्या है? ब्लास्टिंग करने वाले साहब आये। ब्लास्टिंग के लिए जो एक कारतूस होता है, उसको करने का आठ रुपये लेते हैं। मुझे पक्का मालूम नहीं है, आठ या सोलह ब्लास्ट करने होते हैं सेल्स या कार्ट्रिजेज से। वह सोलह के सौ या आठ के सौ कुछ ऐसा लेते हैं। तो उन्होंने एक ब्लास्ट लगाया। वह फुस्स करके खत्म हो जाता है और एक पत्थर भी नहीं उखड़ता है। उस वक्त ब्लास्टिंग ऑथोरिटी को कह देना चाहिए कि आपका पत्थर है वह ब्लास्टिंग के प्रतिकूल है और ब्लास्टिंग करके कूए को गहरा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो कोई हर्ज नहीं। तो एक ब्लास्ट बराबर नहीं लगा तो दूसरा ब्लास्ट भी लगाया, दूसरे के बाद तीसरा ब्लास्ट भी लगाया। आपने उदाहरण के लिए कहा; तो क्या इसका भी उदाहरण लाकर दूं? तो वह तीन-चार ब्लास्ट लगा कर बाकी को छोड़ कर भरर से वापिस चले जाते हैं · · ·

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : यह डूंगरपुर में फुस्स हो गया।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : यह डूंगरपुर में हो रहा है। यह जो दो आंखें देख कर आई हैं वह मैं सदन के समक्ष निवेदन कर रहा हूं। तो मंत्री महोदय को सोचना है तो सोचें। आप अट्ठारह साल के अन्दर राजस्थान को, खैर अन्न नहीं दिया, लेकिन आपने शुद्ध पानी भी नहीं दिया है। ये आपकी योजनायें क्या हैं? ये योजनायें हैं? मैं समझता हूं कि ये कोई योजनायें नहीं हैं।

हमारे डूंगरपुर में गेहूं का अभाव है। दो मंत्रीजी आये, एक मंत्रीजी जो मेरे सामने बैठे हैं और दूसरे यहां नहीं हैं। डूंगरपुर वालों ने कहा, "साहब, हमें गेहूं नहीं मिलता है। खैर, साफ कह दिया गया गेहूं तो नहीं मिल सकता है।" मैंने भी कहा कि सरकार की मजबूरियां हैं, इसलिए गेहूं नहीं मिल सकता है। पी० एल० ४८० के अन्तर्गत जो भैंस और गाय के खाने का गेहूं है वह हमें मिलता है और खाते हैं तो हमारा नसीब है। लेकिन जो चना मिल रहा है वह भी सुला हुआ। जो मक्की मिल रही है वह भी सुली हुई। आज बेचारी ग्रामीण जनता को मक्का भी सुली हुई मिल रही है और एक मन अनाज के अन्दर आठ-दस सेर धूला है · · ·

श्री जयनारायण सालोदिया : शेम। शेम!!

श्री नाथूराम मिर्धा : जरा थोड़ा चुप रहो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक माननीय सदस्य, जो सदन में नहीं हैं · · ·

श्री जयनारायण सालोदिया : शेम-शेम लिखने में चूक जाते हैं?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह थैलियों में सालिता घास और रोटी लाये जो उन्होंने सदन की मेज पर रखी। आज बेचारे ग्रामीणों को वह घास की रोटी खाकर पेट भरना पड़ रहा है। यह आपकी योजना है और यह आपका उत्पादन है। इसके बाद आपने क्या किया? आपने राइस मिलर के ऊपर टैक्स लगाया है। कहीं आपका जो शायद स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स है उस स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स के लिए जो लेवी लेते हैं। तो इस व्यवस्था को इस ढंग से लाने के लिए आपने राइस मिलर के ऊपर जो लाइसेन्स का २५० रुपया लगाया है वहां किसी ने लाइसेन्स लिया है या नहीं लिया है यह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आज आपकी लेवी की योजना है कि कोई व्यक्ति जो राइस मिलर का मालिक है और वह राइस मिलर के द्वारा चावल निकलवाये तो उससे आप लेवी ले लें आधा या चौथाई। इस तरह से तो कोई योजना हो सकती है लेकिन जो

(४.०० म. प.)

कोई भी लावे उससे आप १.४ लेवी लेने का प्रावधान योजना में रख कर ऑर्डर इश्यू करते हैं तो या जो भी धन्धा राइस मिलिंग का है वह भी ठप्प हो जावेगा।

एक तो मेरा यह निवेदन है सरकार से, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपकी लैंड पोलिसी, भूमि सम्बन्धी जो भी योजना आपकी हो वह इस तरह निर्धारित होनी चाहिये कि किसान के मन में स्थिरता आवे, उसके मन में यह शंका न रहे कि सच्चे माने में मैं इस जमीन का मालिक हूं या नहीं और आये दिन सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं होगी कि उनकी भूमि और सम्पत्ति पर सरकार अधिकार करे।

आज राजस्थान के किसान पर, मेरे खयाल में, हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिक टैक्स लगा चुके हैं। अब उसकी भी पराकाष्ठा पहुंच चुकी है। किसान के मन में यह निश्चित भावना है कि वह जमीन का मालिक रहेगा या नहीं रहेगा। आये दिन कानून निकलते हैं। आपने सीलिंग का कानून पारित किया, किन्तु ८ साल तक उसको लागू नहीं किया, एक स्वोर्ड ऑफ डेमोकलस की तरह उसको उन पर लटका कर रखा। एक ऑर्डर से हजारों लाखों ट्रान्सफर्स हो जायेंगे; मेरे खयाल से यह भी एक बड़ी भारी समस्या है और इससे जो स्थिति उत्पन्न होगी उस पर भी आपको गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान सच्चे रूप में अन्नदाता है इस देश का। उसके मन में स्थिरता लाना है, उसके अन्दर विश्वास जमाना है ताकि सच्चे रूप से, कड़ा परिश्रम करके उत्पादन कर सके।

रशिया का, माननीय श्री भीमसेनजी ने उदाहरण दिया। रशिया में गलत तरीके से कार्यों के कारण, एक बड़ा राष्ट्र होते हुए भी, भुखमरी की नौबत आयी। गांधीजी कहा करते थे, अपनी अच्छी बातों को क्रियान्वित क्यों न करें, दूसरे राष्ट्रों की बातों को लेकर क्यों नकल करें? सीलिंग का कानून भी आप प्रगतिशील कहें तो कह सकते हैं, लेकिन मेरे खयाल में सही और ठीक तथ्यों पर वह नहीं है। होलैंड आदि देश में देखें तो वहां भी सीलिंग नहीं है। वहां भी दो सौ एकड़ हैं। राजस्थान में इतनी जमीन है कि ३४ स्टैंडर्ड एकड़ की जगह ७४ स्टैन्डर्ड एकड़ हो सकती है। यह आपकी नीति का प्रश्न है। सीलिंग का कानून भी आपने पास कर लिया है। आप

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

किसान को स्थिरता नहीं देते हैं, तो राजकीय स्टेट फार्म्स द्वारा; माननीय खाद्य मंत्री ने कहा कि डिग्गी में फार्म धीरे २ मुनाफे पर संचालित हुआ है, मेरे खयाल में न कोआँपरेटिव फार्मिंग से उत्पादन बढ़ेगा, न भू-दान, ग्राम दान से उत्पादन बढ़ेगा और न सीलिंग ३४ एकड़ के प्रावधान से उत्पादन बढ़ेगा। किसान को आप ३४ एकड़ तक महदूद कर देते हैं और दूसरों के लिये कोई प्रावधान नहीं है। किसान के लिये यह प्रावधान है तो धनी लोग करोड़ों रुपया आपके इलेक्शन फन्ड में देते होंगे तो उनके लिये भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये। एक तरफ से बेचारे किसान को महरूम करके उसको कंगाल बनाना चाहते हैं तो इससे देश के ऊपर विपरीत प्रतिक्रिया होगी।

देश के सामने दो समस्यायें हैं। एक खाद्य समस्या और दूसरी बढ़ती हुई आबादी। अगर हम कोई भी योजना के सम्बन्ध में कितना ही ठोस कदम लेते हैं, जो लेते हुए मुझे नहीं दिखायी देते, जब तक बढ़ती हुई आबादी पर रोकथाम नहीं कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से कभी भी यह योजना सफल नहीं होगी। हमको इसमें नहीं शरमाना चाहिये। विरोधी दल के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इलेक्शन के समय या कोई समय सरकार ने परिवार योजना के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाया, कोई हम पोलिटिकल केपिटल करें और लाभ उठाना चाहें, यह हम नहीं करेंगे। दूसरे दलों की हम नहीं कहते। जहां तक हमारे दल की नीति है सरकार कोई परिवार नियोजन के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाये, हम उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन इसके लिये सरकार कोई ठोस कदम उठाये। जितना किया जा रहा है बिल्कुल नाकाफी है। सरकार को इस भीषण समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक दफा कहा था : "It is a cruel crime to bring more children into existence than could properly be taken care of."

जिस तरह से हमारे यहां खाद्यान्न की समस्या है उसी प्रकार हमारे परिवार नियोजन की समस्या है। खाद्यान्न की समस्या के सम्बन्ध में टैक्सेज के सम्बन्ध में मैं आपको हमारे "स्वराज्य" का लेख पढ़ कर सुनाना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से:

"Almost every day we hear our leaders asking the people to grow more food and overcome the food deficit. We are asked to hang our heads in shame, for inspite of 70 per cent of our people being engaged in agriculture, we still have to import large quantities of food. Along with this, we are informed of Government's schemes to give land to the landless. I would beg to point out that the greater is the pressure on land, the lesser will be the yield due to land-holdings becoming smaller. In America only 12 per cent of the people are agriculturists and that country is feeding half of the world. The Government should endeavour to reduce the pressure on land and not increase it. Agriculture is an industry and must be treated as such. It is the backbone of the country. There can be no factories or dams without food. Why does not the Government

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

give houses to the houseless and factories to the factory-less, as this would be easier, for houses and factories can be built but more land cannot be created. It is so very hard for our leaders to stop playing politics with land and see the practical side of things."

उपाध्यक्ष महोदय. . .

श्री मोतीलाल चौधरी (डोडवाना) : यह किसका लेख है और कब का है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : २६ जनवरी, १९६६ का है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : लेखक कौन है ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : लेखक आप देख लीजिये ।

श्री मोतीलाल चौधरी : कोई लेखक हो तो चेलेन्ज करें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक चिट्ठी लिखने वाला, एक इकोनोमिस्ट और भूमि सम्बन्धी विषयों के अन्दर माहिरी रखता हो उस व्यक्ति का है ।

उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सेज़ के सम्बन्ध में ८-९-४६ को ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को क्रिटिसाइज़ करते हुए महात्मा गांधी ने यह लिखा था ।

"This however is clear that tax as a whole should stand for the general benefit of the Society."

यह पत्र "हरिजन" नामक पत्र में जो वर्धा से निकला करता है और जिसके सम्पादक मशरूवाला है, उस पत्र में महात्मा गांधी ने ये विचार व्यक्त किये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने कहा है कि जनता के हित के लिये टैक्स लगने चाहिये । इटर्नल ट्रुथ होती है वे कभी चेन्ज नहीं हो सकती । बीस बरस पहले चाहे यह बात कही हो, आप उसके लिये कह सकते हैं कि उसकी वेलिडिटी क्या है, वह आज की स्थिति में वास्तविकता से परे आज जमाना बीस बरस आगे चला गया है । लेकिन चन्द ऐसी बातें हैं जिनको अनादिकाल से मानते आये हैं, जैसे सत्य बोलो, चोरी मत करो । महात्मा गांधी ने जो कहा वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है कि राज्य को अधिकार है कि वह टैक्स द्वारा अपना कोष भरे, इस तरह होना चाहिये । राजा प्रजा रूपी कमल से इतना ही रस प्राप्त करे जिससे वह तृप्त हो जाय और जो कमल है वह कुम्हलाये नहीं । आज तो कमल आप के इस हड्डी चूस रूपी टैक्स से जो आप लगा रहे हैं कुम्हला रहा है । इसका कारण है आपकी जो गलत नीतियां हैं, आपकी जो गलत योजनायें हैं, उससे स्वावलम्बन आपसे कोसों दूर जा रहा है और निश्चित रूप से जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि चारे की व्यवस्था राजस्थान में शीघ्र से शीघ्र करनी चाहिये । अगर चारा आप नहीं भेजेंगे तो हजारों ही नहीं लाखों की तादाद में मवेशी मर जायेंगे । हमारी तरफ तो पशु मरने भी शुरू हो गये हैं । उदयपुर डिवीजन को इसमें प्राथमिकता दी जाय, यह मैं नहीं कहता; मेरे ख्याल से मारवाड़ में यह समस्या और ज्यादा विकट होगी । पहले मारवाड़ से मवेशी मध्य भारत को चले जाया करते थे, अब उनके लिये मध्यप्रदेश में जाना

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भी कठिन हो गया है। वहां के लिये भी आप व्यवस्था करें उसके साथ साथ डूंगरपुर, उदयपुर जिला और बांसवाड़ा जिले में भी घास शीघ्रातिशीघ्र भेजें।

कन्ज्यूमर्स स्टोर्स के सम्बन्ध में भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया, उसका मैं स्वागत करता हूं। कन्ज्यूमर्स स्टोर्स के साथ साथ चीप ग्रेन शोप्स भी खोलने की व्यवस्था करें। उसके साथ साथ आप यह भी व्यवस्था करें कि वहां पर जो अनाज भेजें वह इस प्रकार का नहीं हो जो कि रद्दी की टोकरी में डालने लायक हो। मनुष्य खाये, ऐसा अनाज होना चाहिये। मैं आपके सामने डूंगरपुर में किस प्रकार का चना, मक्का मिलता है वह मैं पेश करूंगा।

मैं यह भी समझता हूं कि आप जिस प्रकार की योजना बनायें उसमें यह भी ध्यान रखें कि राजस्थान में दुष्काल बराबर पड़ते रहते हैं। उस दुष्काल का मुकाबला करने के लिये किसान को उसकी फसल की गारन्टी देने के लिये किसान को संरक्षण देने के लिये उनको फसलों का बीमा करने का यदि सरकार विचार करती है और इस बारे में स्कीम को एग्जामिन करवाये इससे फाइनेन्शियल प्रोस्पेक्ट किस हद तक पड़ेंगे, वह सफल हों सके, यह भी विचार करने योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार को यह भी निवेदन करूंगा कि वे मितव्ययता की तरफ भी ध्यान दें। मंत्रियों की संख्या वह की वह है, उनके दौरे भी उसी प्रकार बदस्तूर हैं। एक मंत्रीजी आये थे, उनके पीछे दस-दस, बारह-बारह मोटरें, बी० डी० ओ० साहब, एस० पी० साहब और कौन कौन साहब एक लम्बी कतार सवारियों की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं एक छोटी सी रियासत का राजा था उस समय कांग्रेस के दोस्त कहते थे कि हम जनता को पैसा चूसने वाले हत्यारे और रावण हैं। उस समय भी मेरे पास एक मोटर थी और आज भी एक मोटर है। आज के जमाने में मंत्रियों और उप-मंत्रियों की जो सवारियां इस प्रकार निकलती हैं, उन पर किसी प्रकार से भी हो कन्ट्रोल किया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): ये महारावण हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अगर आप मितव्ययता के सिद्धान्त को मानकर अष्ट-प्रधान मंत्री मंडल रखें तो भी राजस्थान का काम अच्छी तरह से चल सकता है। आपसी फूट को बचाने के लिये, अपने संगठन को कायम करने के लिये आपको जो जचे आप करें और कर रहे हैं लेकिन इस प्रकार की अन सोसलिस्टिक डिमोंस्ट्रेशन और मोटरों की केवल केड (Cavaleade) जो सवारियां निकला करती हैं उस पर विचार करें कि यह क्या हो रहा है।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं यह जरूर कहूंगा कि औद्योगीकरण के सम्बन्ध में सरकार जो कदम उठा रही है वह ठीक दिशा में है, नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिये जो कदम उठाया जा रहा है वह भी ठीक दिशा में है। मुर्गी पालन बुरी चीज नहीं है, जो कदम इस बारे में उठाया जा रहा है वह गलत रास्ते पर नहीं उठाया जा रहा है।

बिजली के सम्बन्ध में अवश्य कुछ निवेदन करना चाहूंगा। बिजली की बहुत

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दिक्कत है। शायद चम्बल योजना बेसीकली डिफेक्टिव है। यह भी ठीक है कि कई गांव बिजली से जगमगा भी उठे हैं। श्री भीखाभाई का निर्वाचन क्षेत्र जगमगा उठा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र आसपुर में भी जहां बिजली नहीं है वहां बिजली लगे तो अच्छा है। सोलह-अठारह वर्ष स्वतन्त्रता प्राप्त हुये हो गये डूंगरपुर जिले में बिजली जगमगा रही है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरी वजह से दुर्भाग्यवश इसका अभाव है इस बारे में भी विचार करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): भीखाभाई के क्षेत्र में बिजली लग गई, लेकिन भीखाभाई की कुर्सी पर अन्धेरा ही अन्धेरा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कृषि मंत्री जी ने कहा कि कुछ ठोस उदाहरण रखें, ताकि हम कार्यवाही कर सकें। अब मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए कुछ उदाहरण सरकार के सामने रखना चाहूंगा।

कुछ दिनों पहले श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने लोकसभा में आरोप लगाते हुए कहा था "The Ministers are prisoners of indecision."

आपके जो इन्डिसीजन्स या जिन पर निर्णय नहीं होता है, उसके लिये आप कहते हैं, "जेरगौर है", "विचाराधीन है"; इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन आपको करना चाहता हूं।

द्वितीय बजट सत्र के आरम्भ में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए कुछ तथ्य मैंने सरकार के समक्ष रखे थे। उस समय भी मैंने नाम नहीं लिया था उस बारे में मुख्य मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी थी।

"You will kindly remember that in your speach in Vidhan-Sabha during the discussion on the Governor's address you had mentioned a case of a tank about which it was alleged that though lot of money had been spent on this work, in actual fact the tank did not exist. I will appreciate, if you can give me further details including the name of place where this has come to your notice."

इसके ऊपर मैंने उत्तर दिया कि २९-३६ हजार का जो श्रमदान इसमें हुआ बताया गया है उसके बारे में मेरा यह कहना है कि यह जो श्रमदान की बात कही गई है वह बात ठीक नहीं। यह सन् ६२ की बात है, जो अभी जेरगौर है। मुख्य मंत्री महोदय ने कृपा पूर्वक २८ दिसम्बर, १९६५ को पत्र लिखा—

"जोगीवाड़ा ग्राम के तालाब के सम्बन्ध में आपका दिनांक १८ अगस्त, १९६५ का पत्र प्राप्त हुआ। अधिशासी अभियन्ता की जांच रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। यह रिपोर्ट अविलम्ब मंगाने के लिये सम्बन्धित विभाग को लिखा है। इस मामले में विलम्ब हुआ है उसका मुझे खेद है।"

आखिरी पत्र दिसम्बर २८, १९६५ का है। जिसमें लिखा गया कि इस विषय में विभागीय कार्यवाही जारी है।

"आपका दिनांक १४-१२-६२ का पत्र प्राप्त हुआ जोगीवाड़ा तालाब के सिलसिले में।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इस विषय में विभागीय जांच की कार्यवाही कर रहे हैं। मैं पुनः सिंचाई विभाग को लिख रहा हूं।

तो मेरी इसमें कोई विशेष मांग नहीं है। मैं किसी को सजा भी नहीं दिलवाना चाहता। मेरा तो यह निवेदन है कि मजदूरों को उजरत नहीं मिली; तीन-चार वर्ष हो गये। मस्टर रोल और दूसरे कागजात आसपुर पंचायत समिति में रक्खे थे। शायद है, उनको अब इधर उधर कर दिया हो। मेरी तो यह मांग थी मुख्य मंत्रीजी से कि आप फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो को यह मामला सौंप दीजिये। बहुत से जाली नाम लिख दिये हैं। इस सम्बन्ध में जांच होनी चाहिये। जिनके थम्ब इम्प्रैशन हैं, उनके ब्यूरो द्वारा सिद्ध हो जाते हैं कि ये आदमी हैं और इनको पेमेन्ट हुआ है तो केस खत्म हुआ। मुझे कह दिया जावे कि जो मैंने कहा वह ठीक नहीं है।

पर मामला अभी भी डिसाइड नहीं हुआ और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना के लिये कुछ नहीं कहता। पर ऐसा लगता है कि सम्बन्धित विभाग का कोऑपरेशन उनको नहीं मिलता, ऑर्डर का पालन नहीं होता। तो यह एक गम्भीर विषय सरकार के लिये सोचने का है।

इसी तरह से तीन साल हुए, एक लेने-देने के मामले में, जिसमें कोई लाख रुपये भी नहीं, चन्द हजार रुपये थे, एक ठेकेदार था, ८४-८५ वर्ष की उसकी उम्र हो गई, अन्धा है, गरीब हो गया है अब। एक जमाने में ठीक स्थिति का आदमी था। कुछ हजार रुपया सरकार से लेने थे; कुछ सरकार को देने थे। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से साहब को जाकर कहा कि मुझे इस आदमी पर दया आती है, आप इसका काम निपटा दीजिये। उनको भी दया आई उस आदमी के लिये। उन्होंने मिसल मंगाई। उस मिसल के आने में भी लाल फीताशाही इतनी हुई कि जिसकी हद नहीं। मैंने कहा, जो कुछ भी है ऑर्डर देकर इसे तुरन्त डिस्पोज ऑफ आप कर दें। इसे इधर या उधर कुछ भी कर दें, जो आपको करना वाजिब लगता हो, पर तुरन्त करें। पर यह रैड टेपिज्म और बिजनैस ऑफ इन्डिविजुअल जो ऊपर बैठा है, नहीं होने देता। यह बिल्कुल ऐसी चीज है, जो कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं भी यह अनुभव करता हूं, उन्होंने यह ऑर्डर दिया कि लेना-देना सिम्पिल इन्टरेस्ट फला कर कर दिया जावे।

अब एक तरफ ठेकेदार की तो क्या स्थिति है? पूरी मिसल मंगाने पर पता लगेगा। पर अगर ठेकेदार का लेना है तब तो सिंपल इन्टरेस्ट और राज्य का लेना है तो कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट। अब यह किस प्रकार का सरकार का तरीका है, यह वही जाने।

उस गरीब आदमी के लड़के को वित्त विभाग के लोग कहते हैं कि हजार रुपया लाओ, पांच सौ लावो, कल मामला निकाल देते हैं। पर मैंने तो साफ कह दिया है उसको कि अगर रिश्वत देकर काम कराना है तो मेरा साथ छोड़ दो क्योंकि रिश्वत देना और लेना एक पाप है और मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास हजार और पांच सौ रुपया भी है कहां? सो वह लाकर दे।

(४.२३ म.प.)

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभा-मंत्री, पदासीन)

मंत्री महोदय का हुक्म हो गया। अब अगर डूंगरपुर में हिसाब करने को कहते हैं तो जवाब मिलता है, फाइल जयपुर ले जा रहे हैं वहीं हिसाब होगा। यहां पर पूछते हैं तो कहा जाता है कि वहां के आदमी ही इस हिसाब का निराकरण कर सकते हैं। तो यह सब टल्लेबाजी है। यह इस भ्रष्ट प्रशासन की दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है।

सभापति महोदया एक और उदाहरण दूंगा और वह बहुत ही दयाजनक है। छोटी-छोटी ये बातें हैं। गुड़, खांड आदि की बड़ी बड़ी चोरियों का हल नहीं निकालते, पर इन छोटे-छोटे मसलों की भी कोई सुनवाई नहीं। मैंने सोचा ऐसे छोटे-छोटे मसलों पर भी कुछ सुनवाई होती है या नहीं यही देखो। सोचा चलो लक्ष्मणसिंह। देख तो लो-इसका नतीजा निकलता है कि नहीं। तो एक्सपेरीमेन्टली मैंने एक छोटा सा मामला हाथ में लिया।

१९३० में डूंगरपुर रियासत के वक्त एक ठिकाना था 'कुआ'। नाबालिग ठिकाना था। वह अविवाहित ही मर गया। उस वक्त मैं भी नाबालिग था। पोलिटिकल एजेन्ट ने तब तक के लिये अन्य व्यक्ति को दत्तक रक्खा। जब मैं बालिग हुआ तो मिसल मंगा कर छानबीन की। इसके बाद निर्णय पर पहुंचा कि पानी वाले की नसल में से नहीं था। ठिकाना बच गया। पर कम्पेन्सेटरी अलाउन्स के रूप में जो दत्तक रखा गया था उसको उस जमाने में ५०) रु. पेन्शन तय की। उसकी आज २५०) की पर्चेजिंग पॉवर हो गई और माजी को २५)।

मेरा सवाल सिर्फ २५) रुपये का है। उसको सभापति महोदया, ३२ साल तक ३०) रुपया पेन्शन बराबर मिलती रही। हर महीने जब पेन्शन लेने को यहां पर कोई न कोई अपना नौकर भेजती तो चार-पांच, छः रुपया इधर उधर देना पड़ता था क्योंकि 'जय हिन्द' का जमाना है, जेब गरमी का जमाना है।

आखिर में जाकर जब जेब गरमी के बाद १५) ही बचने लगा तो बुढ़िया ने कहा अब तो मेरे से नहीं हो सकता। इस तरह से चाय-पानी नहीं दे सकती। देना हो तो दो। अब उसकी तीस साल की पेन्शन, इस राजस्थान में इन्टीग्रेशन के सत्रह-अठारह वर्ष तक भी चल कर अब एक दम बन्द कर दी गई।

और वह जो दत्तक है, उसकी पचास रुपया पेन्शन बराबर जारी है। अब इसकी क्या स्थिति है कि जिससे कोई न कोई हल इसका निकल सके। मैंने इसके लिये बहुत कोशिश की। मैंने सभापति महोदया, पांच सौ रुपया मेरे पास से खर्च कर दिये। मैंने अपने ए. डी. सी. को इसके लिये उदयपुर भेजा। जयपुर भेजा। उदयपुर वाले कहते हैं, जयपुर जाओ, जयपुर वाले कहते हैं उदयपुर जाओ, वहीं से यह होगा। उदयपुर वाले फिर और कहते हैं डूंगरपुर जाओ, वहां होगा। डूंगरपुर वाले कहते हैं सागवाड़ा तहसील में जाओ। आखिर मेरी समझ में नहीं आता कि यह समस्या क्या है? वहां पूछते हैं तो अब कहते हैं कि इसका असल हुक्म लाओ। वह विधवा ७५ वर्ष की बुढ़िया! अब कहां से लाकर

Page No. 94

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हुक्म अब ३० वर्ष बाद लावे। उसको तो दाने दाने को खाने को नहीं मिलता। वह कोई तालेवार भी नहीं है। गरीब विचारी! इस तरह से अगर वहां भी जलाला होती है तो यह इस प्रशासन के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है।

आखिरकार राज्य की भी मां जी हैं, शास्त्री जी की पत्नी हैं, उनकी भी, आपने सरकार ने व्यवस्था की है। औरों को भी की है। यह अनुमान आम बात है कि जो पेन्शन होती थी विधवाओं की, राजाओं के जमाने में या आज के जमाने में भी, वह आजीवन पर्यन्त हुआ करती थी। अब यह पूछा जावे कि गुजारा लड़के के सहारे कर सकती है, पर उसके तो लड़का भी नहीं है। तो आखिरकार यह कब तक चलेगा? तीन-चार साल इस तरह से हो गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप कृपा करके व्यवस्था करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): यह केस कहां चल रहा है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब मुझे क्या मालूम। जयपुर वाले कह रहे हैं, उदयपुर जाओ; उदयपुर वाले डूंगरपुर भेजते हैं, डूंगरपुर वाले सागवाड़ा तहसील में भेजते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई विभाग तो होगा, देवस्थान विभाग, रेवेन्यू विभाग या कि जागीरदारी विभाग।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो अब आप जानें, कौनसा विभाग इसको डील करता है, आज तो इस सरकार के विभाग इतने हो गये हैं जितने मेरे सिर में बाल भी नहीं होंगे। यह विभागों का चक्कर भी अजीब है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I will treat it out, तहसील डूंगरपुर से मिलती होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : २५) रुपया तो आजकल राज्य की नई व्यवस्था के अनुसार ऐसी असहाय विधवा को दिया जाता है। अब आप फरमा रहे हैं कि पुराना हुकम लाओ, और आपके ए० डी० सी० से पता लगाने में पांच सौ रुपये खर्च कर दिये और यह भी पता नहीं लगा सके कि किस महकमे में यह है, किस जगह मामला अटक रहा है। तो सचमुच स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा था तो हमें बता देते आप। पर हमें भी बतावें नहीं, पांच सौ रुपया भी खर्च कर दें बात समझ में नहीं आई कि फिर भी कुछ हुआ नहीं, आप जैसे असरदार आदमियों के पीछे रहते हुए भी। आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और इतनी देर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं आपको लिखित रूप में दे दूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि सारा विवरण भेज दूंगा। जो कुछ भी याद पड़ता है कह दूंगा और भूतपूर्व वहां के राजा के नाते में यह तो अभी कह सकता हूं कि उसको मैंने पेन्शन दी थी। और अगर आपके यहां इसकी भी कोई प्रतिष्ठा नहीं है तो मेरे खयाल से यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति ही मैं कह सकता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप महरबानी करके एक चिट्ठी के जरिये राज्य के किसी भी मंत्री को लिख कर भेज दीजिये। राजस्व मंत्री को भेज दीजिये। मुख्य मंत्रीजी को भेज

(श्री नाथूराम मिर्धा)
दीजिये । मैं इसका फैसला १५ दिनों में करवा दूंगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जहां महारावल सरीखे प्रभावशाली व्यक्ति को एक छोटे से मामले में इतना करना पड़ता है तो यह सहज अन्दाज लगा सकते हैं आपके इस भ्रष्टाचारी प्रशासन में छोटे गरीब आदमियों की तो क्या दुर्गति होती होगी ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो पोपा बाई का राज हो गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो जैसा प्रोसीजर आपने हमने बताया है वह है । पर इतनी छोटी सी बात और वर्षों से चल रही हो और आप हमें बतावें तक नहीं तो हम क्या कर सकते हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह : तीन वर्ष तक पेंशन मिली और दो साल से वह बन्द हो गई ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जैसे महत्वपूर्ण आदमी पैरोकारी करें और फिर भी काम नहीं बना ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा क्या महत्व है आज इस नौकरशाही ढांचे में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे मन्त्रि-मण्डल को पता नहीं है, हमको आपने कहा हो तो कहिये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आज तो हालत यह है कि बार्गेनिंग होता है, पांच रुपया महीना पुण्यार्थ मिलता है वह भी आसानी से नहीं मिल सकता । बार्गेनिंग करना चाहें तो हो जाता है । नहीं तो इस बार्गेनिंग में हमारे जैसे की भी क्या बिसात हो सकती है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वाजिब आदमी कहें और फिर हम विपरीतता करें तो आप हमें दोष दे सकते हैं । हम वाजिब बात पर गौर करेंगे । उसके लिये कदम उठावेंगे । मैंने कहा आप चिट्ठी भेज दीजियेगा । १५ दिनों में बराबर इन्तजाम करा दिया जावेगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं अभी जाकर ५ दिन में जो कुछ होगा वह ले आऊंगा, तो आप कृपा करके यह पूछिये डूंगरपुर कलेक्टर साहब से कि ऐसी ऐसी अवस्था आई और कोई पांच-छः दफा मेरा ए० डी० सी० वहां जाकर आया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कलेक्टर से पूछ लेंगे और कहां लैतलाली हुई, यह भी मालूम कर लेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप कहते हैं कि पांच-दस दिन में मिल जावेगा, यों टाल-मटोला करके हमारे सब्र की शक्ति, पेशेन्स एण्ड एन्ड्योरेन्स है वह भी एग्जास्ट होने लगी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप एग्जास्ट मत करिये और हम इसको बिलकुल कर देंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदया, मैं जंगलों के संबंध में भी दो ही शब्द निवेदन करना चाहता हूं । जंगलों के लिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि जंगल हमारे राष्ट्रधन हैं और यह सम्पत्ति ह्रास होती जा रही है । जंगलों के बारे में कोई प्लान नहीं है और मेरे ख्याल से जो ठेकों की व्यवस्था है सरकारी, एक हद तक मैं उसका विरोध नहीं करूंगा; लेकिन जंगलों के बारे में कम से कम जो डी-फॉरेस्टेशन है, ओवर एक्सप्लोइटेशन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है यह कम से कम बन्द करें और एफोरेस्टेशन की जो व्यवस्था है उसमें जहां भी पैसा खर्च होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है। जंगल नहीं उगते और वहां पर मवेशी चरते हैं और जहां भेड़, बकरी और मवेशी चरें वहां पर पौधे कहां उत्पन्न हो सकते हैं ? तो मैं वन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बारबार मैं कहता हूं कि इस बारे में आप ध्यान करें और जंगलों के संरक्षण के विषय में कोई न कोई व्यवस्था करें।

गेम सेंचुरी के लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने सुना है, पता नहीं कहां तक ठीक है कि जयसमंद को सेंचुरी है वहां भी आपने कोई ठेका दिया है तो जहां आप सेंचुरी रखें वहां कम से कम सैंचुरी को तो इस हद तक संरक्षण दें कि उसके अन्दर मवेशी नहीं जायें, भेड़-बकरी नहीं जायें, ऊंट नहीं जायें। अगर आप यह समझते हैं कि दुष्काल है तो आधी सेंचुरी को खोल दें। अगर आधी सेंचुरी को भी आप प्रोटेक्शन देंगे तो वहां पर कुछ ब्रीडिंग होगी; जानवर वहां पर पनपेंगे और उनकी तादाद बढ़ेगी। अगर यह भी आप नहीं कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से यह सब आपकी व्यवस्था है, यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है।

मैं समझता हूं, सभापति महोदया, कि यह जो आपकी इलेक्शन पद्धति है यह दिनों-दिन बहुत मंहगी होती जा रही है। इसमें भ्रष्टाचार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। क्या सूरतगढ़ में, क्या राजाखेड़ा में और क्या इन पंचायतों के चुनावों में मैंने देखा कि विरोधी पक्ष जो साधनहीन हैं, धनहीन हैं, कोई मुकाबिला शासनारूढ़ दल का नहीं कर सकते। तो यह एक फासिस्टवाद और डिक्टेटर का काम आप करना चाहें तो करें, लेकिन आपके रूल्स के अन्दर ऐसा प्रावधान अवश्य होना चाहिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम अमुक मोटरों से ज्यादा नहीं जायें। अगर आप १०० या ५० मोटरें डालें तो आज के जमाने में कोई भी विरोधी दल ऐसा सबल नहीं है कि वह ५० की जगह १० मोटरें भी डाल सकता हो। आप इस पर विचार करें। पंचायतों के संबंध में जो व्यवस्था है उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं और बहुत सी बुरी बातें भी हैं। बहुत सी बुरी बातों का जहां तक संबंध है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तीन सौ, चार सौ आदमियों को रोज खिलाते हैं उनको भेड़, बकरी की माफिक यह कहां तक उचित है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : दोनों तरफ से ऐसा किया गया है, तब खिलाना पड़ता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे ख्याल से इस पर सरकार को अवश्य गंभीरता-पूर्वक सोचना चाहिए। मेरा दल इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर इस संबंध में विरोध कर रहा है और यह जो बिल्कुल अनइक्वल पैमाने पर यह होता है इसकी उचित रोकथाम होगी रूल्स के द्वारा तभी संरक्षण मिल सकता है जनतंत्र को, वर्ना नहीं।

कांग्रेस अधिवेशन के अन्दर जो भी राष्ट्रधन खर्च हुआ, कितने ही यहां राज्य कर्मचारी आये तो मैंने इस दौरान में साफ अनुभव किया है कि कांग्रेस प्लस कर्मचारी वर्सेस अपोजीशन का फार्मूला धीरे धीरे आप अपनाते जा रहे हैं। कितना अच्छा होता सभापति महोदया, कि यहां के कांग्रेस अधिवेशन में जो रुपया खर्च हुआ उसी से अगर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सस्ता अनाज लाकर और कम कीमत के ऊपर जनता को बेचा जाता । मैं यह नहीं कहता कि राजाओं के राज्य में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं कि गल्ला लिया, नुकसान लाखों रुपयों का भुगत करके जनता को गल्ला दिया । बल्कि उनके मुस्तरत और रानियों के जेवर गिरवी रखे, बेचे और सस्ता गल्ला दिया । इसकी जगह हमने क्या देखा कि आप गल्ले के अन्दर भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं और जनता के जीवन के साथ एक मखौल कर रहे हैं । मैं अपोजीशन पार्टी के नाते यह समझता हूं और सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं कि यहां पर हमने आशंका प्रकट की है कि महारानी गायत्री देवी का प्रभाव कम करने के लिए यहां पर आप कामराज को बरात लेकर आये और अधिवेशन किया, यह सर्वथा अनुचित था । इन्हीं कारणों के द्वारा मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता ।

श्री अब्दुलअब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदया, १९६६-६७ का बजट अधिवेशन शुरू हुआ और शुरुआत में ही जिस ढंग से शुरुआत हुई वह समस्या यहां राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में एक विचार का विषय बन गया और उसको लेकर काफी चर्चा हुई । इस संबंध में थोड़ासा प्रकाश डालना अनिवार्य समझता हूं । क्योंकि जहां हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं तो हमारा कर्तव्य हो जाता है और खास तौर से विरोधी होने के नाते हमें इस पर बहुत गौर करने की आवश्यकता है । जहां राजा महाराजाओं के राज्य को बुरा कहकर और देशी राज्यों को खत्म करने के लिए नारे बुलन्द किये और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए नारे बुलन्द किये और लोग जेलों में गये, कई विद्यार्थी मारे गए, किसान बरबाद हुए और हमारे ही देश के स्वतंत्रता संग्राम में जोश के नशे में मतवाले फांसी के तख्ते पर चढ़े, वे इसलिए नहीं चढ़े थे कि हम एकतंत्र शासन कायम करेंगे, बल्कि जनतंत्र कायम करने के लिए उन्होंने बलिदान किया था । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की जहां ब्रिटिशर्स हुकूमत कर रहे थे और रियासतों में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का प्रतिनिधि रहा करता था । आज भी वही रूप नजर आता है । इसको चाहे कांग्रेसी मानें या नहीं, लेकिन मैं तो खास तौर से विश्वास करके चलता हूं कि आज का जनतंत्र उसी तरह का है जिस प्रकार कि राजा-महाराजा थे और वे गोरे लोगों के इशारों पर नाचा करते थे । उसी तरह से आज सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की मर्जी से हम चलते हैं । यह मानकर चलते हैं कि राजस्थान के एम० एल० ए० जिनको जनता चुनकर भेजती है वे अपने अधिकार रखते हैं और सुप्रिम मानकर चलते हैं । लेकिन विधान सभा एक बिल पास कर दे बहुमत से तो भी राज्यपाल और प्रेसीडेन्ट के हस्ताक्षर का मोहताज होते हैं, तो यह सुप्रीमेसी कहां चली गयी ? जिस प्रकार से ईस्ट इन्डिया कम्पनी के टाइम में राजा महाराजाओं को दबाने के लिए पलटन रखा करते थे और कहते थे कि यह बगावत करते हैं तो उसको कुचल दो । आज भी उसी तरह से सी० आर० पी० रखी जाती है जिसका नाम पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, अब उसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस रख दिया गया है; फर्क कुछ नहीं है, ढांचा वही है । मैं अपनी बात को आगे ले जाने से पहले चार शब्द पढ़ देना चाहता हूं :

पंछी यह समझते हैं, चमन बदला है,
हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है,
शमशान की खामोशी मगर कहती है,
है लाश वही सिर्फ, कफ़न बदला है ।

(श्री अब्दुलजब्बार खां)

(वाह-वाह-वाह !)

सभापति महोदया, यहां पर कुछ नहीं हुआ है केवल कफन बदला है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि यहां पर हमारे गवर्नर महोदय सेंटर की तरफ से नियुक्त हैं। मैं मानता हूं और विधान सभा के सारे सदस्यों से निवेदन करता हूं कि हम राष्ट्रपति के चुनाव का वोट डालते हैं, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें तमाम असेम्बलीज और पालियामेन्ट के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं, क्या कारण है कि विधान में यह प्रोविजन नहीं है, हमारे कांग्रेसी भाइयों ने जनतंत्र की प्रणाली को जीवित रखने के लिए यह नहीं किया। उनकी रगों में वह लाल खून नहीं दौड़ा कि जिससे वे विधान में यह प्रोविजन करा सकें कि गवर्नर भी चुन कर आना चाहिए। उनकी रगों में वह खून नहीं है कि वे गवर्नर को चुन के बैठाने के पक्ष में बात कर सकें। जो एक गवर्नर केन्द्र की तरफ से भेजा जाता है, हमारी सरकार और इस विधान सभा के १७६ सदस्यों के सिर पर लाकर बैठाया जाता है और उसके बाद में हम कुछ भी नहीं कर सकते।

सभापति महोदया, मैं इस दल दल में नहीं जाना चाहता जिसके सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह डेमोक्रेसी नहीं है। आज कांग्रेस ने अपने बहुमत के जोर से, अपने बहुमत के बल पर १२ सदस्यों को निष्कासित करने के लिए प्रस्ताव पास कर लिया है। मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेसी महानुभावों से कि जो जनता के वोट लेकर विधान सभा के सदस्य बने, जनता के प्रतिनिधि बन कर वे यहां आकर बैठे, लेकिन उनको यहां से निकलवा दिया, मैं पूछना चाहता हूं वे अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि उनकी संतानों में कितनी संतानें हैं जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती हैं

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : जनता से पूछ कर आए कि हम वहां जाकर हंगामा करेंगे, इस तरह से गडबड़ी करेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं हंगामे की ताईद नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रजातंत्र की बात कर रहा हूं; जनतंत्र के पक्ष में बात कर रहा हूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे माननीय सदस्य जो कांग्रेस के हैं वे बतायें कि उनकी कितनी संतानें हैं जो "इन्कलाब जिन्दाबाद" के नारे आज भी लगाती हैं ? कितनी संतानें हैं उनकी जो "इन्कलाब जिन्दाबाद" के नारे आज लगा सकती हैं ? मैं जानता हूं कि कोई नहीं है। तो आप यह मान कर चलिए कि आप विरोधी पक्ष को खत्म कर रहे हैं और अगर आप यह मान करके चलते हैं तो फिर आप कोई दूसरा विरोधी दल तैयार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी संतानें नारा लगाती है "इन्क्लाब जिन्दाबाद" हमारी संतानें आज नारा लगाती हैं कि "अन्याय का नाश हो" हमारी संतानें नारा लगाती हैं कि 'पुलिस का दमन खत्म हो।' हमारी संतानें नारा लगाती है 'इन्क्लाब जिन्दाबाद' के; लेकिन आपकी संतानें इनको मुंह से नहीं निकाल सकती क्योंकि वे जानती नहीं कि दमन किस चिड़िया का नाम है। वे ऐशो-आराम के साथ रहते हैं। जिस प्रकार राजा महाराजा की औलादें ऐश करती थी, आज कांग्रेसी महानुभावों की संतानें ऐश करती हैं। उनको यह मालूम नहीं कि कांटा चुभने भर से दर्द किस प्रकार का होता है

(श्री अब्दुलजब्बार)

इस प्रकार से आप जनतंत्र को जीवित नहीं रख सकते । जनतंत्र को जीवित रखने वाले हम लोग हैं । आप तो एकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, जिसका उदाहरण आपने विधान सभा में कल दिया । यह विश्वास के साथ सुनिए कि वह समय दूर नहीं है जब आपकी संतानें आर्थिक संकट में फंसेंगी जब आपकी संतानें सामाजिक संकट में फंसेंगी, आपकी संतानें पोलिटिकल संकट में फंसेंगी और आपकी संतानों का एक दम विकास राजनीति की ओर नहीं होगा और जब भी विरोधी पक्ष पॉवर में होगा, विरोधी पक्ष हुकूमत में होगा उस वक्त आपकी संतानें 'इन्कलाब जिन्दाबाद' का नारा नहीं लगा सकेंगी क्योंकि उनमें जनतंत्र की भावना नहीं भरी गई, उनकी रगों में इन्कलाब का खून" खत्म हो गया, उनमें तो केवल शासन करने का माद्दा आपने पैदा कर दिया है । जिस प्रकार एक आइ० ए० एस० का लड़का आइ० ए० एस० बनना चाहता है उसी तरह से एक मिनिस्टर का लड़का मिनिस्टर बनना चाहता है तो वह डेमोक्रेसी नहीं हो सकती । कल सभापति महोदया, जो कुछ हुआ उसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि इस प्रकार गवर्नर महोदय ने जो चुने हुए नहीं होते हुए भी हमारे अधिकारों का हनन किया है, वे हमारे वैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं; उसके लीगल कॉम्प्लीकेशन्स तो क्या होते हैं, यह तो बाद में देखा जाएगा लेकिन मैं अभी गवर्नर महोदय के भाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं । यह विरोध मैं क्यों करता हूं कि हम किन गवर्नर महोदय को धन्यवाद देने को खड़े हुए जो अनडेमोक्रेटिक है, जो अनपार्लियामेंट्री है और जिन सदस्यों के, विधान सभा के जिन सदस्यों के अधिकार सुरक्षित हैं, जिनके अधिकार संविधान से गारंटीड हैं, जिनके इंटरेस्ट सेफ गार्ड हैं कांस्टीट्यूशन से, उनको अनपार्लियामेंट्री मैनर के आधार पर यहां से निकाला गया है और जिन्होंने निकलवाया है, उनको हम धन्यवाद नहीं दे सकते ।

अब मैं उनके द्वारा दिए हुए भाषण में जो बातें कही गई हैं उनको ही लेकर यहां एक एक कर डील करता हूं और उसमें बतलाऊंगा कि स्थिति क्या है और उसकी किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की है । उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की है स्वर्गीय लालबहादुरजी शास्त्री का नाम लेकर । बहुत से कांग्रेसी जब लालबहादुरजी शास्त्री का नाम लेते हैं तो मुझे हंसी आती है और दुख भी होता है । जी चाहता है कि सिर में हथौड़ा मार कर मर जाऊं और बता दूं कि तुम लालबहादुर शास्त्री का नाम लेकर उसको गन्दा करते हो, उस महान आत्मा के प्रति अपराध करते हो जिसने कहा 'जय जवान, जय किसान" । बताइए उन्होंने कब कहा 'जय पूंजीवाद' । दौलत के पुजारी कांग्रेसी महानुभावो, तुम सांप बन कर शोले पर बैठना चाहते हो । तुम किसी सूरत में देश के लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं हो । उस महान् आत्मा ने जो मंत्री भी रहा, प्रधान मंत्री रहा, जो एम० एल० ए० और एम० पी० रहा, म्युनिसिपल कोर्पोरेशन में रहा, दुनियां भर की माया-कौड़ी की, लेकिन जिस वक्त मरा अपनी औलाद को सिर छिपाने के लिए भी जमीन नसीब नहीं हुई । उसी लालबहादुर शास्त्री के नाम को सबसे पहले गवर्नर महोदय ने इसमें रखने की कोशिश की है लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या उन्होंने उस वक्त सोचा कि वही लालबहादुर शास्त्री जो कि विरोधी दल को पहले पूछता था क्या हाल है तुम्हारे, क्या नजरिया है तुम्हारा, देश किस

(श्री अब्दुलजब्बार)
स्थिति में चल रहा है. किस प्रकार की आपकी राय है, यह कदम हम उठा रहे हैं उसमें आपकी, विरोधियों की क्या राय है? इस प्रकार काम करते थे हमारे लालबहादुरजी शास्त्री, लेकिन आज आप क्या करते हैं, विरोधी पक्ष को गोलियों का शिकार बनाते हैं। हमारे गवर्नर महोदय विरोधी दल को धक्के मार कर बाहर निकालते हैं। वह लालबहादुरजी शास्त्री के पद-चिन्हों पर चलना तो दूर रहा लेकिन उनके एक मामूली से नाखून का मुकाबला करने का साहस भी आज हमारे गवर्नर महोदय में नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कांग्रेसी महानुभावों से कि कम से कम दौलत का मोह छोड़ें, इन भवनों का मोह छोड़ें, महलों का मोह छोड़ें, इन कारों का मोह छोड़ें, देश आज उनकी ओर आंख उठा कर देख रहा है, आज देश तुम्हारी तरफ आंख उठा कर देख रहा है, यह भूखा नंगा देश देख रहा है।

हमारे समाज कल्याण मंत्री महोदय कार में बैठ कर चले जाते हैं, लेकिन घाघरे और लहंगे के अन्दर से गरीब महिलाओं की झांकती हुई आबरू उन्हें नजर नहीं आती। आज ऐसा देश जहां भूख के मारे लोग तड़प रहे हों, आज वह देश जिसमें डॉक्टर पर्चा लिख कर दे देता है दवाई स्टोर से खरीदो, आज भी एक मरीज को दवाई अस्पताल से नहीं मिलती, जिसका नमूना किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर देख लो, कितने इन्कम टैक्स देने वाले स्टोर हैं। कहां से देते हैं वे इन्कम टैक्स। कारण यही है कि डिस्पेंसरी के अन्दर दवाई नहीं मिलती, अस्पताल और दवाखाने दवाई नहीं मिलती, औषधालय में दवाइयां नहीं मिलती हैं और मजबूर होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज उनके बड़े २ महल बन गए, जिन्होंने मेडिकल स्टोर चार साल पहले खोला था। कहां से आया उनके पास पैसा ? जनता की जेब से आया। आज गरीब को हर हालत में बाजार से दवाई खरीदनी पड़ती है क्योंकि उसको अपनी औलाद को जिन्दा रखना है, अपनी संतान को और अपने अरमानों को जिन्दा रखना है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लालबहादुर शास्त्री का नाम लेकर शुरुआत करते हैं हमारे गवर्नर महोदय, जिनकी गाड़ियां तीन शेर वाली मूर्ति की, वे गाड़ियां दौड़ी २ फिरती हैं सड़कों पर और जिनमें उनके बच्चे बैठे रहते हैं। ठीक है, गवर्नर हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन उन्हें इस बात का अधिकार नहीं है कि वे गाड़ियों को इस तरह से दौड़ाते रहें, उनके बच्चे ऐशो आराम करते हैं। आज दूसरी तरफ देखिए कि गरीब आदमी मोटर में ऐसे बैठे रहता है कि पसीने के मारे दिमाग सड़ जाता है। एक मोटर की कैपेसिटी ५२ सवारी की है लेकिन उसी में १२५ आदमी बैठाए जाते हैं; लेकिन हमारी सरकार अंधी है, हमारी सरकार के प्रतिनिधि अंधे हैं, और हमारे कारकून। मैं कहना चाहता हूं कि कोई कहता है हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के हैं, हम ट्रैफिक कंट्रोल के हैं, वही लोग आंख दबा कर मुंह फेर लेते हैं और गाड़ियां निकल जाती है। सिर्फ चार आने के पैसे नाके पर और एक रुपया चेक पोस्ट पर देने की जरूरत है। हद तो यह है कि सौ सौ रुपये का टैक्स बचा कर पांच रुपये से निकल जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम अपने हित में न सोचिये, जनता के हित में सोचिये, राज्य के हित में सोचिये, उस हड्डियों के ढांचे, बापू की तस्वीर की तरफ देखिए जिसके अरमान आपको पूरे करने हैं। यदि आप उनके आशीर्वाद पर चलना चाहते हैं तो आपको

(श्री अब्दुलजब्बार खां)

उस हड्डी के ढांचे की तरफ सुबह उठ कर देखना चाहिये कि वह हड्डी की मूर्ति क्या कहती है, उसके क्या अरमान थे ? आप उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं तो छोड़िये धन के मोह को । धन ज्यादा दिन का नहीं है, खत्म हो जायगा । मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में छोटी सादड़ी में एक सेठ है, उसने ऐलान किया था कि वह शास्त्रीजी को सोने से तोलेगा । उसका वह सोना पड़ा का पड़ा रह गया, वह गिरफ्तार हुआ पड़ा है । उसका वह सोना सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ले गई । उसका यह दावा था कि वह उदयपुर के महाराणा को रुपयों की गाड़ियों भर कर देगा लेकिन वह सेठ सांप बन कर रुपयों पर नहीं बैठ सका । हम और आप क्या चीज हैं ? आप क्यों मोह करते हैं धन का ? गलती करने वाला चाहे गवर्नर हो, चाहे एक गरीब हो, कानून की नजर में सब बराबर हैं । हुकूमत की नजर में सब एक होने चाहिये । ऊंच-नीच को छोड़ कर काम करेंगे तभी चल सकेंगे । तो गवर्नर का यह कहना कि लालबहादुरजी शास्त्री के निधन पर संगीन घटना हुई, कम से कम मैं निवेदन करूंगा कि लालबहादुरजी शास्त्री के पद-चिन्हों पर चलने की कोशिश करें ।

दूसरी चीज में निवेदन करना चाहता हूं पुलिस के आइटम के बारे में, जो इसमें यह लिखा गया है कि सुरक्षा के संबंध में हमारी पुलिस का कदम अच्छा उठा । आचार्यजी पुलिस के मसले में बहुत कुछ अफसरों को डिफेन्ड करते रहते है, पहले भी किया है । सभापति महोदया, पुलिस के संबंध में मेरे विचार इतने कटु रहे हैं और इतने साफ तौर से मैंने पहले भी कोट किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मुल्ला ने साफ तौर से कहा था This is an organized gang of gundas. यह रिमार्क था, हमारी हिन्दुस्तान की पुलिस के लिये । आप सोचिये, सभापति महोदया, एक ओर्गेनाइजेशन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट के साथ में चलता है जिसका खास महत्व है उसके लिये, इस प्रकार का रिमार्क आवे तो मैं कहता हूं कि उस वक्त कोई भी आई० जी० पी० हो उसको एक दम इस्तीफा देना चाहिये । लालबहादुरजी के जमाने में पुल पर रेल्वे का एक्सीडेन्ट होता है उस समय वे तुरन्त पद से इस्तीफा दे देते हैं । उन लालबहादुरजी का नाम लेते हैं गवर्नर महोदय, किनके सामने ? कांग्रेस के उन महानुभावों के सामने जो रत्ती भर भी उनके पद चिन्हों पर चलने वाले नहीं हैं । रेल मिनिस्टर...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मैं ५ बजे तक तो बोलूंगा ही...

श्रीमती सभानेत्री : काफी सदस्य और बोलेंगे ।

श्री अब्दुलजब्बार : हमारी पार्टी के १४ सदस्य हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : इधर से भी बोलेंगे उधर से भी बोलेंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या और सदस्य जो बोलेंगे उनको कल भी बोलने का समय मिलेगा ?

श्रीमती सभानेत्री : क्या मतलब आपका ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जानना चाहता हूं कि इनके बाद दूसरे बोलेंगे वे कल भी कंटिन्यू करेंगे क्या ?

श्रीमती सभानेत्री : नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ५ बजे का समय हो रहा है, उस समय तक ये अपना भाषण समाप्त कर देंगे ।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सुमित्राजी, आप ५ मिनिट में अपना भाषण समाप्त कर देना चाहती हैं ?

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) : ५ मिनिट में नहीं बोल सकूंगी ।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं ५ बजे तक समाप्त करना चाहूंगा लेकिन ५ से ऊपर भी हो तो क्षमा करेंगे । बोलने की गलती गर्मी गर्मी कर जाता हूं ।

तो मैं अर्ज कर रहा था पुलिस के संबंध में । चित्तौड़ का उदाहरण देता हूं । मैंने एक प्रश्न रखा था उसका उत्तर आया है । पहले मैं उत्तर के संबंध में बताना चाहता हूं । अन स्टार्ड क्वेश्चन है । सन् ६३-६४ में चित्तौड़गढ़ खास में कुल कितने कत्ल और चोरियां हुईं ? इसका उत्तर आता है चित्तौड़गढ़ खास में कोई हत्या का अपराध नहीं हुआ । अब इसको सत्य मानें या मेरे पास चित्तौड़गढ़ खास के कुछ पर्चे हैं, पुलिस धोखा खा रही है या धोखा दे रही है, मेरे पास जो पर्चे हैं ५-१० इधर की लॉबी में रखूंगा और उधर की लॉबी में भी रखूंगा और उसके बाद मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप नजरिया देखिये । एक ढंग के कत्ल होते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है वह जुदा-जुदा होता है पर नकाब डालने वाले नकाब ही डालते हैं, ताले तोड़ने वाले ताले ही तोड़ते हैं, जूतियां चुराने वाले जूतियां ही चुराते हैं, जेब काटने वाले जेब ही काटते हैं, वे दूसरी चोरी नहीं कर सकते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं होता । बार बार डाके हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, माल चला जाता है पर उसका कोई पता नहीं लगता है क्योंकि वहां पर जो एस० पी० साहब विराजमान हैं वे रिटायरमेन्ट पर हैं । उनके बारे में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, आई० जी० पी० से भी कह चुका हूं कि उनको रिटायरमेन्ट पर जाना है तो लोंग लीव लेकर चले जांय; क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को खराब करते हैं ? उनके रहते कत्ल के मामलों का पता नहीं चल सकता ।

सभापति महोदया, कोई व्यक्ति चाहे ५० बीघा जमीन का मालिक हो चाहे ५ बीघा जमीन का मालिक हो, चाहे मिल मजदूर हो, चाहे गाड़ी चलाता हो या हमाली करता हो, कांस्टिट्यूशन के लिहाज से उसके अधिकार हैं, उसका स्टेटस है; वह मानव है उसको नागरिक अधिकार मिलने चाहिये, मिले हुए हैं, ऐसी हालत में पुलिस वाले हर एक को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास यह सोना कहां से आया, यह जेवर कहां से आया, कहां से बनवाया । मैं निवेदन करता हूं कि आप डी. आई. जी. से मालूम करें कि छोटी सादड़ी में कितने लोगों को टॉर्चर किया, कितने लोगों को पीटा, कितने लोगों के बिजली का करेंट लगाया ? मेरे पास ऐसे भी उदाहरण हैं जहां महिलाओं की गुप्त इन्द्री में बिजली का करेन्ट लगाया । यदि गवर्नमेन्ट इसको चैलेन्ज करे तो मैं साबित करने को तैयार हूं । इस प्रकार के दुनियां भर के जुल्म कांग्रेस शासन करे, उनके गवर्नर का शासन करे जो यहां पर विद्यमान हैं और विधान सभा के सदस्यों को निकालने पर आमादा होते हैं । उनके यहां इस प्रकार की बात होती है और गवर्नमेन्ट उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती ।

(श्री अब्दुलजब्बार खां)

सभापति महोदया इसके अलावा अकाल के दौरान जानवर आये। मध्यप्रदेश का बोर्डर मेरे निवास स्थान से लगा हुआ है। नीमच और निम्बाहेड़ा बोर्डर पर है। उधर मध्यप्रदेश है और इधर राजस्थान है। गवर्नर के भाषण में लम्बी-चौड़ी बातें दोहराई हैं कि अकाल पीड़ितों के लिये हमने यह किया, वह किया.......

श्रीमती सभानेत्री : ५ बजने में ३ मिनिट बाकी हैं, समय में समाप्त कर दें समय नहीं बढ़ाया जायगा।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं हुक्म की तामील करता हुआ बातें कहूंगा। सभापति महोदया मैं निवेदन कर रहा था कि बोर्डर पर जानवरों को रोका गया। चार-चार हजार, छः-छः हजार गायें किशनगढ़ तहसील से आईं वे बोर्डर पर रोक दी गईं। मैंने एक टेलीग्राम दिया श्री बालकृष्णजी कौल, वित्त मंत्रीजी को, कर मंत्रीजी को; लेकिन उसका जवाब आज तक नदारद है। मैं इस अकाल के समय इन चार चार हजार मवेशियों को रात को ११ बजे जाकर छुड़ाया। अकाल पीड़ितों की सहायता करने वाली सरकार यह जानने की तो कोशिश करती कि कितने जानवर मध्यप्रदेश में जा रहे हैं, उनको क्या तकलीफ है। इस पर भी टैक्स का ओर्डर हो जाता है ५ परसेन्ट लेंगे। बकरी-बकरों को रोकते हैं, गायों-भैंसों को रोकते हैं। जो जानवर ले जाते हैं वे परेशान होते हैं। मैंने तार दिया उसका जवाब तक नहीं आया। एक ओर्डर निकाल देना चाहिये था, नाकों पर अकाल पीड़ित जानवरों को बाहर जाते समय परेशान न किया जाय, रोका नहीं जाय। मेरे पास कम्प्लीट रेकॉर्ड मौजूद हैं, सभापति महोदया, कम से कम इस ओर ध्यान तो देना चाहिये था। इतना ही नहीं चारे का मसला भी था। घास भिंडर तहसील, चितौड़ तहसील और भीलवाड़ा तहसील में पड़ा है, घास के भाव निर्धारित नहीं होते हैं, जानवर मर रहे हैं, परेशान हैं, घास की रेट फिक्स करके रेन्जर को आज्ञा कर दें, घास का इतना परसेन्ट अकाल के एरिया में पहुंचा दें, लेकिन यह नहीं करते हैं। गानोड़ी, बागड़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल घास नहीं है, पानी की कमी है लेकिन वहां पर घास और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे दिनांक ४ मार्च, १९६५ को म. प. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०४ का उत्तर देखिये)

Statement of Income and Expenditure of Diggi Farm and Tonk Farm

Diggi Farm.			Tonk Farm		
Year	Expenditure	Income.	Year	Expenditure	Income.
1957-58	Rs. 8,572	Rs. ..	1957-58	Rs. 6,847	Rs. 2,025
1958-59	11,702	539	1958-59	18,865	4,276
1959-60	10,981	2,491	1959-60	9,849	3,901
1960-61	13,164	7,080	1960-61	10,067	1,858
1961-62	14,688	1,171	1961-62	7,659	3,559
1962-63	15,129	8,719	1962-63	13,382	4,510
1963-64	20,659	13,520	1963-64	12,045	5,742
1964-65	20,242	5,844	1964-65	11,936	8,814

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न-समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

आत्म हत्याएं

१०५. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में भुखमरी के कारण गत दो वर्षों में कितनी आत्महत्याएं हुई ?

उत्तर

राजस्थान के किसी भी जिले में पिछले दो वर्षों में भुखमरी के कारण किसी भी व्यक्ति ने आत्म-हत्या नहीं की ।

बांध पापड़ा

१०६. **श्री मजलिसखां** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बांध पापड़ा, पंचायत समिति कामां की मरम्मत पर सिंचाई विभाग ने काफी धनराशि खर्च की है ? यदि हां, तो कितनी और कब ? मरम्मत से पहले बांध का गेज कितना था और अब कितना हो गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध से एक नहर निकाली गई है ? यदि हां, तो यह नहर कितनी लम्बी और चौड़ी है तथा इससे सिंचाई का कितना रकबा बढ़ा है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध में पानी नहीं रुकता है ? यदि हां, तो पानी न रुकने का क्या कारण है और यदि रुकता है तो बांध के पेटे में कितना रकबा सिंचित होता है और यह पानी कितने समय तक भरा रहता है ?

उत्तर

(१) पापड़ा बांध के जीर्णोद्धार के कार्य पर अब तक करीब १ लाख खर्च हो चुका है । चूंकि यह कार्य अभी अधूरा है, अतः क्षेत्र के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(२) जी हां, नहर करीब २ मील लम्बी है और छः फुट से ढाई फुट तक चौड़ी है । बांध का कार्य पूर्ण होने पर नहर से सिंचाई संभव हो सकेगी ।

(३) जी हां, पानी न रुकने का कारण बांध का अधूरा होना है । इस वर्ष ५२४ एकड़ में बांध के पेटे में गेहूं की अच्छी फसल हुई ।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स को सब-जेलों के कार्य की देख-रेख का भत्ता

१०७. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि राजस्थान में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अदालतों की सब-जेलों के कार्य की देखरेख मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ही करते हैं और वे ऑफिसर-इन्चार्ज सब-जेल का कार्य करते हैं ?

(२) अगर हां, तो क्या यह सच है कि इस अतिरिक्त कार्य के लिये ऑफिसर इन्चार्ज सब-जेल को अभी तक कोई उपयुक्त अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि ऑफिसर इन्चार्ज सब-जेल्स की मांग आई. जी. कारा-

Page No. 106

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
वास, जयपुर के पास आने पर आई. जी., कारावास, राजस्थान ने ३५) रु० माहवार अतिरिक्त भत्ता देने का मामला गृह विभाग राजस्थान के पास भेजा है'?

(४) अगर हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और ३५) रु० अतिरिक्त भत्ता ऑफिसर इन्चार्ज सब-जेल्स को कब तक मिल जावेगा ?

(५) क्या यह सच है कि डाक्टरों को सब-जेलों का कार्य देखने के लिये अतिरिक्त भत्ता मिलता है ? अगर हां, तो कितना ? और डाक्टरों को अतिरिक्त भत्ता मिलता है तो ऑफिसर इन्चार्ज सब-जेल्स को विशेष भत्ता क्यों नहीं मिलता जबकि उनको सब-जेल्स का काफी काम करना पड़ता है ?

(६) क्या सरकार कम से कम मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स को सब-जेल्स का कार्य करने का विशेष भत्ता दिलाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं । केवल ऐसे स्थानों पर जहां कोई और मजिस्ट्रेट नहीं होता, वहां ही मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को यह कार्य करना पड़ता है और ऐसे स्थान बहुत ही कम हैं ।

(२) सब-जेल के चार्ज के लिये किसी भी मजिस्ट्रेट को कोई भत्ता नहीं दिया जाता है और अभी ऐसा विचार भी नहीं है ।

(३) भेजा था, जिसे नामन्जूर कर दिया गया है ।

(४) उत्तर दे दिया गया है ।

(५) हां, यह सच है कि डाक्टरों को सब-जेलों का कार्य देखने हेतु निम्नलिखित भत्ता (पार्टटाइम अलाउन्स) मिलता है:—

प्रथम श्रेणी के उप-कारागृह ३०) रु० माहवार
द्वितीय श्रेणी उप-कारागृह- २५) रु० माहवार
तृतीय श्रेणी उप-कारागृह २०) रु० माहवार

हर काम के लिये भत्ता दिया ही जावे यह मान्य नहीं है ।

(६) अभी कोई विचार नहीं है ।

गादोला बांध की नहरों की डूब में आई भूमि का मुआवजा

१०८. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में गादोला बांध से जो नहरें निकली हैं उनमें आई किसानों की खाते की जमीन का लगान तहसील द्वारा अभी तक वसूल हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कितने सालों का ऐसा लगान वसूल किया गया है ?

(२) क्या उक्त लगान की रकम उन किसानों को वापिस लौटाई जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) क्या यह भी सही है कि जो जमीन नहरों में आई है उसका मुआवजा भी अभी तक नहीं चुकाया गया है ।

(४) कितने किसानों की कितनी एकड़ जमीन नहरों में आई है और उसका मुआवजा कब तक चुका दिया जायेगा ?

(श्री सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां, काश्तकारों द्वारा मुआवजा न लेने व जमीन को अपने खाते में रखने के कारण पिछले लगभग ४-५ सालों से राजस्व विभाग द्वारा लगान वसूल किया जाता रहा है।

(२) यह विषय रेवेन्यू विभाग के विचाराधीन है।

(३) नकद मुआवजे के अवार्ड उप-जिलाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा अभी जा ी हुए हैं, जिनका चुकारा इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जावेगा।

(४) ७६ कृषकों को ६६ बीघा १३ बिस्वा भूमि नहरों में आई है जिसके मुआवजे का नकद चुकारा ६८ व्यक्तियों को इसी वित्तीय वर्ष में हो जावेगा। शेष ८ व्यक्ति ों की भूमि के बदले भूमि देने की कार्यवाही राजस्व विभाग में चल रही है।

भूतपूर्व नरेशों द्वारा प्रीवी-पर्सों में ती

१०६१. श्री ो राज (बाली) : क्या सामान्य प्रशासन ी यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सन् १९६२ में आपतकालीन स्थिति की घोषणा होने के बाद तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री की इस संबंध में अपील किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान के किसी नरेश ने अपने प्रीवीपर्स में कमी करने घोषणा की है ?

यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां।

इस बारे में सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

सरकार द्वारा ली गई काश्तकारों की भूमि तथा उसका मुआवजा

१११. श्री चौथमल वर्मा (भिनाय-सु.): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम ऊंड़ा, पारा, नारायनी सागर जिला अजमेर के प्रोजेक्ट क्षेत्रों में कितने काश्तकारों की जमीनें सरकार ने अपने अधिकार में ली हैं ?

(२) उक्त क्षेत्रों के कितने किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दिया गया है और कितने किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है ?

(३) जिनको नहीं दिया गया है उसके क्या कारण हैं ?

(४) पारा व नारायनी प्रोजेक्ट में अभी तक कितना काम हुआ है और कितना बाकी है ? अगर बाकी है, तो क्यों ?

उक्त प्रोजेक्टों से कितनी सिंचाई होती है ?

उत्तर

(१) सरकार ने जिन काश्तकारों की जमीन अपने अधिकार में कर ली है उनकी

(श्री सिंचाई मंत्री)
क्या निम्न प्रकार है :—

१.	ऊंटड़ा	१५०
२.	पारा १	३३
३.	पारा २	११४
४.	नारायण सागर	३५६

(२) ऊंटड़ा क्षेत्र में किसी को मुआवजा नहीं दिया जा सका क्योंकि काश्तकार जमीन से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

पारा नं० १ : क्षेत्र में सारे ३३ काश्तकारों को नकद मुआवजा या बदले में जमीन दे दी गई है।

पारा नं० २ के क्षेत्र में १३ काश्तकारों को नकद मुआवजा दिया जा चुका है शेष ६१ काश्तकार जमीन से कब्जा नहीं छोड़ना चाहते शेष १० काश्तकारों को भूमि अवाप्ति अधिकारी जमीन के बदले जमीन देने की तजवीज कर रहे हैं।

नारायणसागर क्षेत्र में ३० काश्तकारों को जमीन के बदले जमीन दी जा चुकी है और ३२ आसामियान को जमीन देने के संबंध में कार्यवाही चल रही है। बाकी के २६ काश्तकार जमीन का कब्जा नहीं छोड़ना चाहते हैं।

(३) जब उन लोगों को मुआवजे की रकम दी जा रही थी, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। वे लोग भूमि के बदले भूमि लेना चाहते हैं, अतः अब राजस्व विभाग उनको भूमि देने का प्रबन्ध कर रहा है।

(४) पारा व नारायणसागर के सारे कार्य प्रायः समाप्त हो चुके हैं व सिंचाई प्रारंभ कर दी गई है।

(५) इस वर्ष १ से १३३२ एकड़, पारा २ से ३०० एकड़ व नारायण सागर से १४०० एकड़ में सिंचाई की गई है।

आलनियां बांध को डूब में आई भूमि तथा मकानात का मुआवजा

११२. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा के आलनियां बांध में कुल कितनी भूमि अथवा मकानात वगैरह डूब में आये थे ?

(२) क्या यह सही है कि अभी तक मकानात व फलदार वृक्षों के नुकसान का मुआवजा नहीं चुकाया है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) इस बांध में २,४२६ बीघा भूमि व २३५ काश्तकारों के मकान डूब में आये।

(२) जी नहीं, अधिकतर मुआवजा चुका दिया गया है।

'की विलेज' ब्लॉक

११३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने सांचोर और महाजन में पशुओं के दो 'की विलेज' ब्लॉक की स्थापना की थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि ये दोनों ब्लॉक बिल्कुल नाकामयाब हुए और इन्हें बन्द कर देना पड़ा ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(३) यदि हां, तो इसको नाकामयाबी के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी हां।

जी हां।

जनता द्वारा कोई लाभ नहीं उठाया गया और राज्य सरकार के व्यय को ध्यान में रखते हुए इनका स्थानान्तरण करना पड़ा।

पुलिस स्टेशन अयाना

११४. श्री लक्ष्मीचन्द (पोपलदा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील पोपलदा के ग्राम अयाना के पुलिस स्टेशन को हटा कर इटावा में पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि इस पुलिस स्टेशन के हटाने से तथा ग्राम अयाना मध्य-भारत की सरहद के पास होने से वहां आये दिन डकैतियां होती रहती हैं ?

(३) क्या यह सही है कि कलेक्टर, कोटा ने ग्राम अयाना में पुलिस स्टेशन कायम करने की सिफारिश सरकार से की थी ?

(४) यदि हां, तो सरकार ग्राम अयाना में पुलिस स्टेशन कायम करने के प्रश्न पर विचार करेगी। यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, क्योंकि प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना उचित समझा गया।

(२) ऐसा नहीं है।

(३) जी नहीं।

(४) ऐसा कोई विचार नहीं है। क्योंकि प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए थाना इटावा में ही रखना उपयुक्त प्रतीत होता है।

सांगोद में अनाज की मन्डी

११५. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्राम पंचायत सांगोद, जिला कोटा द्वारा सांगोद में अनाज मन्डी कायम करने की प्रार्थना की गई है ? यदि हां, तो कब ?

(२) सरकार ने सांगोद में मन्डी कायम करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ? और कब तक मन्डी स्थापित हो जाने की संभावना है ?

उत्तर

(१) जी हां। माननीय सदस्य ने एक पत्र इस विषय में ११ नवम्बर को भेजा उसकी प्रतिलिपि १६-१-६६ को कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

(२) सांगोद क्षेत्र का सर्वेक्षण हाथ में तो लिया गया है और यदि आर्थिक दृष्टिकोण से मन्डी स्थापित करने की सम्भावना होगी तो नियन्त्रित मन्डी १९६६ के अन्त तक घोषित करदी जावेगी।

१

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ३ मार्च, १६६६)

कालम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७५३-७५४	२	चतुर्थ दिवस	छठा दिवस
७५३	अन्तिम से ४	**बेचना**	**बेचान**
७५४	११	नही	नहीं
७५५	अन्तिम से ७	र्थी	थीं
,,	,, ,, ३	मंत्री महोदय	मंत्री महोदय
७५७	शीर्ष	(श्रीमती प्रभा मिश्रा)	(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
७५८	३	हे कि	है कि
,,	२०	डिस्ट्रिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
७६१	अन्तिम से १०	वर्गलरीज़	वर्गलरीज़
,,	,, ,, ३	**श्री निरंजगनाथ आचार्य**	**श्री निरंजननाथ आचार्य**
७६४	६	वेलएशन	वेल्यूएशन
७६५	६	शोरगुल	(शोरगुल)
७६६	१६	**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत**	**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत**
७६७	२	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:**	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**
७६८	१	ज ा	जन
,,	१६	**श्री हरिदेव जोशी**	**श्री हरिदेव जोशी**
७७३	अन्तिम से ३	**श्री अब्दुलाजब्बार**	**श्री अब्दुलजब्बार**
७७४	१५	**श्री अब्दुलजब्बार**	**श्री अब्दुलजब्बार**
,,	१७	उप-मंत्री, सिंचाई	उप-मंत्री, सिंचाई
७७६	१	लख	लाख
,,	८	village	villages
,,	२३	नियात	नियति
७८०	२२	मे	में
,,	२५	रह	रहे
७८३	१७	में	में
,,	२३	**श्री अध्य ा**	**श्री अध्यक्ष**
७८६	४,५,७,८,१५	फूड कार्पोरेशन	फूड कॉर्पोरेशन
,,	अन्तिम से ३	चाा	चना
७८८	६	**श्री नाथराम मिर्धा**	**श्री नाथूराम मिर्धा**
,,	१८	चाह ा	चाहता
,,	२२, २३	कांटस्टिट्यूशन	कॉन्स्टिट्यूशन
७६०	११	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**
७६१	१३	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**	,,

१	२	३	४
७६१	१८	कानुन	कानून
७६८	२१	ागरपालिका,	नगरपालिका
७६६	शीर्ष	(श्री विजय सिंह झाला)	(श्री विजयसिंह झाला)
,,	अन्तिम	ी	की
८००	अन्तिम से २	खोल	खोले
८०२	५	फयचर	फ्यूचर
,,	अन्तिम से ६	**श्री गिरनारी लाल व्यास**	**श्री गिरधारीलाल व्यास**
,,	अन्तिम	उसक	उसके
८०३	१३	खर्चों	खर्चा
८०४	७	अर्मे	अर्से
८०८	२	**मारचीव**	**मारपीट**
८१३	१२	**भसाघरा**	**भैंसाघरा**
,,	२४	अस्त	अस्तु
८१५	१ के ऊपर	—	(१२.१६ म.प.)
,,	३	(१२.१६ म.प.)	—
,,	६	**श्री मोहनलाल सुखाडिया**	**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**
८१८	४	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल**
८२३	१६	राज्यपाल के अभिभाषण संबंधी औचित्य प्रश्न	राज्यपाल के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर औचित्य प्रश्न
,,	अन्तिम से ४	(सुजानगढ़)	—
८२४	,, ८	पढ़:	पढ़ा
८२८	१०	जंनतंत्र	जनतंत्र
८२९	शीर्षक	प्रस्त व	प्रस्ताव
,,	३	**अध्यक्ष महोदय : आप**	अध्यक्ष महोदय, आप
८३१	१३	ाषण	भाषण
८३४	३	कॉन्स्टीटयूशन	कॉन्स्टिट्यूशन
८३७ से ८४०	शीर्षक	३ माच, ६६	३ मार्च, ६६–
८३९	१७	Govt	root
८४१	शीर्षक	प्रस्ताब	प्रस्ताव
८४३	शीर्ष	(श्री बरकतुल्ल खां)	(श्री बरकतुल्ला खां)
८४४	५	a dressed	addressed
८४५	२२	मनिस्टर	मिनिस्टर
८४६	शीर्षक	औचत्य	औचित्य
,,	७	मैं	में
८४८	१	मैं	में
८५२	१४	म ोदय	महोदय
८५४	अन्तिम से ३	क	के
८५५ से ८८६	शीर्षक	अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव-३ मर्च, ६६ पर औचित्य प्रश्न	अभिभाषण पर-३ मार्च, ६६-सामान्य वाद विवाद
८५५	अन्तिम	जानता हूं।	भी जानता हूं।

१

१	२	३	४
८५६	अन्तिम से ७	क	के
८५७	२०	स्थिात	स्थिति
८५८	२२	भाई । कहते	भाई यह कहते
८५९	शीर्ष	(श्रो	(श्री
८६०	२५	समय में जिस	समय जिस
८६३	अन्तिम से ८	में	में
,,	,, ,, ४-५	अनिश्चिता	अनिश्चितता
,,	,, ,, १	करुंगा	कहूंगा
८६४	१२	श्रोर	श्रोर
८६५	१०	संस्था	संस्था
८६६	शीर्ष	(श्री फूलचन्द जैन)	(श्री फूलचन्द जैन)
,,	अन्तिम से ६	श्राप में श्रहम रखता हूँ	श्राप में श्रहमियत रखता हूं
८७१	,, ,, ६	ट्रजरी बचज	ट्रेजरी बेंचेज
८७२	,, ,, ६	प्रवति	प्रवृत्ति
८७३	,, ,, ५	वत्ति	वृत्ति
८७४	५	स्कल	स्कूल
,,	अन्तिम से २	सिचाइ	सिंचाई
८७७	अन्तिम से ८	रिजट्स	रिजल्ट्स
८७८	५	श्री फूलचद जैन	श्री फूलचन्द जैन
८८४	१६	सचालक	संचालक
८८५	अन्तिम से ९	बे	वे
,,	,, ,, २	श्री कृष्णकमार	श्री कृष्णकुमार
८८९	अन्तिम	हूं।	हूं।
८८७	अन्तिम से ४	राज्य मे	राज्य में
८९३	शीर्षक	।र	पर
,,	२१	क	के
८९८	अन्तिम से २	लगाचें	लगावें
९०४	,, ,, ४	श्री नाथूलाल करोल	श्री नाथूलाल करोल
९०६	५	विशेष उससे	विशेष है उससे
९०८	अन्तिम	सुनत।	सुनते।
९०९	४	क	के
,,	७ व ३१	श्री मोहनलाल सुखडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
,,	१८	विधाना	विधान
,,	२४	हुई !	हुई !
९१३	अन्तिम से ७	से लिये	के लिये
९१७	शीर्ष	(माहरावल	(महारावल
९१८	२१	श्रछुत	श्रछूत
९१९	५	लें लें	ले लें
९२३	३	प्रजार	प्रकार
९२८	शीर्षक	वाद-विवा	वाद-विवाद

१	२	३	४
६२६	अन्तिम से ८	क्रिटिसाइज	क्रिटिसाइज
६३०	९	वास्तविकता से परे	वास्तविकता से परे है
६३२	२०	कर रह हं	कर रहे हैं
,,	२०-२१	सोसलिस्टिक	सोश्यलिस्टिक
,,	२२	(Cavaleade)	(Cavalcade)
६३३	१७	आ ि	अभी
६३६	अन्तिम से ८	लावो	लाओ
६३८	अन्तिम	बढ़िया	बुढ़िया
६४१	अन्तिम से ८	प ा ा	पता
,,	अन्तिम से ४	पुगार्थ	पुण्यार्थ
६४६	१४	ाचा	नाचा
६४७	१४	म	में
,,	अन्तिम से १०	जिसक	जिसके
६५४	,, ९	बोलेंग	बोलेंगे
६५५	,, २	चुरते	चुराते
६५७	,, ७	मैं	मैंने
,,	अन्तिम	ओर्डर	ऑर्डर
६५८	४	,,	,,
,,	१५	परमेन्ट	परसेन्ट
,,	अन्तिम से २	म० प० ११ बजे	म० पू० ११ बजे
६५९	४	Expenditu e	Expenditure
६६१	१०	ो	दो
६६२	१०	ोड़ी	चौड़ी
६६३	१४	उनक	उनको
६६४	१०	गावोला	गादोला
६६५	१०	जा ी	जारी
,,	१६	व्यक्ति ों	व्यक्तियों
,,	२०	ैती	कटौती
,,	२१	ा ोराज	मोहनराज
,,	२२	ी	मंत्री
,,	अन्तिम से ३	करने	करने की
६६६	,, ५	उक्त	(५) उक्त
,,	,, २	जि ा	जिन
६६७	१	रंख्या	संख्या
स्कम्भ	स्कम्भ संख्या	६६	६६८
६६८	१	१ से	पारा १ से
६६९	१	नाकाम ावी	नाकामयाबी
,,	१३	आाना	आना
६७०	४	रखत	रखते
,,	८	जझारसिह	जुझारसिंह